लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३५, १९५९/१८८१ (शक)

[१६ से २७ नवम्बर १९५९/२५ कार्तिक से ६ अग्रहायण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-5-97
Fumigated
On 18.11.83
Parliament Library
Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

284 (Ai) L.S.D.—11.

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ३५, अंक १ से १०—१६ से २७ नवम्बर, १९५९/२५ कार्तिक से ६ अग्रहायण १८८१ (शक)

अंक १—सोमवार, १६ नवम्बर, १९५९/२५ कार्तिक, १८८१ (शक) **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १२, १४ से १९ और २१ . . . १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३, २० और २२ से ३४ . . . २७—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३ . . . . ३५—५६

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . . ५६—५७

चीन-भारत सीमा दुर्घटना में मारे गये पुलिस सिपाही . . . ५७

स्थगन प्रस्ताव—

भारत-चीन सीमा दुर्घटनायें . . . . . ५७—६५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६५—६८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . . ६८—६९

संसदीय समितियां—कार्य सारांश ६९

प्राक्कलन समिति—

बासठवां प्रतिवेदन ६९

भाखड़ा दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ७०

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य . . . ७१

आगरा-इलाहाबाद सवारी गाड़ी की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ७२

भारत-पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . . ७३—७४

समवाय (संशोधन) विधेयक ७५

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना विधेयक—पुरस्थापित . . . . . ७५—७६

१. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

२. संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक

३. हज समिति विधेयक

स्त्र विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १०७—१५

अंक २—मंगलवार, १७ नवम्बर, १९५९/२६ कार्तिक, १८८१ (शक)

श्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३५ से ४५ . ११७—४२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७६ . . . . १४३—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से १२९ . . . . १५९—९७

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . . . . १९१—९५

बड़ाहोती से भारतीय सीमा पुलिस की वापसी—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १९५—९७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता बन्दरगाह में आपात काल की घोषणा . . . १९७

शस्त्र विधेयक . . . . . १९८—२२८

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

खण्ड २ से ४६ और १ . . . . . २०५—२८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . २२६—२८

विविध वैयक्तिक विधियां (विस्तार) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . २२९—३३

खण्ड २ से ४, अनुसूची १ और २ तथा खण्ड १ . . २३२—३३

पारित करने का प्रस्ताव २३३

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २३३

खण्ड २, ३ और १ . . . . . २३७—३९

पारित करने का प्रस्ताव २३९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २४०—४५

अंक ३—बुधवार, १८ नवम्बर, १९५९/२७ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ७७ से ९० २४७—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१ से १२१ . . २७०—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३० से २०१ और २०३ से २०६ २८५—३१८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५८० के उत्तर में शुद्धि ३१८

श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी का निधन . . . . ३१८—१९

अंक ४—गुरुवार, १९ नवम्बर, १९५९/२८ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १२२ से १३२, १३४ और १३५ . ३२५—४८

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३३ और १३६ से १५४ . . .	३४९—५८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २७१ . . .	३५८—८५
स्थगन प्रस्ताव—	
चीनियों द्वारा लद्दाख में एक हवाई अड्डे का कथित निर्माण . .	३८५—८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९—९५
विधेयक पर राय	३९५
दहेज रोक विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . .	३९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	३९६
प्राक्कलन समिति—	
छियासठवां प्रतिवेदन	३९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता	३९६—९७
तारांकित प्रश्न संख्या ९८५ के उत्तर की शुद्धि . . .	३९७
विधि व्यवसायी विधेयक—पुरस्थापित	३९८
आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं) में परिवर्तन विधेयक . .	३९८—४१२
विचार करने के लिए प्रस्ताव	३९९—४१२
दामोदर घाटी निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	४१२—२३
कार्य मंत्रणा समिति—	
चवालीसवां प्रतिवेदन	४२३
दैनिक संक्षेपिका	४२४—३३

अंक ५—शुक्रवार, २० नवम्बर, १९५९/२९ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १५८, १५५, १५७, १५९ से १६२, १६४ से १६७, १६९ और १७० . . .	४३५—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६, १६८ और १७१ से १९५ . .	४५९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २७२ से ३०६, ३०८ से ३३३ और ३३५ से ३३८	४७१—९९
स्थगन प्रस्ताव—	
दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ी को रोका जाना . . .	४९९—५००

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५००—०३
सभा का कार्य	५०३
तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर की शुद्धि	५०३—०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
चवालीसवां प्रतिवेदन	५०४
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पुरस्थापित	५०४—०५
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक	५०५—१६
विचार करने के लिए प्रस्ताव	५०५—१६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	५१७
हैदारबाद अथवा बंगलौर में लोक सभा का एक सत्र होने के बारे में संकल्प	५१७—४३
देश के प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में संकल्प	५४३—४४
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका	५४४
दैनिक संक्षेपिका	५४५—५२
अंक ६—सोमवार, २३ नवम्बर, १९५९/२ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०७, २०९ से २१३, २१७ से २१९, २२२ और २२३	५५३—७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २०८, २१४ से २१६, २२०, २२१ और २२४ से २३२	५७९—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३९ से ४०८	५८७—६१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१९—२२
प्राक्कलन समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	६२२
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक	६२३—४४
विचार करने के लिये प्रस्ताव	६२३—३७
खण्ड २ से ५४, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १	६३७—४४
पारित करने के लिये प्रस्ताव	६४४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक	६४४—५८
विचार करने के लिए प्रस्ताव	६४४—५८
चीनी की कमी के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६५८—६६
दैनिक संक्षेपिका	६६७—७३

विषय	पृष्ठ
अंक ७—मंगलवार, २४ नवम्बर, १९५९/३ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
* तारांकित प्रश्न संख्या २२३ से २३७, २३९ से २५०, २५२ और २५३ .	६७५—७०३
तारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर में शुद्धि .	७०३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . .	७०३—०५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २३८, २५१ और २५४ से २६९ . .	७०५—१३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४६५	७१३—३६
स्थगन प्रस्ताव—	
डा० राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी	७३६—३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	७३८—३९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल)	७३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेल गाड़ियों में डकैतियां	७३९
तेल के बारे में वक्तव्य	७३९—४२
जर्मन आस्तियों की मुक्ति के बारे में वक्तव्य . .	७४२
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . . .	७४२—४८
विचार करने के लिये प्रस्ताव	७४२
खण्ड २, ३ और १	७४७–४८
पारित करने के लिए प्रस्ताव	७४८
हज समिति विधेयक	७४८—६३
विचार करने के लिए प्रस्ताव	७४८
खण्ड २ से १९ और १७	७६१—६३
पारित करने के लिए प्रस्ताव	७६३
समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में वक्तव्य .	७६४—८४
दैनिक संक्षेपिका	७८५—९०
अंक ८—बुधवार, २५ नवम्बर, १९५९/४ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
* तारांकित प्रश्न संख्या २७१ से २७३, २७५ से २८०, २८२, २८४ से २८८, २९०, से २९२, २९४, २९५ और २९८	७९१—८१८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	८१८–१९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७४, २८१, २८३, २८६, २६३, २६६, २६७ और २६६ से ३१७	८२०—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ५२२ . .	८३१—५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	८५४—५७
राज्य सभा से सन्देश . . .	८५७
प्राक्कलन समिति—	
चौसठवां प्रतिवेदन	८५८
तारांकित प्रश्न संख्या १३१४ के उत्तर की शुद्धि . .	८५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति . . .	८५६
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—पुरस्थापित . . .	८५६
भारत चीन संबंधों के बारे में प्रस्ताव . .	८६०—६७
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	८६७
दैनिक संक्षेपिका	८६८—६०५
अंक ६—गुरुवार, २६ नवम्बर, १६५६/५ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ से ३३२, ३३४ से ३३६ और ३४१	६०७—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१६, ३२३, ३३३, ३४० तथा ३४२ से ३५२ .	६३०—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५५२ तथा ५५४ से ५७० . .	६३७—५४
स्थगन प्रस्ताव—	
भारत-पाक सीमांकन	६५४—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६५७ ५८
जहाज बनाने के दूसरे कारखाने के स्थान के बारे में वक्तव्य . .	६५८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतालसवां प्रतिवेदन	६५८–५६
प्रक्रिया का प्रश्न	६५६
भारत चीन सम्बन्धों के बारे में प्रस्ताव	६५६—१००२
दैनिक संक्षेपिका	१००३—०७

विषय	पृष्ठ
अंक १०— शुक्रवार, २७ नवम्बर, १९५९/६, अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ और ३५५ से ३६७ . .	१००९—३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ और ३६८ से ३९८ .	१०३४—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७१ से ६२१	१०४७—६८
स्थगन प्रस्ताव . . .	१०६८—७१
(१) भारत-पाक सीमांकन .	१०६८—७०
(२) चिंवाई–तिब्बत राजपथ . .	१०७०—७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०७१–७२
राज्य सभा से सन्देश	१०७२
सभा का कार्य . . .	१०७२
दण्डकारण्य विकास प्रधिकार के संबंध में वक्तव्य	१०७३–७४
सदस्य की रिहाई . .	१०७४
भारत चीन संबंधों के बारे में प्रस्ताव .	१०७४—८९
केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	१०९०—९३
विचार कर के लिये प्रस्ताव . . .	१०९०—९३
विधेयक पुरस्थापित . . .	१०९३–९४
(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . . .	१०९३
(२) परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक . .	१०९३–९४
(३) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक	१०९४
धार्मिक पूजा स्थान प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का) पुरस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत	१०९४–९५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) (श्रीमती सुभद्रा जोशी का)	१०९५—१११७
विचार करने के लिये प्रस्ताव	१०९५—१११४
खंड २, १ और अधिनियम सूत्र . . .	१११४—१७
पारित करने के लिये प्रस्ताव	१११७
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री बाल्मीकी का) विचार करने के लिये प्रस्ताव	१११८—२६
दैनिक संक्षेपिका	११२७—३३

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचिंत राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरमू––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री वे० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वरदत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित––आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़––उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क–(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीम नगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधैन (कलकत्ता--पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित--आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुव (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगाँव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेना, श्री कान्हुकरण (बालासोर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आन्नद चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोडा, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (वेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

द--(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)

नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)

नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित--लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)

नाथ पाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

न--(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोज़ीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण, (गंजम)

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद --रक्षित--अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद--रक्षित --अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

परागीलाल, श्री (सीतापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प--(क्रमशः)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसरा)
पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज़)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती, कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा --रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथसिंह, श्री (सरगुजा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ब --(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनूसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर--दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

बैरो, श्री (नामनिर्देशित---आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण, (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला---रक्षित ---अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)

भार्गव, पंडित ठाकुरदास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म---(क्रमशः)

मणियगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मत्रेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)

मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)

मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता-मध्य)

मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

म---(क्रमशः)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुम, श्री पाइका (राजमहल---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद, अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबांकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथसिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

र---(क्रमशः)

राउत, श्री भोला (चम्पारन---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, (श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

रानै, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन् श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामन्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, , डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मंम्)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

र--(क्रमशः)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित--अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

लाइकर, श्री निवारण चन्द्र (कचार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)

वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेडू (पश्चिमी खानदेश--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वत्त राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्ज़ापुर)

व--(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वैरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरुदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित हीं० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (त्रिमलपट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज––उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

स––(क्रमशः)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन्, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता––उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)

सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह—(क्रमशः)

हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री कांगड़ा)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री तंगामणि

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुवीर सहाय

श्री तिरुमल राव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री अशोक कुमार सेन

श्री शिवराम रंगो राने

डा० सुब्बरायन

श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह

श्री ना० वाडीवा

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री च० द० पांडे

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री मी० रू० मसानी

श्री विमल कुमार घोष

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री फतहसिंह घोडासरा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्रीमती शकुन्तला देवी

श्री व० ना० स्वामी

श्री अय्याकण्णु

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री सु० हंसदा

श्री र० सिं० किलेदार

श्री रूंग सुंग सुइसा

श्री बी० ल० चांडक

श्री क० र० आचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री षनमुघ गौंडर

श्री बै० च० मलिक

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री इगनेस बेक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति

डा० सुशीला नायर

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री न० रं० घोष

श्री मथुरा दास माथुर

श्रीमती मफीदा अहमद

काजी मतीन

श्री नरेन्द्रभाई नथवानी

श्री राजेश्वर पटेल

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री शंकरपाण्डियन

श्री झूलन सिंह

श्री हेम बरुआ

श्री बासप्पा

श्री प्रताप केसरी देव

श्री द० अ० कट्टी

श्री भाऊसाहब रावसाहब महागांवकर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री नागी रेड्डी

श्री वुनुकुरु रामी रेड्डी

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री दिनेश सिंह

सरदार इकबाल सिंह

श्री रघुनाथ सिंह

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री अ० मु० तारिक

श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री विश्वनाथ राय

श्री वासुदेवन नायर

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी बाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री बी० दासगुप्त

श्री गणपति राम

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री अं० वै० घाटे

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री छ० म० केदरिया

श्री शिवनंजप्पा

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री बीरबल सिंह

श्री झूलन सिंह

श्री यादव नारायण जाधव

श्री स० अ० अगाड़ी

डा० पशुपति मंडल

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री थातुलिगम् नांदर

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री मनायन

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री रबुबर दयाल मिश्र

श्री कोरटकर

श्री परूलकर

श्री नेसवी

श्री राधा रमण

श्री अरविन्द घोषाल

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

लोक-लेखा समिति--(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अनोलक चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

श्री रोहित मनुशंकर दवे

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह--**सभापति**

श्री घनश्यामलाल ओझा

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री न० रं० घोष

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वामी

श्री ले० अचौ सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर--**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री दासप्पा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

आचार्य कृपालानी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री जयपाल सिंह

श्री विजयराम राजू

श्री प्र० के० देव

श्री भा० कृ० गायकवाड़

डा० कृष्णस्वामी

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**

श्री स० चं० सामन्त

श्री दिग्विजय नारायण सिंह .

श्री राजेश्वर पटेल

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री मि० सू० मूर्ति

श्रीमती मैमूना सुलतान

श्रीमती सहोदरा बाई राय

श्री बैरो

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री खुशवक्त राय

श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति--(क्रमशः)

लोक-सभा--(क्रमशः)

श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुवर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मू स्वामिनाधन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार--**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्यनारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री शिवराज
श्री राधेलाल व्यास
श्री तय्यापा हरि सोनावने
श्री घनश्याम लाल ओझा
श्रीमती उमा नेहरू
श्री शंकरय्या
श्री पुरुषोतम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रू० मसानी
श्री न० ब० विट्ठल राव

लाभ पद सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन —सभापति

डा० मा० श्री अणे

श्री प्रेमजी आसर

डा० क० ब० मेनन

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधाचरण शर्मा

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री अमोलक चन्द

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री —श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत मंत्री—हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री––सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री––श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री––श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री––श्री मौ० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री –श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री––श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री––श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री––श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिव-कार्य उपमंत्री––डा० मनमोह न दास

रेलवे उपमंत्री––श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री––श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिव-कार्य उपमंत्री––श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह–कार्य उपमंत्री––श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री––श्री कोत्ता रघुरमैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री––श्री मूहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री––श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री––श्री पू० शे० नाश्कर

विधि उपमंत्री––श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री––श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री––श्री ब० सू० मूर्ति

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव––श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव––श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव––श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव––श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव––श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव––श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव––श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव––श्री श्यामधर मिश्र

———

लोक-सभा

मंगलवार, १७ नवम्बर, १९५९

२६ कार्तिक, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाढ़ और सूखे से फसल को क्षति

+

श्री राम शंकर लाल

श्री श्री नारायण दास :

श्री साधन गुप्त :

पंडित द्वा० ना० तिवारी :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री तंगामणि :

श्री पाणिग्रही :

श्री च० का० भट्टाचार्य :

डा० राम सुभग सिंह :

श्री विभूति मिश्र :

श्री अनिरुद्ध सिंह :

†*३५. श्री धनगर :

श्री न० रा० मुनिस्वामी :

श्रीमती इला पालचौधरी :

श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

श्री सरजू पाण्डेय :

†मूल अंगेजी में

श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में देश में हुई अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के फलस्वरूप सूखे के कारण विभिन्न फसलों की क्या स्थिति है और इससे खाद्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या देश में सूखे और बाढ़ के फलस्वरूप फसलों और ढोरों की क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य-वार मांगी गयी और दी गयी केन्द्रीय सहायता का क्या ब्यौरा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हाल ही के सूखे अथवा बाढ़ के फलस्वरूप विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी मुख्य खरीफ फसलों के लिये अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन जारी करने के समय केवल मार्च-अप्रैल, १९६० में उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) और (ग). चालू वर्ष में सूखे और बाढ़ के फलस्वरूप फसलों और ढोरों की क्षति के बारे में अधिकांश राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा सके हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

(घ) सूखे अथवा बाढ़ से हाल ही में हुई क्षति के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गयी है।

†**श्री राम सुभग सिंह** : इन बाढ़ों को रोकने में दामोदार घाटी निगम किस हद तक लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। यह तो सिंचाई मंत्रालय बतायेगा। परन्तु इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में बहुत भयंकर बाढ़ आयी थी और बाढ़ से मूल्य पर प्रभाव पड़ा था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र से बीज मांगा था। ताकि पश्चिमी बंगाल राज्य में नई बारो फसल पैदा की जा सके ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : जहां तक बीज के मामले में पश्चिमी बंगाल की आवश्यकता का सम्बन्ध है, हमने कुछ सप्ताह पूर्व आदेश जारी किये थे; जहां

---

†मूल अंग्रेजी में

कहीं से भी वे मिल सकेंगे उन्हें दिया जायेगा और मैं समझता हूं कि पर्याप्त मात्रा दी भी जा चुकी है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या सहायता दी है।

श्री स० का० पाटिल : सहायता जब मांगी जाती है तब पहुंचाने की बात आती है। हमारे रिप्लाई में कहा गया है कि उनके पास से कोई मांग नहीं आई है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्योंकि पशुओं की काफी क्षति हुई है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ढोरों की रक्षा करने और पश्चिमी बंगाल को चारा भेजने की ओर कुछ कार्य करेगी क्योंकि मैं समझती हूं कि वह भी मांगा गया है?

†**श्री स० का० पाटिल :** मुख्य रूप से यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब वे यह मांगे और उसे प्राप्त न कर सकें। अब, जहां तक ढोरों के बारे में प्रश्न का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल सरकार से जो भी मांग आयी उस पर ध्यान दिया गया और दिया जायेगा।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री महोदय ने अभी प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि अभी स्टेट्स की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। तो हिमाचल प्रदेश तो बहुत जल्दी हिम से ढक जायेगा। यदि वहां की फसल नष्ट हो गई है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई है तो केन्द्रीय सरकार वहां के लोगों के खाने पीने का क्या प्रबन्ध कर रही है क्योंकि हिमाचल तो केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है?

श्री स० का० पाटिल : यह तो हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी है। उसके पास खाने पीने के लिये होगा, नहीं तो वह हम को लिखती। हमसे जिस सहायता की अपेक्षा होती है, वह देने के लिये हम हमेशा तैयार रहते हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या बिहार राज्य से बीज की कोई मांग आयी थी और वह समय पर नहीं दिया गया और अभी तक नहीं दिया गया?

†**श्री स० का० पाटिल :** बिहार राज्य सरकार के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि उनकी कोई मांग आयी थी या नहीं। परन्तु मैं सामान्य रूप से स्थिति बता सकता हूं। जहां तक बीज का सम्बन्ध है, ऐसी आपात स्थिति के लिये हमारे पास फालतू बीज नहीं है। सर्व प्रथम हमें यह अनुभव हुआ कि आवश्यकता पड़ सकती है और बीज को रखना पड़ेगा। हमारे पास कुछ बीज था परन्तु हमने पश्चिमी बंगाल की आवश्यकता के लिये अन्य स्थानों से इकट्ठा किया। जहां पर भी बीज उपलब्ध था, हमने उसे यह समझ कर रख लिया क्यों कि ऐसी स्थिति पुनः हो सकती है और हम यह दे सकते हैं। परन्तु जहां तक बिहार का सम्बध है, मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मंत्री महोदय का ध्यान हाल ही की बाढ़ द्वारा फसलों को हुई हानि के बारे में पश्चिमी बंगाल के कृषि और उत्पादन मंत्री, श्री टी० के० घोष के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ? जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, उन्होंने हाल ही की बाढ़ द्वारा फसलों की पूर्ण क्षति के बारे में एक वक्तव्य दिया था । क्या मंत्री महोदय ने उसको पढ़ा है और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इसका अध्ययन करना तब अधिक उचित होता है जब कि मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार को लिखें । हम समाचार पत्रों में समाचार पढ़ कर ही अपनी राय जाहिर नहीं करते । कार्य करने का यह गलत ढंग है ।

†**श्री तिरुमल राव** : गोदावरी नदी में भयंकर बाढ़ और पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में भारी वर्षा के कारण खाद्यान्नों को हुई क्षति के बारे में क्या सरकार को आंध्र सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय क्षति के बारे में कुछ बतायेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे नहीं पता है कि आंध्र सरकार ने कुछ लिखा है या नहीं । परन्तु बाढ़ का यह मतलब नहीं होता कि सारी फसल बरबाद हो जाती हैं । कभी कभी बाढ़ अच्छी होती है और उसके फलस्वरूप फसल पैदा होती है । परन्तु जहां तक आंध्र की आवश्यकता का संबंध है, मैं नहीं समझता कि आंध्र में कोई अत्यधिक आवश्यकता है और वहां पर कोई गम्भीर स्थिति उत्पन्न होगी ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मैं आंध्र गया था और मुझे बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में अवश्य हानि हुई है परन्तु यह अन्य स्थानों पर अच्छी फसलों द्वारा कमी पूरी किये जाने से अधिक है ।

†**श्री तंगामणि** : पश्चिमी बंगाल में हुई हानि को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार ने कृषि ऋण के लिये नवीनतम आवंटन किये हैं और क्या पश्चिमी बंगाल सरकार की ऐसी कोई मांग थी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : पश्चिमी बंगाल सरकार की जो भी मांग आ रही है उस पर निश्चय ही ध्यान दिया जा रहा है । इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि यह ही प्रथम सभा हो जहां पर कि प्रत्यक्ष रूप से ये मामले उठाये जा सकें । माननीय सदस्य राज्य विधान मंडलों में सदस्यों से मिलें और पता लगायें कि इस बारे में क्या किया गया है । प्रत्येक माननीय सदस्य का अनुमान है कि कुछ मांग की गयी है और मंत्री महोदय का कहना है कि यदि कोई मांग होती तो उस पर ध्यान दिया जाता । अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । माननीय सदस्य अपने अपने राज्यों की सरकारों से मिलें । वहां राज्य सरकारें भी हैं । मैं और प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हमारा डर यह है कि फसलों को हानि से मूल्य चढ़ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न का रक्षित भंडार[1]

+

श्री पाणिग्रही :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री केशव :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री महन्ती :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री कोडियान :
डा० राम सुभग सिंह :

†*३६. श्री धनागर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात काल में इस्तेमाल किये जाने के लिये खाद्यान्न का एक रक्षित भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या अमरीका से अपने फालतू अनाज का ५० लाख टन भारत में बैंक के रूप में रखने की प्रार्थना करने का कोई प्रस्ताव है ताकि आपात काल में यह देश वहां से अनाज ले सके ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Buffer stock.

(घ) क्या इस बारे में अमरीका सरकार को कोई औपचारिक प्रार्थना की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**:(क) और (ख). जी हां। यह प्रस्ताव है कि खाद्यान्न का एक अधिक बड़ा रक्षित भंडार बनाया जाये और रखा जाये । इस बात पर विचार हो रहा है कि ऐसा किस प्रकार किया जाये, भंडार कितना रखा जाये और अन्य ब्यौरा क्या हो ।

(ख) जी, हां । एक तरीका यह भी है कि अमरीका सरकार स्वयं अपने फालतू खाद्यान्न में से कुछ भारत में इकट्ठा करे परन्तु इस तरीके की व्यवहार्यता पर अपने दृष्टिकोण से विचार करना उनका काम है ।

(घ) अमरीका सरकार को अभी कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गयी है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या एक बड़ा भंडार बनाने के इस प्रस्ताव पर खाद्य समिति में विचार किया गया था और क्या पश्चिमी देशों के अपने दौरे के दौरान खाद्य मंत्री महोदय ने उन सरकारों के किन्हीं प्रतिनिधियों से भेंट की और इस प्रस्ताव के बारे में उनसे कोई बातचीत की ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : उन देशों में एक बड़ा भंडार बनाने की हमारी नीति रही है । उस पर किसी भी वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। यह अति आवश्यक है । चाहे वह आन्तरिक संसाधनों से किया जाये और चाहे उन संसाधनों से जो कि अब उपलब्ध है और जिन पर विचार किया जा रहा है । तब तक, निश्चय ही, बाहर से आने वाले अनाज से ये भंडार बनाये जाने ही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा हो सकेगा । इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी उठे—

श्री सरजू पाण्डय उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सरजू पाण्डेय ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जाना चाहता हूं कि अमरीका से जो अनाज लेंगे और उसका जो स्टाक किया जायगा तो यह मुल्क के किन भागों में इसका स्टाक रखने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? मुल्क के किन हिस्सों में स्टाक करेंगे और किन शर्तों पर दे रहे हैं ?

श्री स० का० पाटिल : मैंने जो आपका सवाल समझा है उसमें मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई शर्त नहीं है, अभी तक जैसे आ रहा है उसी तरीके से आयेगा और कोई नई शर्तें उसके पीछे नहीं हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मेरा यह ख्याल था कि जिन व्यक्तियों ने प्रश्न रखा है उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर पहले दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को सब नाम देखने चाहियें । श्री सरजू पाण्डेय का नाम भी वहां पर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा नाम पहले है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका की सरकार ने या और किसी सरकार ने ऐसे फुड रिजर्व बनाने में मदद करने और उसमें इमदाद देने के लिये वायदा किया है या कोई ओफर किया है ?

श्री स० का० पाटिल: वायदा करने या ओफर करने का सवाल नहीं है अभी तक हमारे फुड रिजर्व बन रहे हैं और हमारी इच्छा यह है और कोशिश यह है कि वह रिजर्व ज्यादा बने ताकि हमारे फुडग्रेन प्राइसेज पर अच्छा असर पड़े।

श्री म० ला० द्विवेदी : अमरीका ने माना है ?

श्री स० का० पाटिल : वह तो माना ही है और हमारे पास है ही।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हमारे देश में खाद्यान्न के भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये बाढ़ और सूखे के समय इससे क्या सहायता मिलेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : केन्द्रीय भंडार में से अनाज, सामान्यतः जनता को नहीं दिया जाता है। इसके बारे में जानकारी देना जनहित में नहीं है। अन्य बातों के बारे में, किसी आपात-स्थिति का सामना करने के लिये यह बड़ा भंडार बनाया जाना है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बफर स्टाक बनाये जायेंगे वह डेफिसिट स्टेट्स में बनाये जायेंगे या और भी स्टेट्स में बनाये जायेंगे ?

श्री स० का० पाटिल : बफर स्टाक तो तमाम देश के लिये होता है और जहां जहां डेफिसिट होगा वहां वह काम में आयेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: क्या मंत्री महोदय ने आधुनिक भांडागारों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया है जहां कि कीड़ों और कुतर कर खाने वाले जानवरों से बचाकर अनाज इकट्ठा किया जा सके और क्या उन्होंने भांडागारों की वर्तमान क्षमता बढ़ाने पर विचार किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : निश्चय ही हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है। वर्तमान लक्ष्य २० लाख टन इकट्ठा करने का रहा है जिसकी हमें आशा है कि हम यह लक्ष्य कुछ ही वर्षों में पूरा कर लेंगे। अन्य बातों के लिये हमें अतिरिक्त निर्माण करना पड़ेगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले फसल की कटाई के मौसम में वह कितना खाधान्न प्राप्त कर सकती है और इस खाद्यान्न में से सरकार द्वारा बनाये जाने वाले बड़े भडारों की क्या प्रतिशतता होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : सरकार द्वारा अनाज की वसूली का वर्तमान तरीका जारी रहेगा। कमी वाले राज्यों में तो अनाज की वसूली की बहुत कम गुंजाइश है। हमारा विचार फालतू अनाज वाले क्षेत्रों में समाहार जारी रखने का है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि खाद्य मंत्री महोदय ने भारत में ५० लाख टन खाद्यान्न का भंडार बनाये जाने के बारे में अमरीका सरकार से प्रार्थना करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

बारे में पिछले खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव रखे थे ? उनका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस प्रार्थना का खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन से कोई संबंध नहीं है । हमें ५० लाख टन के भंडार की आवश्यकता है। मेरी राय में यह उचित है ? यह बात हम पर निर्भर है कि यह आंतरिक संसाधनों द्वारा बनाया जाये या बाहरी संसाधनों द्वारा। यदि आंतरिक संसाधनों द्वारा यह संभव है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। जहां तक अमरीका का संबंध है, उन्होंने पिछले वर्ष हमें ३० लाख टन दिया था और निश्चय ही वे हमें तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे पास कमी है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह पी० एल० ४८० के अधीन है। यह बिल्कुल भिन्न है।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैंने कहा है कि इसका खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन से कोई संबंध नहीं है । यह पृथक प्रस्ताव है। ५० लाख टन का यह भंडार केवल गेहूं का ही नहीं है परन्तु इसमें चावल भी है । अतः यह एक देश के लिये नहीं है । यह हमारे संसाधनों और अमरीका और कुछ अन्य देशों को मिला कर भी हो सकता है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मंत्री महोदय से यह पूछा गया है कि उन्होंने इस मामले पर खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में विचार किया था । क्या यह रिपोर्ट ठीक नहीं है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में जिस पर विचार किया गया था, वह प्रस्ताव विश्व खाद्य बैंक के लिये था और ५० लाख टन की आवश्यकता के लिये नहीं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार ने भूतकाल में विदेशों से खाद्यान्न का आयात किया है और भविष्य में भी वह विदेशों से खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं। क्या यह सच है कि इस देश में लगभग ९ करोड़ एकड़ जोतने बोने योग्य भूमि उपलब्ध है और यदि हां, तो यह अधिक अनाज पैदा करने और समस्या को सुलझाने के लिये खेती करने के लिये गरीब किसानों को क्यों नहीं दी गयी है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरी जानकारी यह नहीं है । ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ९ करोड़ एकड़ ऊसर अथवा बेकार भूमि पड़ी है। उस भूमि में खेती करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी** : भंडार के बन जाने और पूरा हो जाने पर और कमी वालों राज्यों को इसके दिये जाने के पश्चात इस भंडार को फिर से किस प्रकार भरा जायेगा ? क्या सरकार उसी भाव पर स्थानीय किसानों से फालतू अनाज खरीदने को तैयार होगी, जिस दर पर वे बाहर से आयात कर रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसा लगता है कि कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में बड़े भंडार का और ही मतलब है। जो कुछ हमें वार्षिक आवश्यकता पूरी करने के लिये चाहिये, वह भंडार नहीं है। इसका मतलब है कि जब कभी मूल्य गिरते हैं, तो सरकार खरीदेगी और जब मूल्य चढ़ते हैं तो सरकार इससे अनाज देगी । मेरी राय में बड़े भंडार का यह मतलब है । जब यह भंडार बनाया जाता है तो प्रति वर्ष वही भंडार नहीं रहता है क्योंकि अनाज खराब होने वाली चीज है जिसको कि फिर से भरना पड़ता है । वह अधिकांशतः हमारे आंतरिक संसाधनों द्वारा किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में फालतू अनाज का भंडार बनाने के विचार के बारे में अमरीका सरकार को औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से अथवा अन्य किसी प्रकार बता दिया गया था ? इस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रतिक्रिया अच्छी ही होनी है क्योंकि भारत में किसी भी बड़ी मात्रा में भंडार से प्रत्यक्ष रूप में मूल्यों पर असर पड़ेगा। उसके बारे में हमें जनता की राय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : मंत्री महोदय एक प्रश्न टालते रहे हैं, अर्थात, क्या यह विचार औपचारिक रूप से अमरीका सरकार को बता दिया गया है। मेरा मूल प्रश्न यही था।

†**श्री स० का० पाटिल** : हमने उसका उत्तर दे दिया है। उन्होंने छपा हुआ उत्तर नहीं पढ़ा है। हमने बताया है कि अभी औपचारिक रूप से कोई प्रार्थना नहीं भेजी गई है।

सिंचाई संसाधन

+

†*३७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पदाधिकारियों के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त किया था कि क्या देश में सिंचाई संसाधनों का पूर्णतः लाभ उठाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार ने बम्बई, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर और राजस्थान के बारे में विशेष पदाधिकारियों के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है।

(ख) लाभ उठाये जाने के बारे में पदाधिकारियों की मुख्य सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को बता दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि नहरी पानी पर अधिक कराधान के कारण पश्चिमी बंगाल में संसाधनों से लाभ नहीं उठाया जा सका ?

†**श्री हाथी** : सब मामलों में नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह जो रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास आबपाशी के सम्बन्ध में आई है उसमें इस बात की भी जांच की गई है कि बड़ी बड़ी जो आबपाशी की योजनायें हैं उनके सिवाय छोटी छोटी आबपाशी की योजनायें जैसे तालाब खोदना, कहीं पर पातालिक कुंयें डालना है तो कहीं नाले बांधना है तो इस प्रकार की भी कोई जांच हुई है और क्या इस सम्बन्ध में कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री हाथी : यह रिपोर्ट जिन प्रोजेक्टस के लिये बनी है उसमें मीडियम और मेजर इर्रीगेशन प्राजेक्ट्स की ही बात है, छोटे छोटे तालाब वगैरह के लिये उसमें नहीं है । इर्रीगेशन मिनिस्ट्री में बड़े प्राजेक्ट्स की बात आती है, मीडियम और मेजर प्राजेक्ट्स की बात आती है ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो छोटे छोटे आबपाशी के बहुत मौके हैं उनके सम्बन्ध में क्या कुछ किया जा रहा है ?

श्री हाथी : उनको तो एग्रीकलचर मिनिस्ट्री डील करती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पंजाब के सिंचाई संसाधनों का भी अध्ययन किया गया और यदि हां, तो सिंचाई संसाधनों में वृद्धि किये जाने और उनसे अच्छी तरह लाभ उठाये जाने के बारे में क्या सिफ़ारिशें थीं ?

†**श्री हाथी** : पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर और आन्ध्र के बारे में प्रतिवेदन विचाराधीन हैं । ये हाल ही में प्राप्त हुये थे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : किन राज्यों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं ? क्या उनकी प्रतिक्रियाओं पर भी विचार कर लिया गया है ?

†**श्री हाथी** : राज्यों को अपने प्रतिवेदन नहीं देने थे । दो पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे जो हर राज्य में गये और उन्होंने हर परियोजना की जांच की । उन्होंने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया और उनकी उपत्तियों को राज्य सरकारों को बता दिया गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : तीन से भी अधिक वर्षों से हम सुनते आ रहेहैं कि २५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के संसाधन देश में बेकार हैं । इस समय उन संसाधनों में से किसका उपयोग किया जा रहा है ? २५ लाख एकड़ में भी कमी हुई है अथवा अब यह अधिक है ?

†**श्री हाथी** : मैं यह कह सकता हूं कि जल के उपयोग की प्रतिशतता संतोषजनक रूप से बढ़ रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सरजू पाण्डेय : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेज दी है इसलिये कि उसकी सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करें। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने इस बात की सूचना केन्द्रीय सरकार को भेज दी है कि वह उन सिफारिशों पर अमल कर रही है या किस हद तक उन्होंने अमल किया है ?

श्री हाथी : कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं वे राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिये भेज दी गई हैं और राज्य सरकारें उनको इम्प्लीमेंट करेंगी।

†**श्री गोरे :** अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सिंचाई संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। क्या वह प्रतिशतता बतायेंगे ?

†**श्री हाथी :** मेरे पास उन सब राज्यों के बारे में विवरण हैं जिनके बारे में प्रतिवेदनों की जांच की गई है। मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं या पढ़ सकता हूं। परन्तु मैं इसे सभा पटल पर रखना ही अधिक उचित समझता हूं क्योंकि यह एक बड़ा विवरण है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सभा-पटल पर दिया जाये।

†**श्री हाथी :** कुछ मामलों में यह ९१ प्रतिशत है और कुछ अन्य मामलों में यह ८८ प्रतिशत है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या यह विवरण सदस्यों को उपलब्ध होगा ?

†**श्री हाथी :** प्रतिवेदन बहुत बड़ा है। मैं इसका संक्षेप सभा पटल पर रख दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा। मैं तीन या चार प्रतियां पुस्तचालय में रख दूंगा ताकि माननीय सदस्य उसे पढ़ सकें।

†**श्री सोनावने :** क्या मध्यम आकार वाली परियोजनाओं के लिये छोटी नहरें बनाने में विलम्ब के कारण बम्बई राज्य में सिंचाई संस ाधनों के उपयोग में रुकावट नहीं पड़ी है ?

†**श्री हाथी :** जी हां, वह भी एक कारण है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस सर्वेक्षण में क्या उन्होंने उन नहरों की प्रतिशतता बताई है जिनके बारे में यह ख्याल था कि वे बन गई हैं और अभी कितनी नहरों का बनना बाकी है ?

†**श्री हाथी :** उन्होंने प्रत्येक राज्य और प्रत्येक परियोजना के लिये अभी बनायी जाने वाली नहरों की प्रतिशतता बताई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका ब्यौरा सभा-पटल पर रख दिया जाये।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पानी की दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सारे भारत भर में एकसम दरें लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की है ताकि कृषकों को एक सी शर्त्तों और दरों पर पानी मिल सके ?

†**श्री हाथी :** दरें भिन्न भिन्न हैं। परन्तु यह मामला राज्य सरकारों के विचार के लिये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी की कमी

+

*३८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री श्रीनारयण दास :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री तंगामणि :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :
श्री झूलन सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुब्बैया अम्बलम् :
पं० ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री देश में चीनी की स्थिति के बारे में ७ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खुले बाजार में चीनी अब भी निर्धारित दर से ऊंची दरें पर बेची जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस काले बाजार को बन्द करने के लिये राज्यवार और आगे क्या कार्यवाही की है अथवा करने जा रही है;

(ग) क्या १९५८–५९ में चीनी के वितरण और खपत का राज्यवार ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल रखा जायेगा; और

(घ) चीनी के अभाव के कब तक और किस प्रकार दूर होने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) स्वीकृत दुकानों की अपेक्षा साधारण दुकानों पर चीनी के ऊंचे भाव पर बिकने के कुछ समाचार मिले हैं।

(ख) उचित भावों पर चिवरण का ठीक ठीक प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का काम है : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य को मासिक निकासी में से निश्चित परिमाण में चीनी दी जाती है। एक या दो स्थानों के अतिरिक्त 'उत्तर प्रदेश' उत्तर बिहार और पंजाब के नियन्त्रित क्षेत्र से भी राज्य सरकारों के निर्दिष्ट व्यक्तियों को बणन किया जाता है।

(ग) १९५८–५९ में (११ महीने, नवम्बर, से सितम्बर, तक) प्रत्येक राज्य को भेजी हुई चीनी का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**

(घ) देश में चीनी की स्थिति अधिक उत्पादन से सुधर सकती है और इस अभिप्राय से हाल में ही सरकार ने गन्ना उपजाने वालों तथा चीनी मिलों के लिये कुछ प्रलोभनों की घोषणा की है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्रामों में चीनी किस भाव पर बिक रही है ? क्या वह १$^{1}/_{4}$ रु० प्रति सेर के भाव बिक रही है या १$^{1}/_{2}$ रु० प्रति सेर के भाव या उससे भी महंगी बिक रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : प्रत्येक राज्य में इसके अलग अलग भाव हैं । हमें यह ज्ञात हुआ है कि खुले बाज़ार के भाव नियन्त्रित भावों से अधिक हैं । हो सकता है कि अधिक कीमत पर बिकने वाली यह चीनी उस स्टाक में से हो जो कि गैर-सरकारी व्यापारियों के पास पड़ा हुआ है और जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि मद्रास की मंडी के भाव १/१०/–है, जब कि खुले बाजार के भाव उससे बहुत अधिक हैं ? और यदि इसका मूल कारण चीनी की कमी है, तो सरकार मद्रास राज्य को पर्याप्त मात्रा में चीनी का संभरण करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मद्रास राज्य की चीनी सम्बन्धी मांग को बखूबी पूरा किया जा रहा है । उनकी कुल मांग लगभग १०,००० टन है और वहां लगभग उतनी ही चीनी भेजी जा रही है ।

†**श्री तंगामणि** : वहां का बाजार भाव क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मद्रास राज्य में नियंन्त्रित भाव लगभग १.०७ रुपये सेर है, अर्थात थोक भाव ४१.८८ रूपये प्रति मन है । कोयम्बेटूर में भाव ४१.८८ रुपये प्रति मन है । अन्य स्थानों पर कुछ अधिक होगा । हां, विभिन्न स्थानों के खुले बाजारों के भावों के सम्बन्ध में हमारे पास ठीक-ठीक आंकड़े नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिये क्या क्या भाव निश्चित किये हैं ? क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्यों में खुले बाजारों में चीनी के भाव बहुत अधिक हैं, यदि हां, तो क्या सरकार चीनी के वितरण का काम अपने हाथ में लेने का विचार रखती है, क्योंकि राज्य सरकारें इस कार्य में असफल सिद्ध हुई हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : सम्पूर्ण देश में चीनी वितरित करने का काम अपने हाथ में ले लेना केन्द्रीय सरकार के लिये संभव नहीं है । यह काम हमने सम्बन्धित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है । हमने प्रत्येक राज्य के लिये चीनी का कोटा निश्चित कर दिया है । जहां तक भावों का सम्बन्धहै, हमने उत्तर बिहरा , पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिये फैक्टरी पर चीनी के भाव निश्चित कर दिये हैं । चीनी का बिक्रय मूल्य निम्नलिखित आधार पर निश्चित किया जाता है, फैक्टरी पर चीनी का भाव तथा वास्तविक परिवहन खर्च तथा देय प्रशुल्क या कर तथा लाभ व अन्य आनुषंगिक भार के रूप में अधिकतम एक रुपया प्रति मन । जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, वह काम जिला अधिकारियों के सीधे नियन्त्रण में किया जाता है ।

†**श्री खुशवक्त राय** : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्यों में जो शक्कर के फुटकर विक्रता हैं उन क ऊपर भी कोई नियंत्रण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खुशवक्त राय** : क्या राज्यों में चीनी के फुटकर विक्रेताओं पर भी कोई नियंत्रण है ?

†**श्री अ० म० थामस** : राज्यों में नियंत्रण के सम्बन्ध में उपयक्त विनिमय बनाने का काम विभिन्न राज्य सरकारों का है । कुछ एक राज्यों में चीनी के वितरण पर नियंत्रण है । कुछ एक अन्य राज्यों में इस संबंध में अन्तिम रूप से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है और कुछ एक राज्यों में चीनी अभी तक गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा बेची जाती है, परन्तु कीमतों पर समुचित नियंत्रण विद्यमान है । जहां तक नियंत्रित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वहां के भाव निश्चित करने के आधार की व्याख्या मैं ने पहले ही कर दी है । जहां तक बम्बई तथा दक्षिण के कमी वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है , उन पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, परन्तु वहा भी चीनी के फैक्टरी पर भावों और बिक्री के भावों के सम्बन्ध में अनौपचारिक समझौता है ।

†**श्री रंगा** : क्या हम अभी तक चीनी का निर्यात कर रहे हैं; और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

†**श्री अ० म० थामस** : चीनी का निर्यात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के गन्ने के काश्तकार सरकार द्वारा घोषित की गयी गन्ने की कीमतों से संतुष्ट नहीं है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ने के काश्तकारों ने यह निर्णय किया है कि जब तक २ रुपये मन बढ़ायी गयी कीमत उन्हें न दी जायेगी तब तक वे फैक्टरियों को गन्ना संभारित न करेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : गन्ने की कीमतें निश्चित करते समय हमें अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिये । कुछ एक सदस्यों ने अभी अभी यह कहा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, उसका गेहूं पर बूरा असर पड़ेगा । इस सम्बन्ध में जो रियायतें दी जा रही हैं; उन्हें देखते हुए गन्ने की १/७/– से १/१०/– प्रतिमन कीमतें पर्याप्त हैं । संभव है कि जो और रियायतें दी जा रहीं हैं, उन से गन्ने के काश्तकारों को और भी अधिक धन की प्राप्ति हो, क्योंकि कुछ एक प्रशुल्क हटाये जा रहे हैं । उस से और अधिक कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि वैसा करने से सभी कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी हाल में मंत्री महोदय ने एक बयान दिया था कि ऊंची कीमत पर चीनी अगर लोग न खरीदें तो चीनी के दाम ठीक आ जाएंगे । लेकिन देहात के क्षेत्रों के लिए रिटेल की दुकाने मुकर्रर नहीं की गयी हैं इसलिए देहात के लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी अगर वह चीनी ऊंचे दामों पर नहीं खरीदेंगे । क्या माननीय मंत्री इस विषय पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री स० का० पाटिल : यह मेरी राय है कि ज्यादा प्राइस दे कर शक्कर न खरीदी जाये । शक्कर के बिना आदमी कभी मरता नहीं है । उस की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि गेहूं और चावल की हो सकती है । एक तरह से हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम इस को एनकरेज न करें । वह हमारी ओपीनियन है । गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई रूल्स वगैरह कुछ नहीं निकला है ।

†**श्री सुब्बयाअम्बलम** : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि मद्रास को पर्याप्त मात्रा में चीनी संभरित की गयी है । उन्होंने यह भी बताया है कि व्यापारी नियंत्रित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर चीनी बेच रहे हैं । क्या सरकार चीनी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही करने का कोई विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** उनके लाइसेंस रद्द किये जा सकते हैं । हम विभिन्न राज्यों को चीनी का कोटा संभरित कर देते हैं और फिर राज्य ही इस सम्बन्ध में समुचित नियंत्रण रखते हैं । संभव है कि व्यापारियों के पास पहले से ही कुछ चीनी पड़ी हो, और उस पर वे अधिक कीमत ले रहे हों । उस चीनी पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है ।

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर

†*३६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में लौह अयस्क के परिवहन के लिये पूर्णरूपेण वेल्ड किये गये माल-डिब्बे तैयार किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो, अभी तक ऐसे कितने माल डिब्बे तैयार किये जा चुके हैं ; और

(क) इन डिब्बों में पूर्ववर्ती डिब्बों की अपेक्षा क्या क्या विशेषतायें पाई जाती हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां, इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में इस प्रकार के डिब्बों के नमूने (प्रोटोटाइप) तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) इन डिब्बों की मुख्य विशेषता यह है कि इन का वजन कम होगा और परिणाम-स्वरूप उन में अधिक सामान ले जाया जा सकेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** फैक्टरी में अभी तक नमूने के तौर पर कितने डिब्बे (प्रोटोटाइप वैगन) तैयार हो चुके हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** एक भी नहीं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** निर्माण कार्य तो प्रारम्भ हो चुका है । इसी वर्ष के मई मास में आर्डर दिये गये थे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इन डिब्बों पर कितनी लागत आयेगी ? क्या उन पर साधारण डिब्बों की अपेक्षा अधिक लागत आयेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** लागत के बारे में निश्चित रुप से तो बाद में ही पता लग सकेगा, परन्तु अनुमान है कि उस पर लगभग ६५,००० रुपयों की लागत आयेगी । यह ठीक है कि उस पर साधारण डिब्बों की तुलना में अधिक खर्च आयेगा परन्तु उसकी सामान ले जाने की क्षमता साधारण डिब्बों से तीन गुना अधिक होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी, मेसर्स ब्रेथवेट और मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी सम्पूर्ण रिवट वाले डिब्बों का निर्माण कर रहे हैं ? क्या उन फैक्टरियों में सम्पूर्ण वेल्ड किये हुए डिब्बों का भी निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने उनका ध्यान सम्पूर्ण वेल्ड किये हुए डिब्बों की उपयोगिता की ओर आकृष्ट किया है और हमें आशा है कि वे शीघ्र ही इन डिब्बों का निर्माण प्रारम्भ कर देंगे ?

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : माननीय मंत्री ने हाल ही में यह बताया है कि इन डिब्बों की लागत के बारे में निश्चित रूप से अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा सकता । क्या सरकार इनकी लागत के बारे में निश्चित रूप से जानने से पहले ही निर्माण प्रारम्भ कर देगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं ने बता दिया है कि उस पर लगभग ६५,००० रुपयों की लागत आयेगी ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : रिबट वाले डिब्बे सस्ते पड़ेंगे या वेल्डिंग वाले ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता कि कौन से डिब्बे सस्ते पड़ेंगे, परन्तु संभव है कि रिबट वाले डिब्बे कुछ सस्ते पड़ेंगे । परन्तु वेल्डिंग के डिब्बों की विशेषता यह होगी कि उन में सामान अधिक मात्रा में ले जाया जा सकेगा ।

†**श्री तंगामणि** : इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में इस वर्ष की समाप्ति से पहले कितने डिब्बे तैयार हो जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम केवल चार "प्रोटोटाइप" तैयार कर रहे हैं । उनके तैयार हो जाने पर और विभिन्न परीक्षण हो जाने के बाद हम फैसला करेंगे कि उस सम्बन्ध में क्या किया जाये ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि उस पर आने वाली अधिक लागत उसकी धारिता अधिक होने के फलस्वरुप होने वाली अधिक आमदनी से पूरी हो जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि अयस्क के परिवहन के लिये वेल्डिंग वाले डिब्बों के निर्माण के लिये मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के साथ बात चीत बहुत दिनों से चल रही है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सम्पूर्ण वेल्डिंग वाले डिब्बे अभी तैयार नहीं किये जा सके हैं, क्या सरकार की अब यह दृढ़ नीति है कि इन डिब्बों के अतिरिक्त और कोई भी डिब्बे तैयार नहीं करवाये जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान के वनविभाग के लिये लकड़ी के लट्ठों की खरीद

+

†*४०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, १९५९ में अथवा उसके आस पास मिडिल अन्दमान डिपुओं में वन विभाग को लकड़ी के लट्ठों के संभरण के लिये दो बार टेंडर मांगे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो किन किन पार्टियों की ओर से टेंडर प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या न्यूनतम कीमत वाला टेन्डर स्वीकार किया गया था; और

(घ) उस समय मुख्य वन संरक्षक कौन था ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख):** (क) से (घ). अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के चीफ कमिश्नर से अपेक्षित जानकारी मांगी गयी है। प्राप्त होते ही जानकारी पटल पर रख दी जायेगी।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि हिमाचल में सैंकड़ों मील लम्बे ऐसे जंगल हैं, जिनमें खर्शू नाम के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और वे टीकवुड से बहुत ज्यादा मजबूत और ज्यादा देर तक चलने वाले हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का प्रयत्न किया जायेगा कि उसको रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जाय, ताकि मजदूरी और दूसरे रूप में धन अपने ही देश में रहे।

डा० पं० शा० देशमुख : इस बात का मुझे खास ज्ञान तो नहीं है, मगर हिमाचल प्रदेश में एक फारेस्ट डिपार्टमेंट है, जो हर एक टिम्बर की वैल्यू जानता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आनरेबल मेम्बर साहब ने जो सूचना दी है, उसकी तरफ उसका ध्यान जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि मैंने इस प्रश्न की सूचना एक मास से भी पहले दी थी, परन्तु अभी तक जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकी है? क्या इसमें कोई गुप्त बात है जिसके कारण मंत्री महोदय इस जानकारी को बाद में पटल पर रखना चाहते हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई भी गुप्त बात नहीं है। हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यह टेंडर कच्ची लकड़ी के लिये मांगा गया था या कि पक्की लकड़ी के लिये ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे बोर्ड के सदस्य

†*४१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रलवे बोर्ड के सदस्यों के कितने स्थान कितने समय तक खाली पड़े रहे;

(ख) इन स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है; और

(ग) क्या अब यह निर्णय कर दिया गया है कि कुछ एक स्थानों को खाली ही छोड़ दिया जाये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस समय कोई भी स्थान खाली नहीं है। पहले दो स्थान खाली थे। एक ३०-६-५९ से २९-१०-५९ तक और दूसरा ३१-७-५९ से २६-१०-५९ तक खाली था।

(ख) ये संवरण पद हैं और इन पर पदाधिकारियों की नियुक्ति, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति की स्वीकृति से, रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से की जाती है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उन स्थानों के इतने समय खाली रहने के क्या कारण थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक स्थान जुलाई में खाली हुआ था और उसे अक्तूबर में भर दिया गया था। दूसरा स्थान जून में खाली हुआ था और वह भी अक्तूबर में भर दिया गया था ?

†**श्री रंगा** : तीन महीनों तक बिना दो स्थानों के बोर्ड का काम चलता रहा। उन स्थानों को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस पर कोई सामान्य चर्चा करने का इरादा है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं या कोई विशेष घटना घटी थी जिसके कारण इन स्थानों को भरने के सम्बन्ध में समय पर विचार ही नहीं किया जा सका था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने बता दिया है कि इन स्थानों के लिये वरिष्ठ अधिकारियों में से योग्य व्यक्तियों को चुनने में कुछ समय लग गया था।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इस से यह तात्पर्य निकलता है कि दो मास तक ये स्थान खाली रहे और फिर भी काम चलता रहा और इसलिये ये स्थान वास्तव में आवश्यक हैं ही नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह महसूस कर रहे हैं कि इतने अधिक महत्वपूर्ण स्थानों को भरने में दो तीन महीनों का जो समय लगा है, यह बहुत ज्यादा है। इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसका कोई विशेष कारण तो नहीं है। उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने में प्रशासनिक कारणों से कुछ देर लग गयी थी। जैसा कि सभा को ज्ञात है, रेलवे बोर्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

के चेयरमैन अस्वस्थ रहे हैं और उनका एक बड़ा ओपरेशन हुआ है। इसलिये उन्हें रेलवे बोर्ड से जाना पड़ा है। दूसरे सदस्य को इस बोर्ड को छोड़कर आणविक शक्ति आयोग में जाना पड़ा था।

उकई परियोजना

†*४२. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वाल्वी :
श्री खीमजी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उकई परियोजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने विशेषज्ञ समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है :—

(१) एक डिजाइन वर्ष में उपलब्ध होने वाले कुछ ९१·८० लाख एकड़ फुट पानी में से ६० लाख एकड़ फुट पानी उकई की ऊपर की तलहटी के लिये निर्धारित किया जाय और शेष ३१·८० लाख एकड़ फुट पानी उकई में तथा उससे नीचे के क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिये निर्धारित किया जाये।

(२) बांध का सबसे अधिक मितव्ययी साइज वह होगा जिसमें कि ३४५ फुट के लेवल वाला जलाशय हो।

(३) समिति की गणना के अनुसार प्रतिवर्ष १,२०,००० किलोवाट विद्युत पैदा करने पर और लगभग ३,९१,६५० एकड़ क्षेत्र की सम्पूर्ण सिंचाई के कार्य पर लगभग ६१.५७ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे।

†श्री पु० र० पटेल : क्या उकई परियोजना प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी थी और यदि हां, तो उस योजना को अन्तिम रूप देने में इतनी देर क्यों लगी है ?

†श्री हाथी : क्योंकि इसके बारे में जांच की जा रही थी और ऐसी कई प्रविधिक बातें थीं जिन पर विचार करना आवश्यक था।

†श्री खीमजी : क्या बम्बई सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री हाथी : वे सिफारिशें बम्बई सरकार के पास भेज दी गयी थीं। बम्बई सरकार इनके सम्बन्ध में और अधिक विचार विमर्श करना चाहती थी। अतः विचार विमर्श भी किया

†मूल अंग्रेजी में

गया और अन्त में बम्बई सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये योजना आयोग से मंजूरी मांगी थी और वह मंजूरी दे दी गयी थी । अब परियोजना प्रारम्भ कर दी गयी है ।

†**श्री खीमजी** : क्या यह रिपोर्ट सच है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री २८ तारीख को या उसके आस-पास इस परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जी, हाँ । यह सच है, २७ तारीख को ।

†**श्री आसर** : क्या सरकार को ज्ञात है कि उकई परियोजना के विरोध में शिकायतें भेजी जा रही हैं, और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**श्री हाथी** : हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं आयी । संभव है कि बम्बई सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई हो ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या यह सच है कि बांध की ऊंचाई जो पहले निश्चित की गयी थी, अब विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कम कर दी गई है ? क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वहां से पैदा की जाने वाली बिजली की मात्रा भी कम कर दी गयी है ; और यदि हां, तो बांध की ऊंचाई, पैदा की जाने वाली बिजली की मात्रा और सींची जाने वाली भूमि के क्षेत्र में कितनी कमी कर दी गयी है ?

†**श्री हाथी** : बांध की ऊंचाई को ३५१ फुट से घटा कर ३४५ फुट कर दिया गया है ।

†**श्री याज्ञिक** : और बिजली में कितनी कमी होगी ?

†**श्री हाथी** : विद्युत् में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । लगभग १२०,००० किलोवाट विद्युत पदा की जायेगी ।

†**श्री याज्ञिक** : और इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप सींची जाने वाली भूमि के क्षेत्र में कितनी कमी हो जायेगी ?

†**श्री हाथी** : इसमें भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । इससे काकड़ापाड़ा परियोजना के अधीन सींची जाने वाली भूमि के वर्तमान क्षेत्र में सारे वर्ष सिंचाई की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : उकई बांध के निर्माण से कितने एकड़ उर्वर कृषि योग्य भूमि पानी के अन्दर आ जायेगी ?

†**श्री हाथी** : ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री क० उ० परमार** : क्या यह सच है कि उकई परियोजना के लिये मंगाई गयी मशीनरी तथा उपकरण कोयना परियोजना के लिये भेज दिये गये हैं ? इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने गुजरात के साथ अन्याय करने के लिये ही वैसा किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शॉन्ति ।

†**श्री हाथी** : मैं उक्त कथन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । परन्तु किसी भी राज्य में जो भी मशीनरी आती है उसे उस राज्य के अन्दर की किसी भी परियोजना के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये काम में लाया जा सकता है। इन बातों के बारे में फैसला करना राज्य सरकार का काम है।

†श्री जाधव : इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी और इससे किस किस जिले की भूमि को सींचा जायेगा ?

†श्री हाथी : उस पर लगभग ६१·५७ करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

†श्री गोरे : माननीय मंत्री ने बताया है कि उन्हें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि उस बांध में कितना भूमि पानी में डूब जायेगी। क्या वे बता सकते हैं कि उसके लिये कितने गांव खाली करने पड़ेंगे ?

†श्री हाथी : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है।

गोदाम अधिकारियों का चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन[1]

+
†*४३. { श्री गोरे :
श्री वाल्वी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदाम अधिकारियों का चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन १४ और १५ सितम्बर, १९५९ को पूना में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या निश्चय हुये ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) हां, पूना में गोदाम अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था और उस में रिजर्व बैंक और राज्य बैंक के प्रतिनिधियों, कई राज्य गोदाम निगमों के प्रबन्ध निदेशकों, कई राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया था।

(ख) सम्मेलन में विभिन्न राज्यों में गोदाम योजना के लागू करने में दिन प्रति दिन उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों व समस्याओं पर विचार किया गया था। कुछ सामान्य विषयों पर, जैसे, विभिन्न राज्य निगम और केन्द्रीय निगम तृतीय योजना के लिये जिस रूप में योजना बनायें उस पर, समस्त निगमों के लिये संयुक्त स्वयं-बीमा योजना (ज्वाइंट सेल्फ-इंश्योरेंस स्कीम) बनाने की संभावना पर और सामान्य निर्माण एजेंसी पर भी विचार किया गया था। इन विचार विमर्शों की दृष्टि से विभिन्न निगम अपने निश्चित विचार बनायेंगी।

†श्री गोरे : आगामी दो वर्षों में कितने गोदाम बनने की संभावना है ?

†श्री अ० म० थामस : विद्यमान गोदामों की कुल क्षमता करीब ८४,००० टन है। केन्द्रीय गोदाम योजना के अन्तर्गत काम कर रहे गोदामों की कुल संख्या ९ है। राज्यों में इनकी संख्या ४२ है।

†श्री गोरे : मैंने पूछा था कि आगामी दो वर्षों में कितने गोदाम बनने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Fourth All-India Conference of Warehousemen.

†**श्री अ० म० थामस :** अब ५,००० टन की क्षमता के गोदाम बनाने का प्रोग्राम मंजूर हो गया है। ११,३०० टन क्षमता के और गोदाम बनाने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है। हमारा विचार है कि हम १९५९–६० में अन्य ७ केन्द्रों में और ३५,००० टन क्षमता के गोदामों की योजना बना सकेंगे ।

†**श्री गोरे :** गांवों की कुल संख्या और गोदामों की संख्या में क्या अनुपात होगा ? क्या लगभग १० या १५ गांवों के लिये एक गोदाम होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** गोदाम निगमों और सरकारी गोदामों के बारे में हम यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि तृतीय पंचवर्ष योजना में हम अधिक गोदाम बनायें ताकि ऐसी स्थिति आ जाये कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिये एक गोदाम हो। अतः समूची योजना विचाराधीन है। अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है। हमारे वर्तमान प्रयोग और भावी प्रयोग के लिये गोदामों की संख्या उनकी विद्यमान संख्या से कई गुनी अधिक बढ़ानी होगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या हमारे किसी भारतीय गोदाम अधिकारी ने बफ़र स्टाक रखने के लिये गोदाम बनाने का, प्रस्ताव किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हमने एक आधुनिक गोदाम बनाया है जो कि कहीं के भी सर्वश्रेष्ठ गोदाम में से एक है। मैं 'साइलों' की बाबत नहीं कह रहा हूं। मेरा अभिप्राय साधारण गोदामों से है। हस्टाक में वृद्धि होने की स्थिति आदि में उनका अनुमोदन विदेशी विशेषज्ञों ने भी किया है। दूसरी योजना के अन्तर्गत हमने निर्माण-व्यय भी कम कर दिया है। इस **सब** पर ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्री तिरुमल राव :** शब्द 'गोदाम अधिकारियों' से क्या अभिप्राय है ? क्या इसका अभिप्राय गोदामों का प्रबन्ध करने वाले डाइरेक्टरों से है या वास्तव गोदामों के इंचार्जों से है ?

†**श्री अ० म० थामस** : गोदाम के इंचार्जों से ।

†**श्री तिरुमल राव :** सरकारी कर्मचारियों से ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी हां ।

†**श्री गोरे** : क्या काश्तकार विद्यमान गोदामों का पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** हां, श्रीमान्। हमें यही ज्ञात है कि अधिकतर गोदामों का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान स्टाक के आंकड़ों से विदित होता है कि ३२९,००० मन विभिन्न अनाज भरे हुये हैं ।

†**श्री गोरे :** कुल क्षमता का कितना प्रतिशत प्रयोग हो रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस :** अब लगभग समूची क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है ।

†**श्री जाधव :** तृतीय योजना में कितने गांवों के लिये गोदाम होंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं ने कहा था कि गोदाम सामुदायिक खंड के लिये होना चाहिये। गांवों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है परन्तु खण्ड का अपना अस्तित्व है और इसमें कुछ गांव होते हैं ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

रामगंगा परियोजना

*४४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ अगस्त १९५९ के तारांकित, प्रश्न संख्या ३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने रामगंगा परियोजना के लिये आर्थिक और विदेशी मुद्रा के रूप में चालू वर्ष में कितनी सहायता मांगी है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश सरकार के लिये ऋण के रूप में ३७७ लाख रुपये की राशि, विविध विस्तार योजनाओं (मिसलेनियस डिवेलपमेंट स्कीम्स) के लिये निर्धारित कर दी गई है। इन विस्तार योजनाओं में सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी योजनायें भी सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से चालू वर्ष की योजनाओं की सूची की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक रामगंगा परियोजना के लिये ४.२७ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थना की है। इस राशि में से २.१५ लाख रुपयों की स्वीकृति दे दी गई है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस काम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केवल ऋण ही देना चाहती है या और प्रकार से भी सहायता देना चाहती है ?

श्री हाथी : वह जो टेकनिकल ऐडवाइस चाहे वह भी केन्द्रीय सरकार जरूरी देगी।

†**श्री च० द० पांडे** : यह बांध द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पूरा होना था और यह भी मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि इसका निर्माण पूर्णतया बंद हो गया है। इसका क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : यह कहना ठीक नहीं है कि यह द्वितीय योजना काल में पूरा होना था। निश्चित यह हुआ था कि इस योजना का केवल प्रारम्भिक कार्य इस योजना काल में पूरा होगा और आगामी योजना में इसका निर्माण होगा।

†**श्री त्यागी** : अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि केन्द्र ने कुछ धन अनुदान या आर्थिक सहायता के रूप में या यह किसी भी रूप में हो कुछ परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को देना स्वीकार कर लिया है। क्या उन परियोजनाओं में जमना हाइडेल योजना भी सम्मिलित है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : नहीं श्रीमान, वह निश्चय ही इस में सम्मिलित नहीं है। वह सर्वथा भिन्न विषय है और उस पर कहीं अधिक व्यय होगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि यह स्कीम कई वर्षों से खटाई में पड़ी हुई है, यहां तक कि रामगंगा पर जो पुल बनने वाला था, जिस के द्वारा मशीनरी वहां पहुंचने वाली थी, वह भी अभी तक नहीं बन पाया है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को हिदायता देगी कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : नहीं, यह बात सही नहीं है, और किसी की तरफ से कोई गफलत नहीं हो रही है। जहां तक पुल का ताल्लुक है, पुल के लिये स्टील की जरूरत थी, उस के मिलने में देर लगी। अब वह मिल गया है और उस पर काम हो रहा है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राम गंगा प्राजेक्ट कितने बरसों में तैयार हो जायगी ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : ६ सालों में बनेगी।

सेवा सहकारी समितियां

+

†*४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री झूलन सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सरजू पांडे :
श्री हेम राज :
श्री नेक राम नेगी :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **सामुदायिक तथा सहकार** मंत्री ४ अगस्त १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० के वर्ष के शेष काल में सेवा सहकारी समितियां बनाने का प्रोग्राम तय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रोग्राम का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति** :) : (क) हां।

(ख) राज्यवार प्रोग्राम का ब्यौरा पटल पर रखे गये विवरण में दिया है। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६)**

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : अब तक आसाम को इस योजना के लिए कितना दिया गया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : केन्द्रीय और राज्य सरकारें समितियों को कुछ आर्थिक सहायता देने में मिलकर अर्थ व्यवस्था करेंगी। १९५९–६० में समस्त राज्यों के लिए कुल राशि ५९.२५ लाख रु० होगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : अब तक कितनी विद्यमान समितियों का पुनर्गठन हो गया है और कितनी नई बनी हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह विवरण में दिया हुआ है। तेईस हज़ार अड़सठ पुरानी समितियां पुनर्गठित की जायेंगी और १५,७२७ नई बनाई जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : अब तक कितनी पुनर्गठित हो चुकी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह विवरण में नहीं दिया है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह विवरण में नहीं है ।

†**श्री हेम राज** : पुराना सहकारिता विधान बहुत उलझा हुआ है और जमीदारों को अपने ऋण लेने में बहुत परेशानी होती है । अतः सेवा सहकारी समितियों को सफल बनाने के लिए इस विधान को सामान्य बनाने की क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : राज्य सरकारों से इसकी जांच करने और विद्यमान सहकारिता विधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है ।

†**श्री तंगामणि** : मद्रास में बनने वाली ५०० नई सेवा समितियों में से कितनी समितियां बन गई हैं ? प्रोग्राम में मद्रास की संख्या इतनी थोड़ी क्यों है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह योजना अगस्त १९५९ में स्वीकृत हुई है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी बन गई हैं या कितनी पुनर्गठित हो गई हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सेवा सहकारी समितियों की सहायता के लिए कोई प्रभावी मशीनरी बनाई है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : हां, श्रीमान। सरकार खंड-स्तर पर देर भाल करने वाली समितियां और जिला व राज्य समितियां बनाने का प्रयत्न कर रही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इस रफतार से तीन साल के निश्चित काम में सारे देश में अच्छी सेवा सहकारी समितियां बन जायेंगी जब कि ग्यारह मास समाप्त भी हो चुके हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यदि सारे संसत्सदस्य सहायता करें तो मैं समझता हूं कि यह काम असम्भव नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस काम को फैलाने में सरकार ने सदस्यों से किस रूप में सहयोग मांगा है ?

†**श्री बासप्पा** : मैसूर में कितनी नई सहकारी समितियां बनी हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति**: अभी यह संख्या जानना असम्भव है ।

†**सेठ गोविन्द दास** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि सहकारिता विधान बदलने के लिए विभिन्न राज्यों को अनुदेश किये गये हैं । क्या माननीय मंत्री को विदित है कि बहुत ही थोड़े राज्यों मे ये विधान बदले गये हैं और इन सहकारी समितियों की कठिनाइयां ज्यों की त्यों हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : सहकारिता राज्य का विषय है और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये हमे राज्य सरकारों को मनाना पड़ता है ।

†**श्री सोनावान** : क्या सेवा सहकारी समिति चाहने वाला प्रत्येक गांव रजिस्टर होगा और उसकी पूंजी के अनुपात में कितना अधिकतम कितना ऋण दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति :** सरकार १००० की जनसंख्या के प्रत्येक गांव में सहकारी समिति बनाना चाहती है और ऋण सहकारी समिति की अंश पूंजी के अनुसार होगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती और कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है । क्या केन्द्रीय सरकार को विदित है कि उसके सुझाव पर राज्य सरकारों ने अपने विधान बदल दिये हैं या उन में संशोधन कर दिया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं ने यह नहीं कहा कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । वास्तव में पिछली जुलाई में मैसूर में सहकार मंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई थी और तब इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया गया था एवं राज्यों के सभी मंत्रियों ने स्वीकार किया था कि विद्यमान सहकारिता विधान में आवश्यक संशोधन होना चाहिए ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : अब तक कितने राज्यों ने विधान में संशोधन किया है ? क्या उन्होंने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : शायद माननीय सदस्या यह जानती हैं कि जुलाई और नवम्बर में कुछ राज्यों की विधान सभाओं की बैठक नहीं हुई हैं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : विवरण से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश के लिए १०,००० सहकारी समितियों का कोटा निर्धारित किया गया है । मैं समझता हूं कि ये समितियां बन गई हैं परन्तु क्या उत्तर प्रदेश के 'नेशनल हराल्ड " के उन विचारों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान गया है जिस मे समाचार-पत्र ने उत्तर प्रदेश में बनी समितियों की वास्तविकता पर सन्देह किया है । क्या उन्होंने इन विचारों की सत्यशीलता की जांच की है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : उत्तर प्रदेश की १०,००० सेवा सहकारी समितियों का ब्यौरा यह है : ६००० सहकारी समितियों का पुनर्गठन होगा और ४००० नई बनाई जायगी । मैं नहीं समझता हूं कि समितियां बनाने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को कोई कठिनाई होगी ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : उत्तर प्रदेश में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर हुई हैं और क्या यह सच है कि पिछले चार मास से भी अधिक समय से रजिस्ट्रेशन के ८० प्रतिशत से अधिक प्रार्थना पत्र अनिश्चित पड़े हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यदि माननीय सदस्य सूचना दें तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : जिन सहकारी समितियों के लिए केवल पुनर्गठन की आवश्यकता हैं उनका पुनर्गठन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रक्रिया स्वीकार की है और यह काम कितना हो गया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : योजना केवल अगस्त में तय हुई है । राज्य सरकारें सिफारिशें लागू कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिमाचल प्रदेश में भूमि उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण

४६. **श्री पद्म देव :**
श्री म० ना० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) योजना विचाराधीन है ।

भटिन्डा के पास चलती रेलगाड़ी में लूट

†*४७. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री सरजू पांडे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ सितम्बर १९५९ को भटिंडा के पास फूस की मंडी के स्टेशन पर दो आदमी जो कपड़ा ओढ़े हुये थे और जिनके पास घातक हथियार थे तीसरे दर्जे के एक जनाने डिब्ब में घुस गये और पिस्तौल दिखाकर सारी स्त्रियों से रुपये और आभूषण ले लिये तथा दो स्त्रियों को रेलगाड़ी से नीचे फैंक दिया ;

(ख) यदि हां, तो लूटी गई सम्पत्ति का मूल्य कितना था ; और

(ग) लुटरों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां । यह घटना २५-९-५९ और २८-९-५९ को हुई थी । दो महिला यात्री स्वयं डिब्बे से बाहर कूद गई और स्त्री को लुटेरों ने उस समय धक्का दे दिया जबकि वह खतरे की जंजीर खीचने का प्रयत्न कर रही थी ।

(ख) लगभग ३९० रु० ।

(ग) इस मामले की जांच करने वाली जिले की पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस अपराधियों का पता लगाने का भरसक प्रयत्न कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद

†*४८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद (दक्षिण) में ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यह कब खुलेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग) . ग्लाइडरों के हवाई अड्डे की स्थापना के लिये अनेकों स्थान देखे गये हैं परन्तु अन्तिम रूप से अभी कोई स्थान नहीं चुना गया है । हैदराबाद में ग्लाइडर हवाई अड्डा बनने के उपरांत ग्लाइडिंग केन्द्र खोला जायेगा ।

रेलों के लिये बलूत के स्लीपर[1]

†*४९. { श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री आचार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों के लिये एक विदेशी फर्म द्वारा बहुत बड़ी संख्या में भेजे गये बलूत के स्लीपर काम में न आ सकने वाले सिद्ध हुये हैं ;

(ख) क्या इनकी जांच देहरादून की वन गवेषणा संस्था के उन विशेषज्ञों ने की है जो इस काम के लिये बम्बई गये थे ;

(ग) क्या निर्यात-कर्ताओं को पूर्ण भुगतान कर दिया है ;

(घ) कितनी हानि हुई है ; और

(ङ) इसकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं । कुछ स्लीपरों में दरार पड़ गई हैं ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) देहरादून की वन गवेषणा संस्था के साथ इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ङ) स्लीपर देने वालों को दोष बता दिये गये हैं और उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Oak Sleepers.

माधोपुर से आगे रेलवे लाइन का बढ़ाना

†*५०. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माधोपुर से आगे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रेलवे लाइन को बढ़ाने की कौन-कौन से वैकल्पिक लाइनों पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या सारी प्रस्तावित वैकल्पिक लाइनों पर जम्मू तथा काश्मीर सरकार के साथ विचार विमर्श हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे लाइन के बारे में अन्तिम निश्चय कब तक हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). माधोपुर से आगे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रेलवे लाइन बनाने से रावी नदी को पार करना होगा। नदी से आगे रेलवे लाइन का बनना नदी पार करने के स्थान पर निर्भर है। स्थान की अभी जांच पड़ताल हो रही है। लाइन के बारे में अन्तिम निश्चय करने के पूर्व राज्य सरकार का मत भी लिया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा। निश्चय जांच पड़ताल होने के बाद ही किया जा सकता है।

हिन्द महा सागर का सर्वेक्षण

†*५१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर का सर्वेक्षण करने की अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना में अनेकों देश भाग लेंगे ;

(ख) सर्वेक्षण में भारत क्या भाग लेगा ; और

(ग) हिन्द महासागर की वे विशेषतायें क्या हैं जिनका उक्त सर्वेक्षण किया जायेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तथा (ख). प्रश्न का उत्तर बाद में प्रधान मंत्री देंगे।

---

† मूल अंग्रेजी में

हैदराबाद में नस्ल सुधार केन्द्र[1]

†*५२. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री रामम् :
श्री वें० वें० राव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हैदराबाद में अनुसंधान परियोजना के रूप में एक नस्ल सुधार केन्द्र खोल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने सांड आयात किये गये हैं और उनका कितना मूल्य है ; और

(ग) आयोजित अनुसंधान का क्या प्रोग्राम है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां ।

(ख) कोई नहीं । परियोजना के अन्तर्गत बंगलौर के केन्द्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से 'जरसी' वीर्य प्राप्त किया जाता है । फिर उससे कृत्रिम गर्भाधान करके प्रजनन किया जाता है । बंगलौर केन्द्र में आयात किये गये चार सांड हैं । इन्हें टैक्निकल कापरेशन मिशन ने उपहार रूप में दिया था ।

(ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

"परियोजना का उद्देश्य "जर्सी" वीर्य से नस्ल सुधार कर ऐसी गायें पैदा करना है जो अधिक दूध दें और स्थानीय स्थितियों के अनुकूल हों । इस उद्देश्य के लिये, हैदराबाद में एक मुख्य केन्द्र और सिकन्दराबाद, उप्पल, शमशाबाद तथा रोआद्रुग में चार उपकेन्द्र खोले गये हैं । मुख्य प्रोग्राम निम्न हैं :

(१) ढोर संख्या का सर्वेक्षण एवं उनके दूध की मात्रा, अभिजनन, चारा और प्रबन्ध संबंधी प्रथाओं की जानकारी एकत्रित करना ।

(२) समस्त प्राकृतिक मैथुन रोकने के लिये अभिजनन नियंत्रित करना ।

(३) कृत्रिम मैथुन के लिये 'जर्सी वीर्य' का प्रयोग करना तथा इसके लिये आवश्यक सुविधायें देना ।

(४) जर्सी वीर्य से पैदा हुये ढोरों का स्थानीय स्थितियों के अनुकूल बनने में विभिन्न स्तरों पर अध्ययन करना ताकि उनका सर्वाधिक उपयुक्त आधार निश्चित किया जा सके ।

वीसापुर के पास रेलगाड़ी का लाइन से उतरना

†*५३. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ को वीसापुर और बेलवांडी के बीच एक यात्री रेल गाड़ी के लाइन से उत्तर जाने के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Cross Breeding Centre.

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जांच पड़ताल हो रही है।

(ख) ४६,००० रु० के मूल्य की रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

उड़ीसा सरकार को हीराकुड बांध का नियंत्रण सौंपना

*५४. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री वै० च० मल्कि :
श्री संगण्णा :
श्री हेम बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को हीराकुड बांध का नियंत्रण सौंपने के बारे में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्री की दिल्ली में अभी हाल में एक बैठक हुई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या वह हस्तान्तरण मान लिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो वह हस्तान्तरण कब होगा; और

(घ) उस हस्तान्तरण का वित्तीय ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पहली अप्रैल, १९६० को।

(घ) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) निर्माण प्राक्कलन (एस्टिमेट) की प्रथम अवस्था ३१ मार्च, १९६० से समाप्त हो जायेगी तथा राज्य सरकार १ अप्रैल, १९६० से पूर्णित परियोजना के सम्पोषण (मेन्टेनैन्स) का जिम्मा अपने पर ले लेगी।

(ख) परियोजना का राजस्व (रेवेन्यू) तथा व्यय एवं पूंजी पर व्याज राज्य के आय-व्ययक (बजट) में १ अप्रैल, १९६० से मिला दिया जायेगा।

(ग) आगामी दो वित्तीय वर्षों के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऋण देगी ताकि नियमों के अनुसार परियोजना की पूंजी पर दिये हुये व्याज और शुद्ध प्राप्तियों में, सम्पोषण (मेन्टेनैन्स) तथा अवक्षयन (डैप ीसिएशन) को निकाल कर, भेद मिट जाये।

(घ) पूर्व अनुच्छेद में कथित ऋण 'साधारण कार्यों के लिये ऋण' माना जायेगा। अतः परियोजना की मूल लागत में नहीं सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ) 'चिपलिमा परियोजना' एक पृथक् 'योजना का परियोजना भाग २' माना जायेगा। परियोजना के निर्माणार्थ केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को वित्त प्रदान करेगी। इसमें निर्माण अवधि में होने वाला व्याज भी सम्मिलित होगा। जब यह परियोजना समाप्त हो जायेगी तथा इसके प्राक्कलन बंद हो जायेंगे तो पूंजी का व्याज एवं तत्सम्बन्धी प्राप्ति तथा व्यय राज्य के राजस्व का भाग बन जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिंगोली–खण्डवा रेल सम्पर्क

†*५५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिंगोली–खण्डवा रेल सम्पर्क पर जो चौंतीस बड़े पुल बन रहे थे उनमें से कितने इस बीच पूरे हो गये हैं ;

(ख) क्या इन पुलों के लिये अपेक्षित सभी शहतीरें आ गयी हैं;

(ग) क्या कारंजगांव और अकोला के बीच रेलवे लाइन शीघ्र ही यात्री यातायात के लिये खोल दी जायेगी,

(घ) यह पूरा सम्पर्क कब तक पूरा होगा और यात्री यातायात के लिये खुलेगा; और

(ङ) ३० सितम्बर, १९५९ तक इस सम्पर्क पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अठारह।

(ख) जी हां, सिर्फ पाँच मेहराबों को छोड़कर।

(ग) जी हां, इन्टरलेक्शन के दिसम्बर, १९५९ के प्रथम सप्ताह तक खुल जाने की आशा है ।

(घ) आशा की जाती है कि यह पूरा सम्पर्क दिसम्बर, १९६० के अंत पूरा होकर यात्री यातायात के लिये खुल जायगा।

(ङ) ९.५० करोड़ रुपये ।

दिल्ली के 'मास्टर प्लान' का समय से पूर्व प्रगट हो जाना

†*५६. **श्री वाजपेयी :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री अन्सार हरवानी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामजी वर्मा :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री कोडियान :
श्री हेम बरुआ :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के चीफ कमिश्नर से नगर नियोजन संगठन द्वारा तैयार किये गये दिल्ली के 'मास्टर प्लान' के समय से पूर्व प्रगट हो जाने के संबंध में जाँच करने के लिये कहा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या जाँच आरम्भ कर दी गयी है;

(ग) जाँच-निकाय में कौन-कौन हैं और इसके निर्देश पद क्या हैं; और

(घ) जांच में कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) जाँच की जा रही है।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में २९ अक्तूबर, १९५९ को दिल्ली के चीफ कमिश्नर के नाम भेजे गये पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

(घ) चीफ कमिश्नर के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

एयर इंडिया इंटरनेशनल की नयी लंदन यात्रा-योजना

†*५७. **श्री सै० अ० मेंहदी :**
श्री ओझा :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल ने लन्दन जाने वाले लोगों को एक बैंक से ऋण दिलाने की कोई नयी योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) कितने भारतीय यात्रियों ने इस अवसर से लाभ उठाया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण मैं लोक-सभा पटल पर रखता हूँ। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

'ओबेरान' का डूबना

†*५८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ सितम्बर, १९५९ को हुगली में पोत 'ओबेरान' के डूबने की घटना की कोई जाँच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो जाँच का क्या परिणाम निकला है;

(ग) दुर्घटना में हत कर्मचारियों के ओहदे क्या थे;

(घ) क्या मृतकों के परिवारों को कुछ मुआवजा दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक के संबंध में कितना-कितना मुआवजा दिया गया है;

(च) यदि भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो तो भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) इस दुर्घटना के फलस्वरूप सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (छ). एक विवरण सभा–पटल पर रख जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

राष्ट्रीय राजपथ

†***५९. श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में भारत के राज्य व्यापार निगम लि० को सीमेंट के वितरण से जो मुनाफा हुआ है उसके कितने अंश का उपयोग राष्ट्रीय राजपथों के सुधार में किया गया है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजपथों के लिये कुछ भी राशि का उपयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजपथों के कुछ भागों पर सीमेंट कन्क्रीट बिछाने में ६·९९ करोड़ रुपयों का व्यय करने और कुछ नयी सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों के रूप में विकसित करने के निमित्त २ करोड़ रुपये लगाने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है और योजना आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये विशिष्ट प्रस्ताव उनके पास भेजे गये हैं।

जलवर्णना सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर्स[1])

†***६०. श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के जलवर्णना सर्वेक्षकों (हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर्स) का उपयोग अन्य छोटे पत्तनों, अन्तर्देशीय जल सर्वेक्षण, सीमावर्ती नदी सर्वेक्षण आदि में करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इनका उपयोग किस रूप में किया जायगा;

(ग) कलकत्ता पत्तन में इस प्रकार के सर्वेक्षकों (सर्वेयर्स) की वर्तमान संख्या कितनी है ;

(घ) क्या इस प्रकार के सर्वेक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स रिवर सर्वे सर्विस के लिये स्वीकृत कर्मचारियों का ब्यौरा इस प्रकार है: रिवर सर्वेयर का एक पद, रिवर सर्वेयर आन स्पेशल ड्यूटी का एक अस्थायी पद, डिप्टी रिवर सर्वेयर का एक पद और असिस्टेंट रिवर सर्वेयरों के ३६ पद (३४ स्थायी और २ अस्थायी)।

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Hydrographic Surveyors.

(घ) और (ङ). कलकत्ता पोर्ट की मश्नरों ने हुगली में बढ़े हुए सर्वेक्षण कार्य के लिये असिस्टेंट रिवर सर्वेयर्स के ३ पदों की स्थापना के लिये हाल ही में आवेदन किया था। उनसे यह बताने को कहा गया है कि सर्वेक्षण कार्य में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है और तीन और भी पदों की स्थापना के लिये किस आधार पर आवेदन किया गया है।

आसाम-अगरतला मार्ग

†*६१. **श्री दशरथ देब :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि क्या आसाम-अगरतला मार्ग की हालत खराब हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी दशा बिगड़ने के क्या कारणहैं; और

(ग) उस सड़क की हालत सुधारने के लिये तत्काल क्या कार्यवाही करने का सुझाव है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). आसाम अगरतला मार्ग की दशा खराब नहीं हुई है। पिछले मानसून में सड़क को मामूली क्षति पहुंची थी। पहाड़ी विशेष रूप से नयी बनी सड़कों का इस प्रकार क्षतिग्रस्त होना आम बात है। सड़क पर थ्रू यातायात सदैव कायम रखा गया है।

डाक तथा तार शिकायत-विभाग

†*६२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार शिकायत विभाग समाप्त कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार विशिष्ट सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) से (ग). शिकायत-सेक्शन को समाप्त नहीं वरन् सरकार द्वारा विभागों की कार्य पद्धति की जांच के लिये नियुक्त विशेष पुनर्गठन यूनिट की सिफारिशों के अनुसार उसका पुनर्गठन कर दिया गया है इस पुनर्गठन का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करने का था जिसमें सार्वजनिक शिकायतों की जांच और उनके निबटारे में शीघ्रता लाई जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके और सर्विसों के दोष दूर कर उनकी दक्षता बढ़ाने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त किये जा सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के लिये हीराकुड बिजली

†६३. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा सरकार को इस बात के लिये राज़ी कर लेने का अनुरोध किया है कि वह हीराकुड बांध परियोजना से कम से कम ५,००० किलोवाट बिजली उन्हें दे दे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) हीराकुड बांध परियोजना से मध्य प्रदेश को ५,००० किलोवाट बिजली का सम्भरण करने के प्रस्ताव पर २५ सितम्बर, १९५९ को हुई हीराकुड नियन्त्रण बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी थी । नियन्त्रण बोर्ड का विचार था कि रायगढ़ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हीराकुड बांध परियोजना को १९६१ के अन्त तक मध्य प्रदेश को ५ ००० किलोवाट बिजली दे देनी चाहिये । नियन्त्रण बोर्ड की सिफारिश पर आगे की कार्यवाही उड़ीसा सरकार करेगी ।

नई दिल्ली में विश्व कृषि मेला

†*६४. **श्री श्रीनारयण दास :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वाजपेयी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री सूपकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में विश्व कृषि मेले का आयोजन करने की दिशा में तब से और कितनी ति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कुछ देशों ने जो पहले इस मेले में भाग लेने को राजी थे, अब इस मेले में भाग नहीं ले रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) ये किन कारणों से भाग नहीं ले रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) विश्व कृषि मेले के सचिव द्वारा भेजा गया २१-८-१९५९ के बाद से विश्व कृषि मेले के आयोजन में हुई प्रगति का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) केवल एक देश ने मेले में भाग न लेने का निश्चय किया है।

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य।

(घ) कोई कारण नहीं बताया गया है।

अनाजों का क्रमस्थापन[1]

†*६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाजों के क्रमस्थापन की एकसम योजना इस समय किस स्थिति में है; और

(ख) छोटे व्यापारियों द्वारा अनाज रखने की छोटी निर्मितियों के प्रतिमान निर्धारित करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) यह योजना अब भी विचाराधीन है।

(ख) योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति १०० से २००० टन तक की क्षमता वाले गोदामों के डिजायनों की जांच कर रही है।

अनाज का राजकीय व्यापार

†*६६. **श्री वाल्वी** :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाजों के राजकीय व्यापार की योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में जो परिपत्र भेजा गया था क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से उसका उत्तर मिल गया है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्य सरकारों के उत्तर आ गये हैं।

(ख) ४ अगस्त, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर में जैसा बताया जा चुका है, राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य के थोक व्यापारियों को लाइसेंस दे दिये हैं। सहकारी समितियों को संगठित और विकसित करने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय सरकार और

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Gradation

राज्य सरकारों ने इस वर्ष विभिन्न राज्यों में लगभग १३.६ लाख टन चावल और धान तथा २.३८ लाख टन गेंहूं खरीद लिया है।

मंडुआडीह में इंजन के पुर्जों का कारखाना

†६७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **रेलवे** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस के पास मंडुआडीह में इंजन के पुर्जों का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कारखाने पर सम्भवत: कितना खर्च होगा ;

(ग) यह कारखाना इंजन के पुर्जे सम्भवत: कब तक तैयार करने लगेगा; और

(घ) उक्त कारखाने के निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)[1]: (क) कारखाने तक बड़ी लाइन की साइडिंग बन गयी है।। कर्मचारियों के रहने के लिये मकान बनाने का ८०फी सदी काम पूरा हो चुका है। पानी की व्यवस्था करने और गन्दी नालियां बनाने जैसे ज़रूरी काम भी हो रहे हैं। मुख्य कारखाना बनाने के लिए टेंडर मंजूर कर लिये गये हैं और यह काम भी जल्द शुरू हो जायेगा।

(ख) पूरी योजना पर ४.७९ करोड़ रुपये और पहले चरण[1] पर २.५६ करोड़ रुपये, जिसे दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक पूरा करना है।

(ग) १९६१ में।

(घ) मुख्य कारखाने की इमारत बनाने के लिये टेंडर मंजूर कर लिये गये हैं और कारखाना प्रशासन[2] से कहा गया है कि इस काम को जल्द पूरा किया जाय।

गाजियाबाद के निकट महिला यात्री पर आक्रमण

†*६८. **श्री पद्म देव :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री नरदेव स्नातक :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सरजू पांडे :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ सितम्बर, १९५९ की रात को गाजियाबाद के निकट पिलखुवा और डासना के बीच बम्बई की एक पच्चीस वर्षीया युवती को चलती गाड़ी में गोली मार दी गयी जिससे वह सख्त घायल हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आक्रमणकारी गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]First Phase
[2]Workshop Administration

(घ) ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी हां । २६-९-५९ को ३२ वर्षीया कुमारी रोडा ड्राइवर, जो नैनीताल में नौकरी करती हैं, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद-दिल्ली सेक्शन पर एक दिल्ली को जाने वाली पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के ज़नाने डिब्बे में अकेली यात्रा कर रही थीं । जब लगभग २०-३५ बजे गाड़ी पिलखवा रेलवे स्टेशन से चली तो उन्होंने पायदान पर एक आदमी को खड़ा देखा जिसने इनसे दरवाज़ा खोलने को कहा । उनके दरवाज़ा खोलने से इन्कार करने पर उस आदमी ने एक देशी पिस्तौल ली और उन्हें गोली मार देने की धमकी दी । जब वह खतरे की जंजीर की ओर बढ़ीं तो उस आदमी ने अपनी धमकी कार्यरूप में परिणत भी कर दी । गोली चलाने के बाद अभियुक्त गाड़ी पर से कूद पड़ा और उसे वहां काम करने वाले पांच या छः गांव वालों ने भी देखा । उन्होंने समझा कि शायद कोई व्यक्ति गाड़ी पर से गिर पड़ा है इसलिये वे उसकी मदद को गये लेकिन यह देखकर कि उस व्यक्ति के पास एक पिस्तौल है, वे लोग उसे स्थानीय पुलिस चौकी पर ले गये ।

कुमारी रोडा ड्राइवर द्वारा खतरे की जंजीर खींची जाने के फलस्वरूप गाड़ी रुक गयी । वह बुरी तरह घायल हो गई थीं इसलिये उन्हें फौरन आर० पी० एफ० के दो जवानों के, जो गाड़ी पर थे, पहरे में एक मालगाड़ी से गाजियाबाद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया । बाद में उनको इलाज के लिये नयी दिल्ली के अर्विन अस्पताल में ले आया गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) (१) रात की सभी महत्वपूर्ण पैसेंजर गाड़ियों में यथासंभव सरकारी रेलवे पुलिस के पुलिस-रक्षक चलते हैं;

(२) अवांछनीय व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिये पैसेंजर गाड़ियों के दरवाज़ों और खिड़कियों में बचाव के लिये खटके लगा दिये गये हैं;

(३) जनाने डिब्बों को यथासंभव गाड़ियों के मध्य भाग में जोड़ा जाता है;

(४) कंडक्टर गार्डों और गाड़ी के साथ चलने वाले टिकट चेकरों को इस बात की खास हिदायत कर दी गयी है कि वे ज़नाने डिब्बों का खास ध्यान रखा करें, विशेष रूप से उस समय जब कि कोई स्त्री अकेली यात्रा कर रही हो, और यह दे खलें कि बचाव के खटके ठीक काम कर रहे हैं या नहीं ।

(५) ऊंचे दर्जों में अकेली यात्रा करने वाली स्त्रियां तीसरे दर्जे के टिकट वाले किसी सेवक को रात के समय अपने साथ रख सकती हैं;

(६) यात्रियों को आगाह कर दिया जाता है कि वे ये देख लें कि दरवाजों और खिड़कियों की सिटकिनी और खटके ठीक से बन्द हैं या नहीं ताकि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सकें ।

भाखड़ा में बिजली के जनित्र[1]

†*६९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामजी वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा के दाहिने बिजली घर में ९०-९० हज़ार किलोवाट की क्षमता वाली ४ बिजली पैदा करने वाली यूनिटों को लगाने में कुछ प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Power Generating Units

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव की जांच की थी और उनकी टिप्पणियां पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड को भेज दी गयी हैं। तब से यह प्रस्ताव किया गया है कि जो यूनिटें लगाई जा रही हैं वे प्रत्येक ९०,००० किलोवाट की होने के स्थान पर १२,००० किलोवाट की हों। पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड से पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलनों के आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

सन-पाट

†*७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन-पाट कई मानों में, बड़े अच्छे ढंग से पटसन (जूट) के स्थान पर काम में लायी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) सन-पाट का रेशा पटसन से मिलता जुलता तो है पर पटसन के स्थान पर उसका ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं हो सकता।

(ख) पटसन के स्थान पर उपयोग करने की दृष्टि से उसकी खेती को लोकप्रिय बनाने का विचार नहीं है।

कृषि पत्रकारिता

†*७१. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि पत्रकारिता का विषय भी आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है जिसमें भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली एम० एस० सी० की डिग्री देगी;

(ख) पी एच० डी० डिग्री कोर्स में प्रवेश प्राप्त करने के लिये क्या अर्हतायें आवश्यक हैं; और

(ग) इस वर्ष पी एच० डी० कोर्स के कितने छात्र लिये गये हैं और छात्रों की राज्वार संख्या क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं।

(ख) उमीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त एम० एस सी० डिग्री हो या वह सम्बन्धित वैज्ञानिक विषय में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था की ऐसोसिएटशिप हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sun Hemp (Crotolaria Juncea)

(ग) इस वर्ष पी० एच० डी० कोर्स दाखिल हुए छात्रों की संख्या और राज्यवार संख्या बताने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है।

सूची

राज्य	दाखिल हुए छात्र
आंध्र प्रदेश	२
बिहार	१०
बम्बई	६
पश्चिमी बंगाल	३
मध्य प्रदेश	४
राजस्थान	२
दिल्ली	६
मैसूर	२
पंजाब	६
केरल	३
मद्रास	१
आसाम	१
काश्मीर	१
उत्तर प्रदेश	१
हिमाचल प्रदेश	१
युगोस्लाविया (विदेशी)	१
कुल	५०

अन्दमान्स जहाज के निर्माण में त्रुटि

†*७२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांसीसी परामर्शदाता समवाय जिसने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिये 'अन्दमान्स' जहाज़ बनाया था जहाज़ का गलत डिज़ाइन तैयार करने के लिये कोई प्रतिकर देने को इस आधार पर रज़ामन्द नहीं कि डिज़ाइन भारतीयों द्वारा बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कम्पनी की दलील मान ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कम्पनी से प्रतिकर प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). इस सम्बन्ध में फ्रांसीसी फर्म के साथ लिखा पढ़ी हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलों में दूसरा दर्जा खत्म करना

†*७३. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या रेलवे मंत्री ९ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलों में दूसरा दर्जा खत्म करने के सिलसिले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है ।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा

†*७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय हुआ है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: दिल्ली में एक अलग अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा बनाने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका । फिलहाल पालम को ही भारतीय वायु बल और असैनिक उड्डयन विभाग प्रयोग करेंगे और इसे बोइंग जेट विमान के प्रवर्तन के लिये भी उपयुक्त बनाया जा रहा है ।

डाक तथा तार भवन

*७५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में डाक तथा तार विभाग के भवन-निर्माण कार्यक्रम के लिये जो धन-राशि स्वीकृत की गई थी उस में से कितने धन का वास्तव में उपयोग किया जा सका;

(ख) जिन कारणों से शेष धन खर्च नहीं किया जा सका उन्हें दूर करने के लिय कौन से कदम उठाये गये हैं;

(ग) १९५९-६० के वित्तीय वर्ष के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) उक्त राशि के उपयोग में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस वित्तीय वर्ष में बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों पर १२८ लाख रुपये की धन-राशि वास्तव में उपयोग में लाई गई है ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा भवन-निर्माण-कार्य पर लगाई गई आम पाबन्दी हटा दी गई है । इस मंत्रालय की बैठकों में भवन-निर्माण की प्रगति पर समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा निर्माण-कार्यों पर निगरानी रक्खी जाती है । निर्माण-कार्यों को और जल्दी पूरा करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ग) २१५ लाख रुपये ।

(घ) अगस्त, १९५९ तक ९.६९ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली-कुलु विमान सेवा

†*७६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री धनगर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कुलु बरास्ता चंडीगढ़ एक विमान सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). दिल्ली-चंडीगढ़-कुलु विमान सेवा ३ अक्तूबर, १९५९ को आरम्भ की गई थी जो कि सप्ताह में दो बार चलती थी और वह २ नवम्बर, १९५९ तक जारी रही। यह सेवा अगले अप्रैल में पुनः आरम्भ होगी। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन केवल अप्रैल-अक्तूबर में यह विमान सेवा चलाना चाहती है।

कांडला पत्तन में अबाध व्यापार क्षेत्र[1]

†५४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कांडला पत्तन को अबाध व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

भिवानी स्टेशन पर प्लेटफार्म को बढ़ा कर उस पर छत डालना

†५५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की रेवाड़ी-भटिंडा लाइन पर भिवानी स्टेशन के प्लेटफार्म को बढ़ा कर उस पर छत डालने का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी नहीं। अर्थोपाय की स्थिति ठीक न होने के कारण प्लेटफार्म पर छत डालने का काम स्थगित करना पड़ा। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने पर यह काम आरम्भ किया जायगा। अभी प्लेटफार्म को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Free Trade Zone.

अजमेरी गेट की गन्दी बस्तियां हटाने की योजना

†५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेरी गेट की गन्दी बस्तियां हटाने की नई योजना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पाकिस्तान पर नहरी पानी सम्बन्धी बकाया राशि

†५७. { **श्री रामजी वर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के सम्बन्ध में, जो कि पाकिस्तान से नहरी पानी सम्बन्धी बकाया राशि के बारे में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच पाकिस्तान से प्राप्य वह राशि जिस पर विवाद चल रहा है और उस राशि का अवशेष जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है वसूल करने में कोई प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : नहरी पानी के संभरण के सिलसिले में पाकिस्तान से और कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है । दोनों सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

खून में शक्कर

†५८. **श्री चा० क० भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य गवेषणा प्रयोगशाला में यह पता लगाया गया है कि केसीन[1] और काले चने के प्रयोग से खून में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गवेषणा का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) केन्द्रीय खाद्य गवेषणा प्रयोगशाला, मैसूर ने यह बताया था कि कुछ हालतों में धातु रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि केसीन और काले चने का प्रयोग करने से खून में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है । इन उपपत्तियों की पुष्टि करने के लिये कार्य हो रहा है ।

(ख) १७ अगस्त, १९५७ के 'लांसेट' में (पृष्ठ ३१७–३२०) परिणाम प्रकाशित हुए थे । 'लांसेट' में छपे लेख की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रखी गई है ।

बम्बई में भांडागार निगम

†५९. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में भांडागार निगम की स्थापना की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Casein.

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर; और

(ग) उस में केन्द्रीय भांडागार निगम ने क्या अंशदान दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) इसका मुख्यालय १६ बोट क्लब रोड, पूना में है ।

(ग) केन्द्रीय भांडागार निगम ने १५ लाख रुपये अंशदान दिया है जो कि राज्य भांडागार निगम की प्रदत्त अंश पूंजी का ५० प्रतिशत है ।

बम्बई में बीज फार्म

†६०. **श्री पांगरकर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में बम्बई राज्य को बीज फार्म स्थापित करने के लिये कितनी राजसहायता दी गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : १९५९–६० में बम्बई राज्य को बीज फार्मों के लिये ३४.२० लाख रुपये का पुनरीक्षित आवंटन किया गया है ।

पूर्णा-हिंगोली सैक्शन पर विक्रेता

†६१. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के पूर्णा-हिंगोली सैक्शन पर कुछ अनधिकृत विक्रेताओं को काम करने की इजाज़त दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पूर्णा-हिंगोली सैक्शन पर किसी अनधिकृत विक्रेता को इजाज़त नहीं दी गई है । फिर भी कुछ लोग नियम विरुद्ध और बिना इजाज़त के वहां काम करते हैं ।

(ख) बिना लाइसेंस के विक्रेताओं के खिलाफ जो कार्यवाही की जाती है वह विवरण में बताई गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**

मध्य रेलवे की आय

†६२. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे को १ जुलाई से ३० सितम्बर, १९५९ तक १९५८ की इसी अवधि की तूलना में कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

(लाख रुपयों में)

जुलाई १९५८ से सितम्बर, १९५८	जुलाई १९५९ से सितम्बर, १९५९
१६,४२	१९,०१

बिहार में बीज फार्म

†६३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय योजना काल में अब तक बिहार को बीज फार्म बनाने के लिये बिहार सरकार को कुल कितनी राशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष	दी गई राशि (केन्द्रीय सहायता)
	(लाख रुपये)
१९५६–५७	९.३८
१९५७–५८	८६.७३
१९५८–५९	७८.००*
१९५९–६०	१३८.८०
कुल . . .	३०९.९१

*यह राशि बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई है। १९५८–५९ में राज्य सरकारों को मंजूरियां विकास के शीर्ष के अन्तर्गत दी गई थीं न कि योजनावार।

यह राशि राज्य सरकार को बीज फार्मों के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई थी।

बिहार में रेलवे आउट एजेंसियां

†६४ **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कितनी रेलवे आउट एजेंसियां खोली गई हैं; और

(ख) १९५९–६० में बिहार में और कितनी आउट एजेंसियां किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) आठ।

(ख) १९५९–६० में निम्नलिखित आउट एजेंसियां खुलने की आशा है :—

१. सेमराही
२. तरबेनीगंज
३. सोनबर्सा
४. लौकाहा
५. खौताना
६. लौकाही बाज़ार
७. माधेपुर
८. नराहिया
९. बहादुरगंज
१०. काजैन
११. परताबगंज
१२. बीरपुर
१३. औरंगाबाद टाउन
१४. शेरघाटी
१५. गुम्ला

†मूल अंग्रेजी में

कृषि सम्बन्धी प्रकाशन

†६५. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्तार निदेशालय और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा कौन-कौन से मासिक तथा अन्य प्रकाशन निकाले जा रहे है;

(ख) इन पर कितना खर्च हुआ और कितनी आय हुई; और

(ग) गत पांच वर्ष में, वर्षवार, इनकी कुल कितनी बिक्री हुई ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख) :** (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाले तीन विवरण पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

मुरादाबाद जिले के रेहड़ा नामक स्थान में तारघर

६६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद जिले के बाढ़ पीड़ित रेहड़ा क्षेत्र में तार-घर स्थापित करने के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यह तार-घर सम्भवत: कब तक स्थापित किया जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) और (ख) ६३१ रुपये की वार्षिक हानि पर रेहड़ा में एक तार घर खोले जाने की मंजूरी दी गई थी। तत्सम्बन्धी विस्तृत प्राक्कलनों के तैयार किये जाने पर पता चला है कि यह वार्षिक हानि १,४७६ रुपये आती है। इस हानि को उठाने के लिये नये सिरे पर मंजूरी दी जा चुकी है तथा सम्बन्धित डाक-तार महा-अध्यक्ष इस तार घर के खोले जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

पठानकोट-जम्मू सड़क

†६७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में अब तक पठानकोट-जम्मू सड़क की मरम्मत आदि के लिये कितनी राशि आवंटित की गई तथा खर्च की गई;

(ख) उक्त सड़क पर मरम्मत का जो काम हो रहा है उसमें क्या प्रगति हुई है; और

(ग) हाल ही की वर्षा से जो क्षति हुई है उसकी मरम्मत कब होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) मरम्मत के लिये ३,४६,००० रुपये आवंटित किये गये और (सितम्बर, १९५९ तक) २,२२,००० रुपये खर्च किये गये।

(ख) मरम्मत का काम सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है और ३१ मार्च, १९६० तक उसके पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) हाल ही की वर्षा से सड़क को कोई असाधारण क्षति नहीं पहुंची।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सहकारी समितियां

†६८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वे सारे अनुदान प्राप्त कर लिये थे जो १९५७–५८ में राष्ट्रीय सहकारी विकास और भांडागार बोर्ड द्वारा राज्यों में सहकारी समितियों की सहायता के लिये दिये गये थे; और

(ख) क्या १९५८–५९ का कार्यक्रम जिसका बोर्ड अनुमोदन कर चुका है पूरा हो गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति) :** (क) जी हां । परन्तु बाद में राज्य सरकार ने ५,८२,०६० रुपये के कुल अनुदान में से २७,६१८ रुपये बोर्ड को लौटा दिये थे ।

(ख) जी हां । बोर्ड द्वारा स्वीकृत ७,५१,४६१ रुपये की कुल सहायता में से बोर्ड को केवल ६४,७६८ रुपये लौटाये गये थे ।

रेलवे में औरत कुली

६९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ स्टेशनों पर औरतें कुली का काम कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितनी औरतें कुली का काम कर रही हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक बयान साथ नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २३]**

चावल और धान की वसूली के भाव

†७०. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली फसल की कटाई के लिये विभिन्न राज्यों में चावल और धान की वसूली के भाव निश्चित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिये क्या भाव निश्चित किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख) जी हां । १९५८–५९ के खरीफ वर्ष के भाव ही १९५९–६० के खरीफ वर्ष के लिये रखे गये हैं । भाव बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कटक रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

†७१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उसके पश्चात् कटक नगर को पांचवें राष्ट्रीय राजपथ से मिलाने के हेतु कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिण में एक ऊपरी पुल बनाने के बारे में रेलवे मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार से यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) क्या रेलवे मंत्रालय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं, उड़ीसा सरकार ने नगर को एक ऊपरी पुल द्वारा पांचवें राष्ट्रीय राजपथ से मिलाने सम्बन्धी प्रस्ताव अभी नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चावल और धान की वसूली

†७२. **श्री पाणिग्रही :**
श्री बै० च० मलिक :
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने १ नवम्बर, १९५९ तक उड़ीसा में चावल और धान की वसूली पर कितना खर्च किया; और

(ख) ३१ जुलाई, १९५९ से १ नवम्बर, १९५९ तक केन्द्र ने अथवा केन्द्र की ओर से राज्य-वार कितना चावल और धान खरीदा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १ नवम्बर, १९५९ तक उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार की ओर से जो चावल और धान खरीद कर भेजा गया उसका मूल्य लगभग ७५४ लाख रुपये था ।

(ख) इस अवधि में विभिन्न राज्यों से केन्द्र द्वारा अथवा केन्द्र की ओर से खरीदे गये चावल और धान की मात्रा निम्नलिखित है :—

(हजार टन)

राज्य	चावल	धान
आंध्र प्रदेश	६.२	—
मध्य प्रदेश	३६.४	—
उड़ीसा	२४.२	१७.२
पंजाब	८.९	—

†मूल अंग्रेजी में

सतलज-ब्यास सम्पर्क परियोजना

†७३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री हेम राज :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतलज-ब्यास सम्पर्क परियोजना और भाखड़ा में दाहिने बिजलीघर के निर्माण की प्रस्थापनाओं पर उसके पश्चात् विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, उसका प्रतिवेदन क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार और अनुसन्धान कर रही है जिस से कि उस नदी के पानी का अधिकतम प्रयोग किया जा सके । अभी उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भाखड़ा में दाहिने बिजली घर के बारे में पंजाब सरकार की प्रस्थापना पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने परीक्षण किया था और उनकी टिप्पणियां पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड को भेज दी गई हैं । उसके पश्चात् यह सुझाव दिया गया है कि लगाया जाने वाला प्रत्येक यूनिट ९०,००० किलोवाट की बजाये १,२०,००० किलोवाट का होना चाहिये । पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड से पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पंचायतों के सरपंचों का प्रशिक्षण

†७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सरजू पांडे :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरपंचों और उप-सरपंचों के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री स० कु० डे)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना की रूपरेखा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो

†७५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष राज्यों से स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि और राज्य सरकारों के परामर्श से संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि सहायता के बारे में ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो वे विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). आसाम, पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकारों ने सूचित किया है कि वे अपने-अपने राज्यों में १९६०–६१ के दौरान में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्थापित करना चाहती हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने फिलहाल तीन राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में से प्रत्येक के लिये ६,००० डालर की राशि मंजूर की है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

१. जीप स्टेशन वैगन

२. श्रव्य-दृश्य तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सामान

(१) पुस्तकें

(२) डुप्लीकेटिंग उपकरण

(३) चलचित्र संबंधी सामान

(४) टेप रेकार्डर

(५) सिल्क स्क्रीन सेट

(६) माडल आदि काटने के लिये बहुप्रयोजनीय मशीन

(७) १६ मिलीमीटर की शिक्षा सम्बन्धी फिल्में

(८) कलात्मक सामान

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय नदियों की सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी क्षमता

†७६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेष नदी क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों की सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी क्षमता का सम्पूर्ण अध्ययन करने के काम के बारे में अब तक और आगे कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में फोर्ड फाउण्डेशन की टीम

†७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पाणिग्रही :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दामानी :
श्री ओझा :
श्री सरजू पाण्डे :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री गोरे :
श्री कालिका सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में फोर्ड फाउण्डेशन की टीम की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो विचार का क्या परिणाम निकला; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पू० शे० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). फोर्ड फाउण्डेशन टीम की खाद्य उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजनों, डिब्बों और वैगनों का निर्माण

†७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इंजनों, डिब्बों और वैगनों के निर्माण सम्बन्धी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में अब तक कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) क्या निर्माण के निर्धारित लक्ष्य में कमी होने की संभावना जान पड़ती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ख) निश्चय रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किन्तु आशा यह है कि धीरे-धीरे लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये अस्पताल

†७९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये स्थायी रूप से २५० पलंगों का अस्पताल बनाने की दिशा में अब तक किस प्रकार की प्रगति की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अस्पताल की योजना और प्राक्कलनों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

बंगलौर में विद्युत् गवेषणा संस्था

†८०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पद्म देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में एक विद्युत् गवेषणा संस्था स्थापित करने की योजना के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

दिल्ली में बसें खड़ी करने के स्थान

८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राज्यीय बसों के आखिरी स्टाप के लिये स्थान और भारी गाड़ियां देर तक खड़ी करने के लिये स्थान सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). अन्तर्राज्यीय बसों के आखिरी स्टाप के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है और दिल्ली नगर निगम ने निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के भूमि तथा विकास कार्यालय से इस भूमि को उन्हें हस्तांतरित कर देने का निवेदन किया है।

जापान से जहाजों की खरीद

†८२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान से जहाज खरीदने के लिये शेष ३११.० लाख येनों का उपयोग करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** दो तटीय माल ढोने वाले जहाजों को बनाने के लिये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी को येन ऋण आवंटित किया गया था किन्तु चूंकि वह इसका उपयोग करने में असमर्थ रही इस कारण सिन्दियाज़ को उनके लिये मितसुबिशी शिपयार्ड द्वारा पहले से तैयार किये गए जहाज़ के लिये पुनः आर्डर देने की अनुमति दे दी गई थी। यदि उपयुक्त रूप से बचतपूर्ण ढंग से काम मिल सके तो वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन भी एक और तटीय टैंकर बनाने की संभाव्यता की जांच कर रही है।

जनता भोजन

८३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के कई स्टेशनों पर ६२ नये पैसे की दर पर भोजन देने की जो योजना चालू की गई है उस का जनता ने कैसा स्वागत किया है ;

(ख) प्रत्येक भोजनालय में प्रतिदिन औसतन कितने भोजन बिक जाते हैं और उस से रेलवे को क्या लाभ अथवा हानि होती है ;

(ग) रेलवे भोजन प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत ८८ नये पैसे की दर से दिये जाने वाले भोजन में तथा ६२ नये पैसे वाले भोजन में क्या अन्तर है, और इस अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस योजना की लागत योजना एवं विस्तार की रूप-रेखा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). एक बयान साथ नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुलपहाड़ स्टेशन पर मालगोदाम

८४. {श्री म० ला० द्विवेदी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के झांसी-मानिकपुर सेक्शन पर कुलपहाड़ स्टेशन पर गत ९ वर्षों में अर्थात १९५० से लेकर १९५८ तक कुल कितना माल लादा और उतारा गया ;

(ख) क्या स्टेशन पर लादे और उतारे जाने वाले खाद्यान्न तथा अन्य सामान को बरसात से अथवा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से क्षति होने की संभावना रहती है ;

(ग) क्या यह सच है कि जिन स्टेशनों पर इस स्टेशन की अपेक्षा कम माल लादा और उतारा जाता है और जहां माल का आवागमन भी कम है वहां मालगोदाम बनाये गये हैं ;

(घ) इस स्टेशन पर मालगोदाम के निर्माण को क्यों टाला जा रहा है ; और

(ङ) वहां कब तक मालगोदाम बनने की सम्भावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक बयान साथ नत्थी है जिसमें सूचना दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०]**।

(ख) जी नहीं, क्योंकि स्टेशनों पर माल की पूरी हिफाजत के लिए पहले से आदेश मौजूद हैं।

(ग) और (घ). एक कार्यक्रम के आधार पर स्टेशनों पर मालगोदाम बनाये जाते हैं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अमुक स्टेशन पर कितना किस किस्म का माल आता-जाता है और दूसरे स्टेशनों की तुलना में उस स्टेशन का महत्व क्या है। इस स्टेशन पर मालगोदाम बनाने का काम अभी तक इसीलिए शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि दूसरे स्टेशनों पर ज्यादा जरूरी काम किये जा रहे थे।

(ङ) १९६०–६१ के निर्माण-कार्यक्रम में कुलपहाड़ स्टेशन पर एक मालगोदाम बनाने के सवाल पर विचार किया जर रहा है।

रेलवे डाक सेवा पुनर्गठन समिति

†८५. {श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे डाक-सेवा पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट की छान-बीन कर लेने के पश्चात क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या इस विषय पर कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन लोगों के पास से ; और

(घ) क्या इन शिकायतों की जांच कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है ?

(ख) और (ग). समिति की कुछ सिफारिशों के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु सामान्यतः मूल सिद्धान्तों की अधिक आलोचना नहीं की गई है।

(घ) जी हां।

सफदरजंग-कुतब मीनार सड़क पर रोशनी

८६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीनवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे से कुतुब मीनार तक की सड़क पर बिजली की रोशनी करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की अशाा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) यूसूफसराय से हौज खास तक के भाग में सड़क पर बिजली की रोशनी करने का काम दिल्ली नगर निगम लगभग पन्द्रह दिन में शुरू करेगा। हौज़खास से कुतुब मीनार तक के भाग में यह काम बाद में शुरू किया जायेगा।

खुशक नाले से युसूफसराय तक के भाग में सड़क पर बिजली की रोशनी करने का कार्य नई दिल्ली नगर निगम पालिका ने अभी शुरू नहीं किया है और उनसे कह दिया गया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दें।

(ख) आशा है कि नगर निगम की सीमा के अन्दर यूसूफसराय से हौजखास तक का कार्य मार्च, १९६० के अन्त तक पूरा हो जायगा।

कानपुर में जनरल पोस्ट आफिस की इमारत

†८७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में जनरल पोस्ट आफिस की इमारत बन कर तैयार हो गई है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) निर्माण में शीघ्रता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन).** (क) से (ग) : बड़े डाकखाने और सैंट्रल टेलीग्राफ आफिस दोनों के लिये एक मिली जुली इमारत बनाने के प्रस्ताव पर, जैसी कि पहले योजना थी, और आगे विचार करके उसमें रूपभेद कर दिया गया है। अब बड़े डाकखाने तथा कुछ अन्य छोटे-छोटे कार्यालयों के लिये जिसमें कुछ प्रशासनीय कार्यालय भी शामिल हैं, एक इमारत बनाने का विचार है। इसी इमारत में एक छोटे विभागीय तारघर की व्यवस्था भी की जानी है। सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस जहां है वहीं पर रहेगा और बाद में उसी स्थान पर एक उपयुक्त इमारत उसके लिये बनाई जायेगी। पुनरीक्षित परियोजना पर मंजूरी के लिये विचार किया जा रहा है। पुनरीक्षित प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की मंजूरी मिल जाने और केन्द्रीय लोक निर्नाण विभाग द्वारा प्रारम्भिक्ताओं पर अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के बाद कार्य आरम्भ किया जायेगा। अन्य औपचारिकताओं के भी यथाशीघ्र पूरा करने की आशा की जाती है जिससे कार्य आरम्भ करने में कम से कम विलम्ब हो।

केन नदी पर रेलवे पुल

†८८. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी से १०० मील की दूरी पर नदी पर मध्य रेलवे का जो पुल है उस पर से भारी यातायात गुजरने के लिये उसे उपयुक्त बनाने के लिये तत्काल उसके गर्डर बदलने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) पुराने गर्डरों को बदल कर नये गर्डर लगाने का काम हो रहा है। १०० फुट लम्बे १२ स्थानों में से ११ पहले ही बदले जा चुके हैं और शेष भी शीघ्र ही बदल दिया जायेगा। २५० फुट लम्बे एक स्थान के गर्डर तभी बदले जा सकेंगे जबकि नये गर्डर जिनके लिये आर्डर दिया जा चुका है, प्राप्त हो जायेंगे ?

हिमाचल प्रदेश में वन सर्वेक्षण

८९. **श्री पद्म देव :**
श्री म० ना० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में वन सर्वेक्षण कार्य के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : अगस्त, १९५९ तक, सीमा रिकार्ड तैयार करने के अतिरिक्त, ५४ वर्ग मीलों से अधिक का सर्वेक्षण कर लिया गया है और ७०० सीमा स्तून बनाये जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (लिमिटेड)

९०. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ५ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६३ से उत्पन्न होने वाले आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये ५ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये अनुपूरक विवरण संख्या ७ क्रम संख्या २० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के कारोबार में मन्दी के क्या कारण हैं; और

(ख) १९५७–५८ में उपरोक्त बैंक के कारोबार का क्या ब्यौरा रहा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) व (ख). इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में चरागाह

९१. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में चरागाहों का किन-किन स्थानों पर और किस प्रकार सुधार किया गया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :

डिवीज़न का नाम	किये गये सुधारों की किस्म
चम्बा . . .	. वनरोपण
चूराह . . .	. वनरोपण
मण्डी . .	. रिक्त स्थानों पर वनरोपण
सूकेत . . .	. वनरोपण
नाहन . . .	. वनरोपण तथा देखभाल
राजगढ़ . . .	. चराने के लिये मना करना तथा देखभाल
जुब्बल . .	. चराने के लिये मना करना तथा देखभाल
अपर बशहर	. वनरोपण तथा बाड़ लगाना
शिमला . .	. वनरोपण तथा बाड़ लगाना

हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियां

९२. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि हिमाचल प्रदेश जड़ी बूटियों का भण्डार है तब क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश अपनी औषधि निर्माणशालाओं के लिये अधिकतर औषधियां बाहर से मांगता है; और

(ख) क्या सरकार ने विधि के अधीन औषधियां संग्रह करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी तक हिमाचल प्रदेश में कच्ची जड़ी बूटियों की उपलब्धि के बारे में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । चूंकि स्थानीय व्यापारियों द्वारा संगृहीत औषधियां पर्याप्त तथा अच्छी किस्म की नहीं हैं इसलिये कुछ औषधियां अनिवार्यत: बाहर से मंगानी पड़ती हैं ।

(ख) और (ग). स्वदेशी एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान की एक योजना हिमाचल प्रदेश के वन विभाग की सहकार्यता में शीघ्र ही चालू की जा रही है । जब यह योजना चालू हो जायेगी तो औषधियों के संग्रह एवं भण्डार के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में औषध-निर्माणशालायें

९३. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश की माजरा और जोगिन्दर नगर औषधि-निर्माण-शालाओं ने हिमाचल प्रदेश की औषधि की आवश्यकताओं को किस हद तक पूरा किया; और

(ख) औषधि की शेष आवश्यकतायें किस प्रकार पूरी की गईं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इन दो औषध-निर्माणशालाओं ने हिमाचल प्रदेश की लगभग ७५ प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा किया ।

(ख) शेष औषधियों को हिमाचल प्रदेश और उससे बाहर के व्यापारियों से प्रतियोगी दर पर प्राप्त किया गया ।

हिमाचल प्रदेश में मकान बनाने के लिये ऋण

९४. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २४ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०२ के उत्तर में उत्पन्न होने वाले आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये २४ अप्रैल, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये अनुपूरक विवरण संख्या २ के क्रम संख्या २ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लोगों ने नये मकान न बना कर उनकी जगह पुराने मकान दिखा कर मकान बनाने के लिये दिये गये ऋणों का दुरुपयोग किया है; और

(ख) सरकार ने इस विषय में किस के द्वारा जांच करवाई है ?

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की निगाह में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कमलाई (हिमाचल प्रदेश) में कुक्कुट-पालन केन्द्र

९५. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश में कमलाई में कुक्कुट पालन केन्द्र पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) उसी वर्ष में उक्त केन्द्र से लोगों को कितने मुर्गे और मुर्गियां दिये गये तथा उससे कितनी आय हुई ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

कालका-शिमला लाइन के स्टशनों पर बिजली लगाना

९६. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ अगस्त १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९५ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालका-शिमला सेक्शन के धरमपुर, कुमार हट्टी, सोलन और जुतोघ स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो वह कब की जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक बयान साथ नत्थी है ।

विवरण

कालका-शिमला सेक्शन के स्टेशनों पर बिजली लगाने के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

स्टेशन का नाम	**स्थिति**
१. धरमपुर . .	२८–१०–१९५९ को बिजली लगायी गयी ।
२. कुमार हट्टी . . .	१३–८–१९५९ को बिजली लगायी गयी ।
३. सोलन . . .	२१–७–१९५५ को बिजली लगायी गयी ।
४. जुतोघ . . .	बिजली लगाने का काम हो रहा है और आशा है कि मार्च, १९६० तक बिजली आ जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में वैद्य

९७. **श्री पद्म देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न ९७३ के उत्तर के सम्बन्ध में **यह बताने** की कृपा करेंगे **कि हिमाचल प्रदेश में पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सक एक्ट,** १९४९ को लागू करने का प्रस्ताव सम्भवत: कब तक कार्यान्वित होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सक एक्ट, १९४९ को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव पर सम्भवत: नवम्बर, १९५९ में होने वाली हिमाचल प्रदेश सलाहकार समिति की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा । सलाहकार समिति की स्वीकृति मिलते ही इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

इम्फाल में तपेदिक क्लिनिक

†**९८. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में १९५९–६० के दौरान में एक परिपूर्ण तपेदिक क्लिनीक बनाने का कोई उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इमारत कब तक बन कर तैयार होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख). इम्फाल में १९५९–६० के दौरान में एक परिपूर्ण तपेदिक क्लिनिक बनाने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

रेलवे स्टोर

†**९९. श्री विद्या चरण शुक्ल:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के स्टोरों की आवश्यकताओं के बारे में रेलवे मंत्रालय द्वारा बजट बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) क्या भारतीय उद्योगपतियों के लिये जारी की जाने वाली आयात किये गये स्टोर की भविष्य की आवश्यकताओं के मोटे हिसाब बताने वाली पुस्तिका के बारे में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे की आवश्यकताओं के बारे में बजट बनाने की प्रथा पहले से ही विद्यमान है ।

(ख) वह प्रकाशित नहीं की गई है और उसकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं ।

केरल में नये डाकखाने

†१००. **श्री वारियर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के डाक तथा तार विभाग से १९५८–५९ के दौरान में नये डाकखाने खोलने के बारे में कितने आवेदन प्राप्त हुये थे;

(ख) उनमें से कितने आवेदन स्वीकार किये गये और कितने नये डाकखाने खोले गये; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन स्थानों पर नये डाकखाने स्थापित किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) २६९ ।

(ख) १३७ ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]**

सहकारिता विकास

†१०१. **श्री वारियर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य से १९५९–६० के अवशिष्ट काल के लिये सहकारिता विकास सम्बन्धी बढ़े हुए लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिये कोई अनुपूरक योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इस पर राज्य सरकार से चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब०स० मूर्ति)** :(क) और (ख). जी हां ।

(ग) राज्य द्वारा प्रस्तावित अनुपूरक योजनाओं तथा चर्चा के पश्चात् अन्तिम रूप से निर्धारित योजनाओं को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

टैक्सी के मीटर की परीक्षा करने की मशीन

१०२. **श्री सरजू पाण्डेय** :
डा० राम सुभगसिंह:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रेक तथा टैक्सी के मीटर की परीक्षा करने वाली मशीन राजपुर मार्ग पर स्थित दिल्ली के परिवहन विभाग के दफ्तर में गत पांच वर्ष से बेकार पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो वह मशीन किस देश से मंगवाई गयी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह कब मंगवाई गई थी ; और

(घ) उस पर कुल कितना व्यय हुआ था ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) टैक्सियों के मीटरों की जांच करने वाली मशीन दिल्ली प्रदेश परिवहन अथारिटी के कार्यालय में लगी हुई है। इस मशीन से पहले इस्तेमाल किये गये उन मीटरों की जांच की जाती है जो नई टैक्सियों में लगे हुए होते हैं। माल गाड़ियों के ब्रेकों की जांच करने वाली मशीन ज़मीन न मिल सकने के कारण अभी तक नहीं लगायी जा सकी है जहां पर इससे इन गाड़ियों की जांच की जा सके।

(ख) और (ग). टैक्सी-मीटर और ब्रेक जांच करने वाली मशीनें क्रमशः सन् १९५४ और सन् १९५५ में बम्बई की एक फर्म से खरीदी गयी थीं। सम्भवतः ये मशीनें इस फर्म द्वारा विदेश से मंगायी गयी थीं, लेकिन यह ठीक ठीक पता नहीं कि ये किस देश से आयात की गयी थीं।

(घ) उक्त दोनों मशीनों की कीमत कुल १५,६६३ रुपये है।

सामुदायिक विकास कार्य

१०३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने किन-किन देशों को सामुदायिक विकास कार्य के सम्बन्ध में परामर्श दिया है ?

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : इण्डोनेशिया, ईरान, नेपाल और ईथियोपिया।

मैसूर राज्य के लिये डाक सर्किल

†१०४. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मोहम्मद इमाम :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के लिये डाक सम्बन्धी सर्किल अलग बनाने के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान हैदराबाद सर्किल के वे डिवीज़न कौन-कौन से हैं जो प्रस्तावित मैसूर सर्किल में मिला दिये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) ब्यौरे पर अन्तिम निर्णय किया जा रहा है।

(ख) गुलबर्गा पोस्टल डिवीज़न, नान्डेड़ (जो पहले बीडर कहलाता था) पोस्टल डिवीज़न का कुछ भाग और हैदराबाद टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सब-डिवीजन का कुछ भाग।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य उत्पादन

†१०५. **श्री खीमजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खाद्यान्न विक्रेता संघ के फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मण्डल १५ सितम्बर, १९५९ को बम्बई में उनसे मिला था और खाद्यान्नों के उत्पादन और वितरण में वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने वाला एक ज्ञापन उनके सम्मुख प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव क्या थे और उनमें से सरकार ने कितने सुझाव मान लिये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी हां, संघ ने निम्न सुझाव दिये थे :—

(१) खाद्य समस्या का मूल उत्पादन न होकर वितरण का और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ठोस प्रयत्न किये जाने चाहियें ;

(२) रक्षित स्टाक बनाया जाना चाहिये ;

(३) खण्डों का पुनर्विभाजन किया जाना चाहिये ;

(४) कृषकों के लिये खाद्यान्नों के निम्नतम मूल्य निर्धारित किये जाने चाहियें; और

(५) समाहार मूल्य सरकार के विद्यमान क्रय मूल्य से ऊंचे होने चाहियें ।

उत्पादन में वृद्धि और रक्षित स्टाक बनाये जाने सम्बन्धी सुझाव सरकार द्वारा जिस नीति का इस समय पालन किया जा रहा है उसी के अनुरूप है । खण्डों के पुनर्विभाजन का प्रश्न इस समय विचाराधीन है । इस समय के ऊंचे भावों को देखते हुए सभी राज्यों में सरकार द्वारा कृषकों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना तत्काल आवश्यक नहीं जान पड़ता । सरकार ध्यान से स्थिति का निरीक्षण इस बात का सुनिश्चय करने की दृष्टि से कर रही है कि कृषकों के हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा की जा सके । विद्यमान सरकार ने कृषकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को दृष्टि में रखते हुए क्रय मूल्य निर्धारित किये हैं ।

पालनपुर-गांधीधाम सेक्शन पर यातायात का रुक जाना

†१०६. **श्री खीमजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में पश्चिम रेलवे के पालनपुर-गांधीधाम सेक्शन पर पटरी के टूट जाने के कारण बहुधा यातायात रुक जाता है ;

(ख) पिछली वर्षा ऋतु में अर्थात् १ जुलाई से ३० सितम्बर, १९५९ तक कितनी बार ऐसा हुआ जिसके परिणामस्वरूप कितने दिनों तक यातायात रुका रहा; और

(ग) इस सेक्शन पर पटरी के इतनी जल्दी टूट जाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं । इस सेक्शन पर १९५३, १९५५, १९५६, १९५८ और १९५९ के वर्षाकाल में पटरी के टूट जाने से यातायात रुक गया था । अक्टूबर, १९५८ से इस पर यातायात होता रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छः बार पटरी टूट गई जिसके परिणामस्वरूप रेल यातायत कुल २० दिनों तक बन्द रहा ।

(ग) पटरी टूट जाने का प्रमुख कारण अत्यधिक वर्षा का होना था जो १९५६ और १९५९ में असाधारण रूप से हुई थी । इस क्षेत्र की ज़मीन बहुत छोटे-छोटे कणों वाली और चिकनी है । इस कारण किनारे बड़ी आसानी से कट कर बह जाते हैं । स्थायी रूप से इसका उपचार करने के प्रश्न पर रेलवे सक्रिय रूप से रेलवे के लखनऊ स्थित गवेषणा केन्द्र के परामर्श से सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

सोलन का कृषि गवेषणा केन्द्र

†१०७. **श्री नेक राम नागी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने सोलन में एक नया कृषि गवेषणा केन्द्र स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये अधिग्रहण की गई भूमि के लिये प्रति एकड़ कितना मूल्य दिया गया था ;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासन ने इमारतों के लिये कोई उपबन्ध किया है ; और

(घ) प्रयोगशालाओं के लिये इमारतें कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां ।

(ख) कृषि किये गए भूमि के लिए ४,००० रुपये प्रति एकड़ और घसनी भूमि के लिये १,५०० रुपये प्रति एकड़ ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के आयव्ययक में १,००० रुपये का उपबन्ध विद्यमान है और आगामी १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष के लिये ५०,००० रुपये के उपबन्ध का प्रस्ताव रखा गया है ।

(घ) लगभग दो-तीन वर्षों में ।

पूर्व रेलवे के स्टेशनों के लिये फूलों के गमले[1]

†१०८. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के स्टेशनों की सजावट के लिये फूलों के विशाल गमले खरीदने में १९५९ में कितनी राशि व्यय की गयी है ;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में कितने स्टेशन हैं और प्रत्येक डिवीजन में कितनी कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि हावड़ा डिवीजन के बर्दवान स्टेशन के लिये एक हजार फूलों के गमले खरीदे गये हैं अथवा इनके खरीदने का आर्डर दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Flower Tubs.

(घ) क्या यह भी सच है कि हावड़ा स्टेशन पर गमले रखने अथवा फूलों के पौधे लगाने के लिये स्टेशन का फर्श उखाड़ा जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) पूर्व रेलवे के स्टेशनों की सजावट के लिये फूलों के गमले खरीदने में १९५९ में केवल २५ रुपये व्यय किये गये हैं।

(ख) प्रत्येक डिवीजन के स्टेशनों के नाम और उनमें फूलों के गमले लगाने के लिये किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है ;

डिवीजन का नाम	स्टेशनों का नाम	कुल व्यय (रुपयों में)
हावड़ा	(१) हावड़ा (२) लिलुआ (३) बर्दवान (४) रामपुर हाट (५) अजीमगंज (६) साहिब गंज (७) जमालपुर	२,५५५.००
सियालदह . .	(१) सियालदह . . .	२५.००
आसनसोल .	(१) आसनसोल (२) धनबाद	२५.००

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

बम्बई राज्य में पूर्ण परियोजना[1]

†**१०९. श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य की पूर्ण परियोजना इस समय किस प्रावस्था में है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: योजना आयोग ने पूर्ण परियोजना का अब तक अनुमोदन नहीं किया है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है और उसने जून, १९५९ के अन्त तक निम्नलिखित प्रगति की सूचना दी है :—

येल्दारी बांध : कॉफर बांध और बांध तक जाने वाली सड़क का कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी के बांध का और स्पिलवे[2] तथा ग्रैविटी बांध[3] की बुनयादी के लिये खुदाई का काम चल रहा है।

सिद्धेश्वर बांध : कॉफर बांध का पूरा कार्य हो गया है। मिट्टी के बांध का और स्पिलवे वाले अंश की बुनियाद के लिये खुदाई का काम चल रहा है।

नहर-निर्माण : बायीं नहर की २ से १३वें मील तक खुदाई चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Purna Project.

[2]Spillway.

[3]Gravity Dam.

काकरापाड़ा परियोजना

†११०. **श्री पांगरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काकरापाड़ा परियोजना (बम्बई राज्य) इस समय किस प्रावस्था में है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** बताया जाता है कि अगस्त, १९५९ के अन्त तक काकरापाड़ा परियोजना पर कुल ११.२७ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं जो परियोजना की कुल पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत के ६० प्रतिशत अंश के बराबर है। वेयर १९५३ में पूरा हो गया था। नहर-व्यवस्था संबंधी मिट्टी और राजगिरी के कार्य में अगस्त १९५९ के अन्त तक हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है :—

(क) मिट्टी का कार्य	प्रगति
१. दायें किनारे की मुख्य नहर और शाखायें	९२.८ प्रतिशत
२. बायें किनारे की मुख्य नहर और शाखायें . .	८१.७ प्रतिशत
(ख) राजगिरी संबंधी निर्मितियां	
(१) मुख्य नहर तथा शाखायें . .	७१.० प्रतिशत
(२) वितरक नालियां और माहनर . .	४५ प्रतिशत

अब तक सींचा गया अधिकतम क्षेत्र लगभग ३१,७०० एकड़ है।

रायगढ़ के निकट रेल का पुल

†१११. **श्री सैं० अ० मेहदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगढ़ के निकट वाला रेल का पुल ६ सितम्बर, १९५९ को नीचे धस गया और कई गाड़ियों को वापस लौटना पड़ा था ;

(ख) पुल के नीचे धसकने का ध्यान पहले से क्यों नहीं रखा गया था ; और

(ग) क्या तब से पुल की मरम्मत करली गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बिलासपुर के निकट मालडिब्बों का पटरी से उतरना

†११२. **श्री सैं० अ० मेहदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५९ में बिलासपुर के निकट दधोड़ा और जमगा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्योरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि रेल की पटरियों, सम्पत्ति अथवा माल को कुछ क्षति पहुंची हो तो वह कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). ८-९-१९५९ को लगभग १७.३५ बजे जिस समय अप भिलाई स्पेशल मालगाड़ी दक्षिण पूर्व रेलवे के झरसूगुदा-बिलासपुर सेक्शन के दघोड़ा और जमगा स्टेशनों के बीच चल रही थी तो उसके ८ डिब्बे पटरी पर से उतर गये । इस दुर्घटना के फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

स्थायी पटरियों और डिब्बे इंजन आदि को हुई हानि क्रमशः १४,२५० रुपये और ३,००० रुपये आंकी गयी है। लोक-सम्पत्ति को कुछ भी क्षति नहीं पहुंची थी।

यह माना गया है कि अत्यधिक वर्षा होने के फलस्वरूप पटरी के धसक जाने के कारण यह दुर्घटना हुई।

रेलवे स्टेशनों पर शेड

†११३. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन के रेलवे स्टेशनों पर कोई भी छायादार शेड नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कांगड़ा घाटी सेक्शन के स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर यद्यपि कोई छायादार शेड नहीं हैं फिर भी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रतीक्षालय और वरांडे मौजूद हैं जिनके मुंह सीधे प्लेटफार्मों की ओर हैं और इनमें यात्रीगण गाड़ियों की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास को चीनी का संभरण

†११४. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्र से नवम्बर, १९५९ के महीने के लिये उत्तर भारत की चीनी का संभरण करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी मांगी गयी थी और कितनी का संभरण किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उत्तर भारत की चीनी मिलों की ३००० टन चीनी का कोटा नवम्बर, १९५९ के लिये मद्रास राज्य को दिया है क्योंकि दक्षिण भारत की चीनी मिलों का उत्पादन पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफी नहीं था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोदावरी के पानी का बंटवारा

†११५. **श्री सुबिमन घोष :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार गोदावरी का फालतू पानी मद्रास को देने को राजी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और मद्रास सरकारों के परामर्श से एक व्यापक योजना तैयार करने के लिये केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में गोदावरी के फालतू पानी के बंटवारे के बारे में अभी कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के पुनर्वितरण का पूरा प्रश्न अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

नवद्वीप धाम स्टेशन के नाम में परिवर्तन

†११६. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के नवद्वीपधाम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नवद्वीप कर दिया गया है ; और

(ख) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). जी हां। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 'नवद्वीपधाम' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'नवद्वीप' कर देने का सुझाव दिया था और क्योंकि रेलवे प्रशासन इस संबंध में राज्य सरकारों की इच्छाओं का पालन करता है इसलिये राज्य सरकार का सुझाव मान लिया गया था।

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों और स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का प्रशिक्षण

†११७. **श्री चुनीलाल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों और स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिये क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ; और

(ख) इन कोर्सों में भर्ती के लिये युवतियों की क्या योग्यतायें होनी चाहियें ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) नर्सों के प्रशीक्षण के लिये सुविधायें इन स्थानों में उपलब्ध हैं : (१) कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली, (२) दि लेडी हार्डिंज मेडीकल कालेज हास्पिटल, नई दिल्ली, (३) दि अर्विन हास्पिटल, नई दिल्ली, (४) दि सर गंगाराम हास्पिटल, नई दिल्ली, (५) दि होली फैमिली हास्पिटल, ओखला, नई दिल्ली, और (६) दि विक्टोरिया जनाना हास्पिटल, दिल्ली। स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधायें लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में उपलब्ध हैं।

(ख) बी०एस०सी० (ऑनर्स) डिग्री कोर्स के लिये दि कालेज आफ नर्सिंग में प्रवेश के लिये उम्मीदवार को इंटर अथवा हायर सैकेंडरी परीक्षा पास होना चाहिये और यह

---

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यक है कि वह १६ वर्ष की हो चुकी हो। नर्सिंग में स्नातकोतर डिग्री के लिये संबंधित कोर्स में प्रवेश के लिये नर्सिंग में बी०एस०सी० (आनर्स) या समस्त रूप में ६० प्रतिशत अंकों के साथ नर्सिंग में बी०एस०सी० होना चाहिये और साथ ही किसी अध्यापन कार्य करने वाले अस्पताल अथवा लोक स्वास्थ्य सेवा में कम से कम तीन साल के कार्य का अनुभव होना चाहिये।

सामान्य नर्सिंग कोर्स की अभ्यर्थियों को मैट्रिक अथवा उसके बराबर की परीक्षा पास होना चाहिये और उनकी उम्र १७ वर्ष की हो चुकी होनी चाहिये।

लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल में स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के कोर्स दो प्रकार के हैं (१) १½ वर्ष की अवधि का रेगुलर स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का कोर्स और (२) २½ वर्ष की अवधि का समेकित स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का कोर्स।

केवल सीनियर मिडवाइफ़री का डिप्लोमा-प्राप्त अभ्यर्थियों को ही पहले कोर्स में भर्त्ती किया जाता है। लेकिन, जो अभ्यर्थी सामान्य नर्सिंग का तीन वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर चुकी होती हैं उन्हें कोर्स के आरम्भ में तीन माह की छूट दे दी जाती है।

दूसरे कोर्स में ऐसी अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जिनकी आयु १८ वर्ष हो चुकी हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा पास कर ली हो।

महानदी घाटी विकास योजना

†११८. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री हीराकुड बांध परियोजना विषयक २० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी घाटी के विकास की योजना, इस बीच आ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ते में टेलीग्राफ सर्विस

†११९. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ सितम्बर, १९५९ को उपद्रवों के दौरान में कलकत्ते के केन्द्रीय तार घर की टेलीग्राफ सर्विसें अस्तव्यस्त हो गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की कितनी क्षति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी हां, कुछ गड़बड़ी हो गयी थी।

(ख) कुछ भी क्षति नहीं हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी

बाराबंकी स्टेशन पर दुर्घटनायें

१२०. { **श्री यादव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बाराबंकी स्टेशन पर १९५९ में अब तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण क्या थे; और

(ग) उन कारणों के दूर करने के लिये क्या कोई उपाय किये गये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जवनरी, ५९ से अक्टूबर, ५९ तक की अवधि में बाराबंकी स्टेशन पर कोई गाड़ी-दुर्घटना नहीं हुई ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये रेलवे की ओर से आमतौर पर जो उपाय किये जाते हैं, वे जारी हैं ।

गोरखपुर रेलवे कर्मचारी

१२१. { **श्री यादव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने लोगों को रहने के लिये मकान दिये गये हैं; और

(ग) बाकी लोगों को मकान देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क)	श्रेणी १	८३‡
	श्रेणी २	८४
	श्रेणी ३	११२४८
	श्रेणी ४	९०२४
(ख)	श्रेणी १	७२‡
	श्रेणी २	७४
	श्रेणी ३	१७०८
	श्रेणी ४	१०६९

(ग) दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में गोरखपुर में [illegible] गों के लिए ७०७ मकान बनाने की व्यवस्था की गयी है जिनमें से ५१६ मकान बन चुके हैं । इसके अलावा ४७२ आदमियों के लिए ६ बैरक भी बनाये गये हैं ।

‡इसमें अस्थायी अफ़सर भी शामिल हैं ।

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें

†१२२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) मरने अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या मरने अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों के परिवार वालों को कुछ मुआवजा दिया गया है; और

(घ) हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें न होने देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]**

दिल्ली की बस्तियां

†१२३. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की वह कौन कौन सी बस्तिया हैं जिनका दिल्ली विकास प्राधिकार ने तो अनुमोदन कर दिया है लेकिन जिनको बस्ती बसाने वालों ने अभी विकसित नहीं किया है ; और

(ख) इन बस्तियों को विकसित करने में क्या बाधायें हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे लाइनों के जोड़ों की वेल्डिंग के लिये ठेके

†१२४. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कानपुर की एक फर्म को रेलवे लाइनों के जोड़ों की वेल्डिंग का ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ठेके की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह कार्य किन जोनों में आरम्भ कर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) रेलवे ने पृथक पृथक ठेके किये हैं। सामान्यतया, रेलवे संयंत्र, उपकरण और श्रमिकों का संभरण करती है और ठेकेदार वेल्डिंग के सामान और प्रविधिक देख रेख की व्यवस्था करता है। मीटर लाइन के जोड़ की दर लगभग १८ रुपये और बड़ी लाइन के जोड़ की लगभग २४ रुपये है।

(ग) यह कार्य भारतीय रेलवे के सभी ज़ोनों पर आरम्भ कर दिया गया है।

कोढ़

†१२५. **श्री वासुदेवन् नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोढ़ की रोक-थाम और इलाज के लिये १९५८–५९ में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने केरल के नूरानद स्थित कोढ़ चिकित्सालय को १९५८–५९ में कोई अनुदान अथवा वित्तीय सहायता दी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कोढ़ नियंत्रण योजना के अधीन १९५८–५९ में राज्य सरकारों को २०,७३,३१० रुपयों की राशि दी गयी थी। तिरुमणि की केन्द्रीय कोढ़ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था को ४,१५,६८९ रुपयों का अनुदान और ऐच्छिक संगठनों को ६,४५,७०० रुपये के अनुदान दिये गये थे।

(ख) केरल के नूरानद स्थित कोढ़ चिकित्सालय को १९५८–५९ में कुछ भी केन्द्रीय सहायता नहीं प्रदान की गयी थी।

डिब्बा-बन्द मछली और सूअर का मांस

†१२६. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में भारत में कुल कितने डिब्बा-बन्द सूअर के मांस और सूअर के मांस के उत्पादों तथा डिब्बा-बन्द और जमायी हुई मछलियों का उत्पादन हुआ ; और

(ख) यदि इन वस्तुओं का उत्पादन और भी बड़े पैमाने पर संगठित करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) मांस के उत्पादों और डिब्बा-बन्द मछलियों समेत अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों की समस्याओं को जांच के लिये भारत सरकार ने खाद्य तैयार करने वाले उद्योगों की एक विकास परिषद् की स्थापना कर दी है। यह परिषद् अन्य बातों के साथ-साथ इन उद्योगों का उत्पादन और भी बड़े पैमाने पर संगठित करने के सम्बन्ध में कार्यवाहियों का सुझाव देगी।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में तीन क्षेत्रीय सूअर प्रजनन केन्द्र व सूअर के मांस के कारखाने स्थापित होने हैं। ऐसे दो कारखानों के चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित हो जाने की संभावना है।

रेलवे के हाई स्कूल

†१२७. **श्री अमरसिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की नीति के भाग के रूप में सभी रेलवेओं के लगभग एक दर्जन रेलवे हाई स्कूलों का स्तर ऊंचा कर उन्हें बहुउद्देशीय अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है और अर्हताप्राप्त अध्यापकों और हेडमास्टरों के वेतन तीन वर्ष के उच्चतर माध्यमिक कोर्स को ग्यारहवीं कक्षा को पढ़ाना आरम्भ करने के दिन से केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा बढ़ाये गये वेतन-क्रमों के आधार पर निश्चित कर दिये गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे हायर सेकण्डरी स्कूलों के सभी वर्तमान स्नातकोत्तर अर्हता-प्राप्त अध्यापकों का ग्रेड केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रमों के अनुसार बढ़ा देने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) विभिन्न रेलवेओं के आठ रेलवे हाई स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है, या उनका ग्रेड बढ़ा कर उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया गया है, या उन में इस प्रकार के परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है ।

रेलवे बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम अभी विचाराधीन हैं और आशा है कि शीघ्र ही उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जायेगा। रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]** ये वेतन क्रम उस दिन से ग्राह्य होंगे जिस दिन से नया पाठ्यक्रम पुनरीक्षित कोर्स लागू हुआ हो। लेकिन, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में नया पाठ्य-क्रम/पुनरीक्षित कोर्स लागू करने का काम तीन वर्ष में पूरा होगा, इसलिये, हैडमास्टर के पद समेत, जिन पदों का ग्रेड बढ़ाया जायेगा उन के नये वेतन-क्रम समुचित प्रक्रम पर निर्धारित किये जायेंगे ।

(ख) अध्यापकों की पदोन्नति के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रत्येक ग्रुप में, स्नातकोत्तर अर्हताप्राप्त वर्तमान अध्यापकों के ग्रेड बढ़ाने के दावों पर विचार कर लिया जायेगा ।

कश्मीर में पर्यटक

†१२८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अक्तूबर के अन्त तक कितने विदेशी और देशी पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे बैठते हैं; और

(ग) इन अवधियों में पर्यटन से कुल कितनी विदेशी मुद्राओं की आय हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) २० अक्तूबर, १९५९ तक कश्मीर की यात्रा करने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	भारतीय	विदेशी
१९५९ (२० अक्तूबर तक)	५५,२४०	९,६६०

(ख) १९५८ की इसी अवधि के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं :—

१९५८	भारतीय	विदेशी
(२० अक्तूबर तक)	४८,४८९	५,९३१

(ग) पर्यटन से पूर्ण रूप से कुल कितनी विदेशी मुद्रायें अर्जित की गयीं इसका हिसाब रिजर्व बैंक प्रत्येक पत्रो-वर्ष के अन्त में लगाता है, लेकिन केवल कश्मीर में पर्यटन से वर्ष के किसी भाग में कितनी आय हुई इसका अनुमान नहीं लगाया जाता इसलिये यह उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिक्री के लिये दी गयी चीनी

†१२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में अब तक बिक्री के लिये कुल कितनी चीनी दी गयी है; और

(ख) १९५९–६० के अवशिष्ट भाग में बिक्री के लिये कुल कितनी चीनी दी जाने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) चीनी सम्बन्धी वर्ष नवम्बर, १९५९ से आरम्भ होता है, और तब से १,७५,००० टन चीनी दी गयी है ।

(ख) चीनी के वर्ष की अवशिष्ट अवधि में कितनी चीनी और दी जायेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चालू पेराई के सीजन में कितना उत्पादन होता है ।

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में

बड़ाहोती से भारतीय सीमा पुलिस की वापसी

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : श्रीमन्, बड़ाहोती से भारतीय सीमा पुलिस की कथित वापसी सम्बन्धी मेरा स्थगन प्रस्ताव इस आधार पर गृहीत नहीं किया गया है कि यह मामला इस महीने की २५ तारीख को होने वाली चर्चा के दौरान में उठाया जा सकता है। मैं तो प्रतीक्षा कर सकता हूं किन्तु मुझे भय है कि चीनी लोग २५ ता० तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते । मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़ाहोती से सीमा पुलिस क्यों वापस बुलाई जा रही है और सरकार वहां जाड़ों में अपनी सैनिक टुकड़ियां रखने के लिए उचित प्रबन्ध क्यों नहीं कर रही है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** कुछ दिन हुए तब बड़ाहोती के बारे में चीनी सरकार से यह समझौता हुआ था कि चूंकि बड़ाहोती का क्षेत्र विवादग्रस्त क्षेत्र है अतः किसी भी पक्ष को वहां अपनी सशस्त्र सैनिक टुकड़ियां नहीं भेजनी चाहियें । अतः वहां कोई सैनिक टुकड़ियां नहीं भेजी गई हैं। इस वर्ष २७ मई को कुछ असैनिक कर्मचारी वहां गये थे जिन्हें छः सप्ताह पूर्व वापस बुला लिया गया था अतः अब उनके वापस बुलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । स्थिति गम्भीर होने के फलस्वरूप वे १३ सितम्बर को वापस बुला लिये गये थे । मेरा विचार है कि चीनी सरकार ने असैनिक प्रतिनिधि के रूप में एक तिब्बती पदाधिकारी, भेजा था, और इन गर्मियों में कोई चीनी वहां नहीं आया । अतः हम उसी करार की शर्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि कोई भी पक्ष इस बड़ाहोती क्षेत्र के स्तर में परिवर्तन लाने के लिये अपनी ओर से कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा ।

आजकल वहां रहने में, चाहे वे चीनी हों अथवा भारतीय बहुत कठिनाइयां हैं । यह स्थान हिमालय में ऐसी ऊंचाई पर है कि सर्दियों में वहां भारतीयों और चीनियों, किसी के लिये भी रह सकना कठिन है फिर भी सरकार ऐसी संभावना पर विचार करेगी कि वहां एक ऐसा स्थायी ढांचा खड़ा किया जाय जो सब ऋतुओं के उत्पातों को सह सके और इस दृष्टि से यह हो सकता है, तथा ऐसा करना स्वाभाविक भी होगा कि हम इस बात पर फिर से विचार करें कि क्या हमें वहां स्थायी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चौकियां बनानी होंगी जो वहां की जलवायु के लिये उपयुक्त हो। आजकल हम चीनियों के साथ हुई उसी संधि अथवा करार का पालन कर रहे हैं और जहां तक हम जानते हैं वे भी इसका पालन कर रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** (सहसराम) मेरा विचार है कि संसद् के पिछले अधिवेशन में प्रधान मंत्री ने कहा था—जहां तक मुझे याद है—कि बड़ाहोती में हमारी गश्ती पुलिस हैं। उस समय उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि चीनी सैनिक भी वहां थे। लेकिन आज के समाचारपत्रों में बताया है कि चीनी सैनिक भी वहां हैं। मैं नहीं जानता कि उस समय जब कि यह वक्तव्य दिया गया था इस बात की जानकारी भी थी कि चीनी वहां थे। मैं यह जानना चाहता हूं। कि किन परिस्थितियों में वे वहां आये ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू :** मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझा। 'पिछली बार' से उनका क्या अभिप्राय है यह मेरी समझ में नहीं आया ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** लोक सभा के पिछले अधिवेशन में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उस समय क्या कहा था ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** उस समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारी पुलिस बड़ाहोती में है।

†**श्री अशोक मेहता:** (मुज़फ़्फ़रपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान उनके उस पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने २२ मार्च को चीन के प्रधान मंत्री को भेजा था। उसमें कहा गया है कि :

> "मुझे मालूम हुआ है कि पिछले जाड़ों में हमारे असैनिक दल को वहां से वापस बुलाने के बाद चीनी सशस्त्र सैनिकों को वहां ठहरने के लिये भेजने के कारण स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। हमें जो समाचार मिले हैं, अगर वे सच हैं, कि सशस्त्र चीनी दल होती में जाड़ों में ठहर रहा है और वहां स्थायी चौकियां बना रहा है तो यह उस विवादास्पद क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने के लिये एक पक्षीय कार्यवाही होगी, जो कि संधि के प्रतिकूल की जा रही मानी जायेगी।"

इसका उल्लेख श्वेतपत्र के पृष्ठ ५७ पर किया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या हुआ ? यह प्रश्न हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री के साथ उठाया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्वेतपत्र संख्या १ का उल्लेख कर रहे हैं। यह बात १६५८ की गर्मियों की है। यह सच है। १६५८ में चीन सरकार के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बड़ाहोती के बारे में दिल्ली में काफ़ी चर्चा हुई थी। और यह बातचीत कई सप्ताह तक चली थी। इस बातचीत का परिणाम कुछ सफल नहीं हुआ क्योंकि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंचे और बातचीत स्थगित करनी पड़ी। लेकिन यह निश्चित हुआ था कि कोई भी पक्ष अपने सैनिक या सशस्त्र कर्मचारी भेज कर उस क्षेत्र के दर्जे को ऐकपक्षीय रूप से न बदले। यह तय हुआ था कि केवल असैनिक व्यक्ति ही भेजे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन श्वेतपत्र संख्या २ में माननीय सदस्य देखेंगे कि ७ सितम्बर, १९५९ को चीन ने बड़ाहोती में हमारे व्यक्तियों के रहने के विरुद्ध विरोध किया है। इसके प्रत्युत्तर में हमने बताया कि वे असैनिक व्यक्ति थे। मेरा विचार है कि मैंने जो कुछ कहा है उसमें कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है।

†**श्री अशोक मेहता** : कठिनाई यह है कि कुछ स्थानों पर चीनी लोग आगे बढ़े और "यथा-स्थिति" के नाम पर वे वहीं जम गये। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सीमा के पार अनेक स्थानों पर ऐसी घटनायें हुईं। बड़ाहोती में क्या स्थिति है ; क्या वे पिछले वर्ष ही आ गये थे, यदि हां तो क्या वे वापस गये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बड़ाहोती एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में बहुत दिनों से झगड़ा है, चीनियों के आने के पहले से भी। यह एक बहुत छोटा क्षेत्र है जो कुछ महीनों चरागाह के रूप में काम आता है अन्यथा वहां पहुंचना कठिन है। चीनी लोग यहां अपनी पुलिस टुकड़ी अथवा एक छोटा सा दल भेजा करते थे और उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पुलिस दल भेजती थी लगातार दो तीन साल तक के उस छोटे से क्षेत्र में दोनों ओर के दल एक दूसरे के आमने सामने वहां बैठते रहे और फिर यह निश्चय हुआ कि सशस्त्र दल वहां नहीं भेजने चाहियें और यह निर्णय आपसी बातचीत के द्वारा होना चाहिये न कि एक पक्षीय कार्यवाही के द्वारा।

जब हमने यह विरोध किया था उस समय यह बात हुई थी कि उनका पुलिस दल पहले आकर वहां बैठ गया था। १९५८ में उन्होंने अपना दल वापस बुला लिया इसके बाद वे पुनः नहीं लौटे। १९५९ में, अर्थात् इस वर्ष उनका कोई दल नहीं आया।

आजकल स्थिति यह है कि न तो चीनी सरकार का और न भारत सरकार का कोई भी सशस्त्र दल अथवा व्यक्ति उस क्षेत्र के आसपास है।

†**श्री वाजपेयी** : बड़ाहोती के बारे में अलग से समझौता क्यों किया गया। चीनी लोग जब हमारी सीमा के अन्य स्थानों पर हमला करने से नहीं चूकते तो फिर हम अपनी सेनायें उस स्थान पर भेजने से क्यों पीछे हटें जो कि चिरकाल से हमारा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : "चिरकाल" की बात तो मैं उतनी नहीं जानता जितना कि माननीय सदस्य जानते हैं लेकिन जहां तक ऐतिहासिक तथ्यों की बात है मैं कह सकता हूं कि तिब्बत की पुरानी सरकार से इस छोटी सी जगह के बारे में झगड़ा है। और यह झगड़ा बराबर चला आ रहा है। हम समझते हैं कि हमारा मामला ठीक है अतः हम इस पर अड़े हुये हैं। चूंकि यह मामला झगड़े वाला है और बहुत पहले से, चीनियों के आने से पहले भी, इसके बारे में विवाद चल रहा था।

यह झगड़ा चीन में गणतंत्र राज्य स्थापित होने के पूर्व से ही है। यह झगड़ा तिब्बत सरकार से आरम्भ हुआ था। कहने का अभिप्राय यह है कि लड़ाई कभी नहीं हुई लेकिन दोनों ओर एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत की गई थीं। वे कर एकत्रित करने वाले अपने आदमी भेजा करते थे जो चरागाह कर तथा अन्य कर एकत्रित किया करते थे। लगभग पिछले ५० वर्षों से सीमा के बहुत से भागों में ऐसा हुआ। यहां तक कि १९४७–४८–४९ में भी ऐसा हुआ। अतः सीमा के दो तीन स्थानों पर इस समस्या का मुकाबला करना पड़ा। हालांकि ये समस्यायें बहुत छोटी सी थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस प्रकार की घटनायें जारी रहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि यह अकेला मामला था और हमने इसके तथा अन्य दो मामलों के बारे में यही सोचा कि इनका फ़ैसला भी, जैसा कि आम-तौर पर होता है, बातचीत के द्वारा कर दिया जायेगा। उस समय के बाद से जो बड़ी बड़ी घटनायें हुईं उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सिलसिले में गत वर्ष इस मामले की चर्चा करने के लिये एक चीनी प्रतिनिधि भारत आया था। बहुत अर्से तक उसने चर्चा की। लेकिन यह बात सच है कि उसका कोई सफल परिणाम नहीं निकला। मामला फिर स्थगित हो गया। इस प्रकार मामला चलता रहा। किन्तु निश्चय यह हुआ और माना भी गया कि कोई भी दल उस छोटे से क्षेत्र में अपने सशस्त्र कर्मचारी नहीं भेजेगा। इसका पालन भी किया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक वर्ष पूर्व उन्होंने वस्तुतः अपने सशस्त्र सैनिक भेजे थे। हमने इसका विरोध किया इसके बाद उन्होंने इन्हें वापस बुला लिया। इस वर्ष उन्होंने कोई भी नहीं भेजा। हमने असैनिक दस्ता भेजा था जो कि जलवायु प्रतिकूल होने पर वहां से वापस चला आया।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोजाबाद) : हमें बताया गया था कि २,५०० मील की समस्त सीमा पर सैनिक नियंत्रण किया जा रहा है। लेकिन अब पता चला है कि बड़ाहोती को छोड़ा जा रहा है। क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी छोड़ा जा रहा है। सेना को वहां इसी कारण रखा जा रहा है क्योंकि वहां की परिस्थिति विचित्र थी अर्थात् वहां चीनी आक्रमण हुये। इससे पूर्व सम्पूर्ण सीमा पर सेना का कोई नियंत्रण नहीं था। बड़ाहोती के मामले में ही यह एक पक्षीय कार्यवाही क्यों की गई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समस्त सीमा की प्रभारी सेना है और यह उसी के नियंत्रण में है लेकिन वास्तव में तो सेना के अधीन अब भी पुलिस के आदमी कार्य कर रहे हैं वे सेना के निदेशानुसार गश्त लगाने का कार्य कर रहे हैं। । उदाहरण के लिये आसाम तथा नेफा की सीमा आसाम राइफल्स के अधीन है लेकिन वह सेना के आदेशों के अनुसार कार्य कर रही है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और पंजाब की सीमा पर सेना के आदेशों के अनुसार पुलिस कार्य कर रही है। सेना ही उन्हें आदेश देती है, उनमें परिवर्तन करती है, चाहे तो वह अपने आदमी भेज सकती है अथवा पुलिस के व्यक्ति रख सकती है, अर्थात् जो वह ठीक समझे कर सकती है। आदेश और नियंत्रण सेना का है लेकिन इन सभी स्थानों पर पुलिस है। कुछ स्थानों पर लद्दाख में चौकियों पर वास्तव में सेना के अधिकारी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर अभी बहस करने की क्या आवश्यकता है। प्रधान मंत्री उत्तर दे ही चुके हैं और फिर २५ नवम्बर को हम चर्चा करने ही जा रहे हैं ; फिर इस पर अभी इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है ?

†**श्री अशोक महता** : हमें सही सही बातें नहीं बताई जा रही हैं। हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हम इस समय इस पर चर्चा नहीं कर रहेहैं। हम तो केवल तथ्यों का निरूपण कर रहे हैं।

अगर आप चीन सरकार की ७ सितम्बर की टिप्पणी देखें तो आपको स्पष्ट हो जायेगा कि वे बार बार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि हम उनकी प्रादेशिक प्रभुता का अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा है कि "ऐसी बात नहीं है।" लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि 'यथास्थिति' बनाये रखनी है।" "यथास्थिति" का अभिप्राय हमारे

†मूल अंग्रेजी में

अनुसार यह होगा कि यह हमारा क्षेत्र होगा चाहे वे कुछ भी क्यों न कहें। क्या उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है ? हमने जो भी विरोध पत्र भेजा उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब भी हमने विरोध किया उन्होंने उसकी अवहेलना की। लेकिन उन्होंने जब कभी विरोध किया तो हमने अपनी स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** इस के बारे में यह भ्रांति क्यों है यह मैं नहीं जानता। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। यह कोई बात नहीं है कि उन्होंने किसी विशेष पत्र या दस्तावेज़ में क्या कहा। जिस प्रकार वे दावा करते हैं हम भी अपने दावे पर दृढ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम समझते हैं हमारा दावा बहुत ठीक है और हम उस पर दृढ़ रहेंगे। फिर भी हम बहुत पहले यह निश्चय कर चुके हैं कि बड़ा-होती का मामला एक विवादस्पद मामला है, जिसका निराकरण परामर्श के आधार पर होना चाहिए। दो वर्ष पूर्व हम यह निश्चय कर चुके थे कि किन्हीं भी पक्ष को वहां सैनिक अधिकारी नहीं भेजने चाहिये। हम इस बात पर दृढ़ हैं और एक दो घटनाओं को छोड़ कर वे भी इसका पालन ही कर रहे हैं। वस्तुस्थिति यही है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मेरा एक सुझाव है कि सभा की यह परम्परा रही है कि सीमा वाले क्षेत्रों के झगड़ों के सम्बन्ध में वहां सैनिक गतिविधियों के बारे में यहां मंत्री से प्रश्न नहीं किये जाते। अगर ऐसे प्रश्न यहां पूछे भी जाते हैं तो सीमा-सुरक्षा की हित की दृष्टि से प्रधान मंत्री को ऐसे प्रश्नों का यहां उत्तर नहीं देना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्री त्यागी ने जो कुछ कहा है, विरोधी सदस्यों के विरोध के बावजूद भी हर देश में इसका पालन किया जाता है। विशेष रूप से संकट के समय इस नियम का पालन किया जाता है। विरोधी सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि किसी प्रकार उन पर आघात किया गया है। श्री त्यागी ने तो सुझाव ही दिया है। जहां तक कि इस मामले का सम्बन्ध है सैनिक पदाधिकारियों को हमने सम्पूर्ण भार सौंप दिया है और हम उन से परामर्श लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** मैं बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम और देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १६५८/५९]**

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (बसीरहाट) : क्या इस विवरण के बारे में वाद-विवाद होगा ? क्या इस विवरण में दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन भी सम्मिलित है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** यह तो एक अलग प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस पर यहां चर्चा करना निश्चित हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** १९५६ में जब बाढ़ आई थी तब भी एक प्रतिवेदन रखा गया था। उसकी प्रतियां हमें नहीं दी गईं। उस क्षेत्र में कुछ सर्वेक्षण आदि भी किये गये थे। हम चाहते हैं कि उसकी प्रतियां हमें दे दी जाये ताकि चर्चा के दौरान में उनका उपयोग किया जा सके।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** सम्भवतः माननीय सदस्या उस समिति का उल्लेख कर रही हैं जिसकी नियुक्ति पश्चिमी बंगाल सरकार ने की। उस प्रतिवेदन में तो अभी समय लगेगा। अगर माननीय सदस्या कुगंर समिति का प्रतिवेदन चाहती है तो मेरा विचार है कि वह भी अभी तैयार नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** दो प्रतिवेदन हैं। एक तो १९५६ की बाढ़ के बारे में है। दूसरा वह है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री महोदय ने किया है। हम चाहते हैं कि कम से कम १९५६ वाला प्रतिवेदन हमें दिया जाये।

†**श्री हाथी :** जो कुछ भी उपलब्ध है वह अवश्य दिया जायेगा लेकिन दूसरा प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो उपलब्ध हैं उसकी दो तीन प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जायें।

भारतीय तार नियम में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैं भारतीय तार अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६८ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० १५९६/५९]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २६ सितम्बर १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८५ और जी० एस० आर० १०८६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १६६०/५९]**

भारतीय तारनियम में संशोधन

†**अध्यक्ष महोदय :** डा० सुब्बरायन दूसरी अधिसूचना भी सभा पटल पर रख सकते हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं इसे रख नहीं रहा हूं बल्कि वापस ले रहा हूं। हम फिर से उन्हें तैयार कर रहे हैं और ठीक से तैयार हो जाने के बाद वे सभा पटल पर रखे जायेंगे। अधिसूचना को ठीक करना है। ठीक हो जाने के पश्चात ही वे सभा पटल पर रखे जायेंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** (फिरोज़ाबाद) : फिर यह आज के कार्यक्रम में क्यों रखा गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई भी अधिसूचना जिस रूप में भी वह है सभा पटल पर रखी जाती है। और अगर उस में सुधार करना है तो वह ठीक की गई प्रति अथवा प्रथम संशोधित प्रति और मूल प्रति दोनों सभा पटल पर रखी जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : आपके आदेशानुसार मैं भारतीय तार अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १६५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ अगस्त, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १६५६/५६]**

कुलू वेली ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं समवाय अधिनियम, १६५६ की धारा ६३६ की उपधारा (१) के अन्तर्गत कुलू वेली ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड के १६५६–५७ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १६६१/५६]**

रेलवे संरक्षण बल नियम

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, १६५७ की धारा २१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० सितम्बर, १६५६ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५१ में प्रकाशित रेलवे संरक्षण बल नियम, १६५६ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १६२५/५६]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कलकत्ता बन्दरगाह में आपात काल की घोषणा

†**श्री बाजपेयी** (बलरामपुर) : नियम १६७ के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम और रोज़गार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"कलकत्ता बन्दरगाह में आपात काल की घोषणा"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : हुगली नदी की गहराई अधिक न होने के कारण कलकत्ता बन्दरगाह जाने वाले खाद्य जहाज़ों की उतराई अब तक मद्रास अथवा विज़िगापटम में हुआ करती थी। अनुभव करने के लिये मद्रास तथा विज़िगापटम में उन जहाज़ों को खाली न करके उनका हलदिया में खाली किया गया। यह प्रबन्ध अच्छा मौसम होने के कारण फरवरी १६६० तक के लिये था।

चूंकि हलदिया बन्दरगाह कलकत्ता बन्दरगाह की सीमा में नहीं आता अतः वहां जहाज़ों पर माल चढ़ाने तथा उतारने के लिये डॉक श्रम योजना वहां लागू नहीं हो सकती। फिर भी विभिन्न सम्बन्धित हितों द्वारा २६ अक्तूबर १६५६ को हस्ताक्षरित करार की शर्तों के अनुसार हलदिया में उदवभरण का जो वर्तमान प्रबन्ध है उस में इस मौसम के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नवम्बर १६६० से शुरू होने वाले अच्छे मौसम के कार्यक्रम में कलकत्ता डॉक श्रम मंडल के कर्मचारियों को काम पर रखने की दृष्टि से श्रमहितों से परामर्श करने के पश्चात ही कुछ परिवर्तन किया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

जायेगा और अगर वर्तमान मौसम में हलदिया में माल उतारने का कोई काम हुआ तो वह भी उन्हीं कर्मचारियों को दिया जायेगा ।

कुछ कर्मचारियों ने इस प्रबन्ध को गलत समझा और इसका विरोध किया तथा इस से हिंसात्मक कार्यवाही भी हुई । स्थिति का सामना करने के लिये कलकत्ता डॉक श्रम मंडल के सभापति ने केन्द्रीय सरकार की पूर्वस्वीकृति के आधार पर कलकत्ता बन्दरगाह में आपातकाल की घोषणा कर दी । अतः कलकत्ता डॉक के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझ से मिला और स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाने के बाद अपना विरोध वापस लेने के लिये वे तैयार हो गये । एतदर्थ वहां सामान्य स्थिति हो गई और अगर आवश्यकता न हुई तो आपातकाल की घोषणा वापस ले ली जायेगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद): यह आदेश कब वापस लिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : जब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी ।

शस्त्र विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री दातार द्वारा १ सितम्बर, १६५६ को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी ;

"कि शस्त्र तथा गोलाबारूद संबंधी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप, में विचार किया जाये"।

कल श्री दातार भाषण दे रहे थे। इसलिये शुरू में ५ घंटे रखे गये थे लेकिन अब सिर्फ़ ३५ मिनट ही बाकी हैं। इसको समाप्त करने के लिये अब कितने समय की ज़रूरत है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : दो घंटे काफ़ी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो आप समय को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ११ अगस्त, १६५६ को [देखिये कार्य मंत्रणा समिति का ४०वाँ प्रतिवेदन] शस्त्र विधेयक १६५६ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने और उसे पारित करने के लिये सभा द्वारा आवंटित समय को पांच घंटे से बढ़ाकर सात घंटे कर दिया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ११ अगस्त, १६५६ को [देखिये कार्य मंत्रणा समिति का ४०वां प्रतिवेदन] शस्त्र विधेयक १६५६ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने और उसे पारित करने के लिये सभा द्वारा आवंटित समय को पांच घंटे से बढ़ाकर सात घंटे कर दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार**: मैं संयुक्त समिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। संयुक्त समिति ने मूल विधेयक के उपबन्धों पर पर्याप्त सुधार किया है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि सभा के दोनों पक्षों ने संयुक्त समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों का स्वागत किया है, समिति ने इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार किये हैं, यद्यपि उन्होंने इस बात की आलोचना की है कि उपबन्धों को अधिक उदार नहीं बनाया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस बारे में बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। यद्यपि उन्होंने विधेयक के अन्य उपबन्धों के बारे में अलोचना की है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जो दो तीन बातें कहीं उन का उत्तर मेरे माननीय मित्र श्री आचार, श्री रघुवीर सहाय और श्री पद्म देव जी ने दे दिया है। सदस्यों ने मुख्यतः यही बात कही हैं अतः अपने उत्तर के दौरान मैं यथासंभव कम समय लूंगा।

कई सदस्यों ने यह बात कही है कि गांधी जी शस्त्र अधिनियम के कड़े आलोचक थे और वे उसे निकृष्ट अधिनियम कहा करते थे। यह बात बिल्कुल सही थी क्योंकि उस समय शस्त्र अधिनियम और उसके अन्तर्गत अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाये गये नियम इस प्रकार के थे कि उसे निकृष्ट अधिनियम ही कहा जा सकता था। इसके कई एक उपबन्ध भारत के प्रतिष्ठा के प्रतिकूल थे, दूसरे इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बहुत कड़ी और अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी। अतः गांधी जी ने उक्त नाम दिया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें वर्तमान स्थिति पर भी ध्यान देना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जहां कुछ दिशाओं में हमने श्लाघनीय प्रगति की है वहीं कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्वों का भी विकास हुआ है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक ओर भारत के नागरिकों को अधिक सरलता से शस्त्रों का लायसेंस मिल जाय और दूसरे ओर हमें भारत की सुरक्षा और राष्ट्र की शांति व व्यवस्था बनाये रखने का भी विचार करना है।

मैं सभा का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जो कई महत्वपूर्ण साक्षियों ने कही थी जिनके बयान संयुक्त समिति ने लिये थे। भारत की स्थिति कई मानों में असन्तोषजनक है। अतः बहुत से ऐसे कदम उठाने पड़े हैं जिनका प्रयोजन वस्तुतः सख्ती करना नहीं अपितु राष्ट्र को समाज विरोधी तत्वों के कार्यों से बचाना है। मुझे प्रसन्नता है कि दो माननीय सदस्यों ने भारत सरकार व राज्य सरकारों की इस विशेष कठिनाई का जिक्र किया। उन्होंने यह कहा है कि वर्तमान शस्त्र विधेयक के उपबन्धों को उदार बनाने के साथ-साथ हमें देश की सुरक्षा और शांति का ध्यान भी रखना चाहिये।

कई सदस्यों ने यह बताया है कि हमने मूल शस्त्र अधिनियम और शस्त्र नियमों की नकल की है यह बात गलत है। वस्तुतः हमने केवल उन प्रक्रिया संबंधी बातों को रहने दिया है जिससे लायसेंस देने वाला अधिकारी उसकी गलत व्याख्या न कर सके? वर्तमान विधेयक के उपबन्ध ब्रिटेन के अग्नेयास्त्र विधेयक के अनुरूप बनाये गये हैं। यदा-कदा हमने अन्य अधिनियमों का समावेश किया है। अतः यह कहना गलत है कि हमने मूल शस्त्र अधिनियम की अधिकांश बातों को ज्यों का त्यों रखा है। इसके महत्वपूर्ण उपबन्ध में बहुत उदार व्यवस्था की गई है। यद्यपि इसे शस्त्र अधिनियम ही कहा जायेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में शस्त्रों का विनियमन करना भी आवश्यक हो सकता है। तथापि इस विधेयक का प्रयोग शस्त्रों के लायसेंस लेने के संबंध में ही किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

इसे शस्त्र अधिनियम केवल इसी कारण कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में शस्त्रों का विनियमन करना आवश्यक हो सकता है। यह भी संभव है कि इसकी आवश्यकता न पड़े। कुछ साक्षियों ने यह कहा है कि राज्यों में यदा-कदा गम्भीर स्थितियां पैदा हो जाती हैं और उपद्रव खड़े हो जाते हैं। यदि चरम स्थिति के लिये हमारे पास पहिले से ही व्यवस्था न हो तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है। इसीलिये शस्त्र शब्द की वही परिभाषा रखी गई है और अपवाद स्वरूप स्थिति के लिये विशेष शक्तियां ग्रहण की गई हैं। ऐसे शस्त्रों पर केवल आपातकालीन स्थिति में ही विनियमन किया जायेगा। आपातकालीन स्थिति में जब कभी विशेष शक्तियों के विनियमन की आवश्यकता होगी, तभी इन शस्त्रों को विनियमन किया जायेगा।

इस संबंध में संयुक्त समिति ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। यह कहा गया है कि जिन शस्त्रों के लिये विनियमन की आवश्यकता है उनका उल्लेख सरकार को एक विशेष अधिसूचना जारी करके करना चाहिये। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि शस्त्र अधिनियम सभी शस्त्रों पर लागू होगा।

हमने तीन वर्गों पर पूरी तरह से विचार किया है। पहिला व शस्त्र हैं जिनका प्रयोग घरेलू और कृषि के कार्यों के लिये होता है। वे इस अधिनियम में शामिल नहीं किये गये हैं। इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान खंड २(ग) में दी गई परिभाषा की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि :

> "शस्त्रों का तात्पर्य उस सभी प्रकार की वस्तुओं से है जिनका प्रयोग अघात करने या प्रतिरक्षा करने में किया जाये इसके अन्तर्गत अग्नेयास्त्र व नोकीली धार वाले वे घातक, अस्त्र आते हैं तथा मशीनों के अंश और शस्त्र बनाने वाली मशीन आती हैं। किन्तु घरेलू और कृषि संबंधी उपयोग की वस्यएं नहीं आती है।"

मूल अधिनियम के संबंध में दिये गये कई निर्णयों को ध्यान में रख कर यह बात स्पष्ट कर दी गयी है। अतः यह हमारे द्वारा दिये गये इस आश्वासन के अनुसार ही है। कि घरेलू और कृषि प्रयोगों में आने वाले हथियार और खिलौनों के काम में आने वाली वस्तुए इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रहेंगी। हवाई बन्दूकों इत्यादि ऐसी कई बातें का जिक्र किया गया था जिन्हें खिलौनों के प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किया जाता है। यदि परिभाषा पर ध्यान दिया जाता तो सभा में उस प्रकार की आलोचना नही की जाती जैसी कि सभा में कल की गई थी। दूसरा वर्ग इस प्रकार है कि खंड ४ के अधीन आने वाले शस्त्रों को छोड़ कर अन्य शस्त्र सामान्यतः इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। खंड ४ में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि "यदि किसी क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रख कर लोक हित के लिये यह अनिवार्य होगा कि अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त शस्त्रों का अर्जन उनका रखना व ले जाना इत्यादि विनियमन किया जाय"—इत्यादि

इस संम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी कर विशेष प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख करना होगा।

अब मैं तीसरे वर्ग पर आता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अग्नेयास्त्रों पर नियंत्रण किया जाय और इनके लिये लायसेंस लिया जाना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमारी व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था की तरह कड़ी नहीं है। वहां इससे भी कड़े प्रतिबन्ध हैं। उन्होंने यह कहा है कि यह प्रमाणपत्र देने का मामला है। यदि सदस्य शस्त्र अधिनियम का अध्ययन करेंगे तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि हमने प्रमाण पत्र के स्थान पर लायसेंस शब्द रख दिया है। अन्यथा

हमने ब्रिटेन के अधिनियम का अनुसरण किया है कई बातों में हमने उससे कड़ी व्यवस्था भी की है।

भारत और ब्रिटेन की विधि में एक विशेष भेद यह है कि ब्रिटेन में प्रमाणपत्र मुख्य पुलिस अधिकारी के द्वारा मंजूर किये जाते हैं। भारत में लायसेंस जिलाधीश या उसके अधीन कर्मचारी द्वारा मंजूर किये जाते हैं। हमने लायसेंस अस्वीकार करने के लिये भी कुछ उपबन्ध बनाये हैं। इस संबंध में हमने अंग्रेजी विधि का अनुसरण किया है। इस प्रकार हमने यथासंभव अंग्रेजी विधि का अनुसरण करते हुय भी यह ध्यान रखा है कि राज्यों को दी जाने वाली शक्तियों का उपयोग उदारता से किया जा सके।

इस संबंध में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि ब्रिटेन में अग्नेयास्त्रों की खरीद, प्राप्ति रखना व निर्माण इत्यादि इन सब का विनियमन अग्नेयास्त्र विनियमन के द्वारा होता है और मुख्य पुलिस अधिकारी इसके संबंध में प्रमाण पत्र देता है। उनके अधिनियम में इस प्रकार के कई पूर्वविधायी उपबन्ध हैं। पुलिस अधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही उसे प्रमाण पत्र देता है। हमने भी लगभग वही शब्दावली प्रयुक्त की है कि व्यवस्था तथा शांति को हानि पहुंचाय बिना व्यक्तियों को अग्नेयास्त्र इत्यादि रखने की अनुमति दी जा सकती है। ब्रिटेन में असंयमी स्वभाव वाले तथा अधिनियम के अधीन निषिद्ध व्यक्तियों को लायसेंस मंजूर नहीं किया जाता है। हमने एसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है जिनमें वे परिस्थितियां दिखाई गई हों जिनसे निर्योगिता प्रगट होती हो। तथापि यदि किसी व्यक्ति में गम्भीर प्रकार का असंयम हो, वहां हम सामान्य और अवशिष्ट उपबन्धों द्वारा कार्यवाही कर सकते हैं। विकृत चित्त वाले तथा ऐसे व्यक्ति को जो अग्नेयास्त्र सोंपे जाने योग्य न हो, उसे लायसेंस नहीं दिया जायेगा। अतः हमने ब्रिटेन के अधिनियम का अनुकरण किया है न कि पुराने अधिनियम को नवीन रूप दिया है। विधेयक में पर्याप्त सुधार हो चुका है और केवल भारत की विशेष वस्तुस्थिति को ध्यान में रख कर, कुछ विशेष स्थितियों में सरकार को कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है।

हमने विधेयक में पर्याप्त परिवर्तन किये हैं। जिनसे विधेयक में सन्तोषजनक सुधार हुआ है। पं० ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि इस पहलू को संविधान में बुनियादी अधिकार नहीं माना गया। इस प्रश्न पर संविधान सभा में चर्चा हुई। संविधान के अनुच्छेद १९(१)(ख) में यह लिखा गया है कि नागरिकों का यह बुनियादी अधिकार है कि वे शांतिपूर्वक, बिना शस्त्र धारण किये हुये, सभा कर सकें। इस प्रकार शस्त्रों के दुरुपयोग से संविधान सभा अवगत थी अतः उन्होंने शस्त्र धारण करने को बुनियादी अधिकारों के अन्तर्गत नहीं माना।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार जनता को सुलभ व सस्ती कीमत पर शस्त्र उपलब्ध करने का प्रयत्न करे। इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा, भारत सरकार इस दिशा में कार्यवाही कर रही है। प्रतिरक्षा अधिकारी नागरिकों के उपयोग के लिये आग्नेयास्त्रों व अन्य शस्त्रों के निर्माण का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। वे यथासंभव इनके निर्माण में लगे हुए हैं। और वे इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि नागरिकों के प्रयोग में आने वाले शस्त्रों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध किया जाय।

उन्होंने बारह बोर की बन्दूकें बना ली हैं वे उनके निर्माण व्यय में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है १९६० तक इनकी कीमतें काफी कम हो जायेंगी। कीमतों के संबध में हमें पूरी कीमत व्यवस्था पर बिचार करना होता है बढ़ती हुई कीमतों की पृष्ठ भमि पर इस पर विचार करना होगा। हमें आशा करनी चाहिये कि नागरिकों के प्रयोग के लिये शस्त्र शीघ्र ही सस्ती कीमतों में उपलब्ध होने लगेंगे।

[श्री दातार]

ऐसी व्यवस्था की गई है कि ग्रामिणों के उपयोग में आने वाले हथियारों का लायसेंस अपेक्षाकृत निम्नस्तर से यथा तहसीलदार द्वारा दे दिया जाय। सभी मामलों में निम्न अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना उचित नहीं है क्योंकि इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। अतः सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट को ही लायसेंस देने का अधिकार होना चाहिये।

लायसेंस नामंजूर करते समय सामान्यतः उसके कारण बता दिये जाते हैं। कई मामलों में लोकहित को ध्यान में रखते हुए कारण बताना उचित नहीं हो सकता है। जब पराजित पक्ष अपील करेगा तो अपील सुनने वाला अधिकारी उन सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और यह पता लगायेगा कि क्या लायसेंस नामंजूर करने के अधिकार का सही उपयोग किया गया है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि आवेदन पत्रों के निपटारे के लिये अवधि निश्चित की जानी चाहिये, तथापि मेरे विचार से एक महीने की अवधि निश्चित करना उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत से मामले एक महीने के पूर्व ही निपटाये जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि नये अधिनियम में निहित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए लायसेंस देने वाले अधिकारी इस संबंध में बहुत सतर्क रहेंगे। विलम्ब होने पर उन्हें इसका कारण बताना पड़ेगा।

घूसखोरी इत्यादि की शिकायत की गई है। जनता व अधिकारियों को इसे समूल नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार भृष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी। वस्तुतः हम प्रत्येक वस्तु को यथासंभव शीघ्र करना चाहते हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से, जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यह बताना चाहता हूं कि वे इस बात का प्रयत्न करे कि कोई व्यक्ति घूस न देवे और जहां घूस दी जाती हो वे मामले राज्य सरकारों को और आवश्यक होने पर हमें भेजें। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास विशेष व्यवस्था है। वस्तुतः भ्रष्टाचार फैलाने का दायित्व जनता पर है। यदि वे शीघ्र काम करने के लोभ में घूस न देवें तो अधिकारियों के लिये घूस खाना कठिन हो जाय। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम भ्रष्टाचार का मूलोच्छेदन करें मैं आशा करता हूँ कि इस संबंध में सरकार को जनता तथा माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अपील सुनने का अधिकार न्यायपालिका अधिाकारियों को दिया जाना चाहिये। न्यायिक रूप से मामला तय होने पर यह सुझाव समझ में आता है। नैसर्गिक न्याय के कुछ बुनियादी सिद्धान्त हैं। वस्तुतः यहां न्याय और व्यवस्था की मांग सबसे पहिले है अतः अपील की इजाजत देने का अधिकार उस अधिकारी को होना चाहिये जो उस प्रशासन व्यवस्था से संबंधित हो जो लायसेंस मंजूर करता हो। वस्तुतः जैसा कि दो माननीय सदस्यों ने कहा है यह मामला निजी अधिकार के न्यायनिर्णयन का नहीं है। कई प्रकार के अपराध हैं उन मामलों में अपराध प्रक्रिया संहिता के अधीन वह न्यायिक अधिकारी से अपील कर सकता है। यहाँ प्रश्न लायसेंस स्वीकार करने या अस्वीकार करने का है। जिलाधीश द्वारा दिये गये आदेश का औचित्य न्याय और व्यवस्था तथा लोकहित को ध्यान में रख कर करना पड़ेगा। अतः यह शक्ति प्रशासनिक अधिकारियों को देना ही अधिक उचित है।

माननीय सदस्यें ने यह प्रश्न भी उठाया है कि अपेक्षाकृत निम्नस्तर से भी लायसेंस मंजूर हो जाने चाहिये क्योंकि लोगों के लिये जिलाधीश या कमिश्नर तक पहुंचना बहुत कठिन होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पिस्तौलों व हवाई–रायफलों को छट देने की सिफारिश की है। इनमें से कुछ को भले ही खिलौना समझा जाय कुछ के भयंकर परिणाम हो सकते हैं केवल उन्हीं के संबंध में सरकार ने लायसेंस देने की व्यवस्था की है।

श्री आचार ने कहा है कि कुर्ग निवासियों के कुछ विशेष वर्गों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। कुर्गवासी योद्धा होते हैं और उन्हें एक शताब्दि से शस्त्र अधिनियम से छूट मिली है। हमने इस अधिनियम द्वारा यह छूट समस्त वर्गों को अन्य राज्यों में भी प्रदान कर दी ह। जब एक विशेष वर्ग को छट देने की बात सामने आयेगी तो सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम के उपबन्धों को यथासंभव उदार बनाया गया है। मैं श्री रघुवीर सहाय के इस सुझाव का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता कि पंचायत के सदस्यों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया जाय। श्री पद्मदेव जी ने ठीक ही कहा है कि इससे अधिकार का दुरुपयोग होने लगेगा। उनसे परामर्श लेना भी ठीक नहीं है। वस्तुतः जब तक पंचायतों का लोकतंत्रात्मक विधि से पूरी तरह विकास नहीं हो जाता पंचायतों की सिफारिशों पर अमल नहीं किया जा सकता है। श्री पद्म देव ने ठीक ही कहा है कि यदि पंचायतों को यह अधिकार दिया जायेगा तो इनका दुरुपयोग होने लगेगा। मुझे पंचायतों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हम लोकतंत्रात्मक पंचायतों का विकास करना चाहते हैं। तथापि इस समय इस बात के निर्णय करने का अधिकार, कि प्रार्थी लायसेंस पाने लायक है या नहीं, लायसेंस देने वाले अधिकारी पर ही छोड़ना उचित है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि केवल शपथपत्र पर्याप्त होगा। परन्तु जैसा कि हम जानते हैं शपथपत्र में अपने पक्ष की बातों को स्वीकार किया जाता है और इसका पता लगाने में बहुत समय लग जाता है कि शपथपत्र में लगाये गये आरोप वास्तव में सच है अथवा नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें यह लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ देना उचित होगा कि वह जिस प्रकार ठीक समझें जानकारी मंगाये। इसके अतिरिक्त शस्त्र अधिनियम के द्वारा लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग होने पर उसकी अपील अपीलीय प्राधिकारी को की जा सकती है। आप जानते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी की व्यवस्था इसी कारण से की गई है कि जिससे अन्याय अथवा पक्षपात के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर किया जाये। मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तथा मुझे विश्वास है कि सभा इस विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार कर लेगी।

†**श्री मोहन स्वरूप** (पीलीभीत): अल्पावधि लाइसेंसों के बारे में आपकी क्या राय है?

†**श्री दातार :** इस विषय के बारे में कई संशोधन हैं। इस सम्बन्ध में हमने जो संभव था करने का प्रयत्न किया है तथा मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि सरकार पर अधिक दबाव न डालें क्योंकि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर हमने यह व्यवस्था की है।

†**श्री मोहन स्वरूप :** 'पर्याप्त सम्पत्ति' की परिभाषा को कृपया स्पष्ट करें?

†**श्री दातार :** मैं बता चुका हूं कि एक भिखारी की भी एक नया पैसा अथवा पाई उसकी सम्पत्ति होती है। एसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसकी कोई सम्पत्ति न हो। संयुक्त समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

में इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि 'पर्याप्त' शब्द रखा जाये अथवा नहीं। 'पर्याप्त सम्पत्ति' एक वैध शब्द है। यदि इस शब्द को हटा दिया जाये तो सम्पत्ति तो सबके पास होती है परन्तु पर्याप्त नहीं होती अतः बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। पुराने नियमों के अधीन एक व्यक्ति सम्पत्ति वाला हो सकता है परन्तु उस सम्पत्ति को लाइसेंस दिए जाने के योग्य नहीं माना जा सकता। हमने यही व्यवस्था रखी है कि पर्याप्त सम्पत्ति न होने के कारण ही किसी व्यक्ति को लाइसेंस के अयोग्य न माना जाये। संयुक्त समिति ने इसके सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी सहमति प्रकट की कि इस शब्द को रखा जाये।

†**श्री मोहन स्वरूप :** संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि यदि कोई व्यक्ति सन्दूक अथवा कपड़े में हथियार लेकर चलता है तो रक्षित क्षेत्र में ऐसा करना अवैध नहीं होगा। क्या सरकार इस बारे में विधेयक में संशोधन करने जा रही है ?

†**श्री दातार :** संयुक्त समिति ने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है हमने उन सभी को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कुछ सुझावों की जांच करने को कहा है। उनकी हम जांच कर रहे हैं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा): आपने समाज विरोधी व्यक्तियों के बारे में बताया। मैं जानना चाहता हूं कि इनको सुधारने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री दातार :** हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी समाज विरोधी व्यक्तियों को नियंत्रण में रखा जाये। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि यदि इन व्यक्तियों को सभी प्रकार के हथियार रखने की अनुमति दे दी जाय तो यह लोग और खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देंगे।

†**श्री पु० र० पटेल** (महसाना): समाज विरोधी व्यक्ति जैसे डाकू जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनके पास जो हथियार मिलते हैं वह लाइसेंस शुदा होते हैं अथवा बेलाइसेंस के होते हैं ? जब उनके पास यह हथियार बिना लाइसेंस के होते हैं तो आप इस अधिनियम के द्वारा उनके कार्यकलापों पर किस प्रकार प्रतिबन्ध लगायेंगे ?

†**श्री दातार :** समाज विरोधी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कई अधिनियम हैं। परन्तु यदि उनको हथियार मिल जायेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिस पर काबू पाना कठिन हो जायेगा। मैं एक घटना बताता हूं। मैं एक राज्य में वहां के गृह-मंत्री के साथ घूम रहा था। मुझे वहां इसका बड़ा आश्चर्य हुआ कि ३५ मील के क्षेत्र में प्रत्येक गांव मे मुझे इस प्रकार के आवेदन पत्र मिले कि उन्हें हथियार बिना रोक टोक के दिए जायें। मैंने जांच की तथा गृह-मंत्री ने मुझे बताया कि इन आवेदन पत्रों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। यदि बिना किसी जांच के इन लोगों को हथियार दे दिए गए तो यह लोग छिप जायेंगे और इन हथियारों का समाज के लिए खतरनाक कामों के लिए उपयोग करेंगे।

†**श्री आचार** (मंगलौर): क्या सरकार इस प्रकार का कोई आश्वासन दे सकेगी कि कुर्ग में पूर्ववत स्थिति रखी जायगी ? वहां के व्यक्ति पहले कुछ प्रकार के हथियार रख सकते थे।

†**श्री दातार :** पूर्ववत स्थिति ही क्यों रखी जाय। उन्हें नये अधिनियम के अधीन अधिक विशेषाधिकारों का उपयोग करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुर्ग की जनता का स्तर

†मूल अंग्रेजी में

इतना ऊंचा हो जाये जिससे वह केवल एक प्रकार का ही नहीं परन्तु कई प्रकार के हथियारों का उपयोग कर सकें। साथ ही साथ मैं माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि छूट भी दी जाती है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वही स्थिति रहे। मैं उनकी इच्छा को समझता हूं और बताना चाहता हूं कि जो कुछ संभव होगा हम वह सब करने में कोई कसर नहीं रखेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि शस्त्र तथा गोलाबारूद सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा। खण्ड २, पर सरकार का एक संशोधन है।

खण्ड २ (परिभाषायें तथा निर्वचन)

†**श्री दातार :** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं। पृष्ठ ३, पंक्ति २७ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"(3) Any reference in this Act to any law which is not in force in any area shall, in relation to that area, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area.

(4) Any reference in this Act to any officer or authority shall in relation to any area in which there is no officer or authority with the same designation, be construed as a reference to such officer or authority as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette."

["(३) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि का निर्देश, जो किसी क्षेत्र में लागू नहीं हो, उस क्षेत्र के लिए, उसी क्षेत्र में लागू तदनुरूप विधि का, यदि कोई हुई तो, निर्देश माना जायेगा।

(४) इस अधिनियम में किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकार का निर्देश ऐसे क्षेत्र में जहां ऐसे पद का कोई पदाधिकारी अथवा प्राधिकार न हो, उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित पदाधिकारी अथवा प्राधिकार का निर्देश माना जायगा।"]

सरकार ने यह संशोधन इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि नेफा जैसे क्षेत्र में इस विधि को लागू किया जा सके। वहां पर विभिन्न पदों के विभिन्न पदाधिकारी हैं जिनको जिलाधीश के अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू तथा काश्मीर जैसे राज्य में उनकी अपनी विधियां हैं। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि इसको जितना संभव हो सके उतना प्रभावोत्पादक रूप में लागू किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३--पंक्ति २७ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायें:--

"(3) Any reference in this Act to any law which is not in force in any area shall, in relation to that area, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area.

(4) Any reference in this Act to any officer or authority shall, in relation to any area in which there is no officer or authority with the same designation, be construed as a reference to such officer or authority as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette."

["(३) इस अधिनियम में ऐसी विधि का निर्देश जो किसी क्षेत्र में लागू नहीं हो, उस क्षेत्र के लिए उसी क्षेत्र में लागू तदनुरूप विधि का यदि कोई हुई तो निर्देश माना जायेगा ।

(४) इस अधिनियम में किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकार का निर्देश ऐसे क्षेत्र में जहां ऐसे पद का कोई पदाधिकारी अथवा प्राधिकार न हो, उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित पदाधिकारी अथवा प्राधिकार का निर्देश माना जायगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री पु० र० पेटल :** मैं अपने संशोधन संख्या ६१, ६२, ६३ तथा ६४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री उ० ल० पाटिल :** (धूलिया): मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम): मैं अपने संशोधन संख्या १४, १५ तथा १६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर): मैं अपना संशोधन संख्या १२५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं अपने संशोधन संख्या ७८, ७९, ८० तथा ८२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** श्रीमान, मैंने इस विचार से अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं कि हथियारों के सम्बन्ध में उपबन्धों का प्रयोग इस प्रकार न किया जाये जिससे जनता को शिकायत करने का अवसर मिल सके । मेरा पहला संशोधन पंक्ति १५ से २१ को हटाने के बारे में है जिससे यह अधिनियम केवल बारूद के हथियारों तक सीमित रह जाये । यदि सरकार मेरी इस बात को स्वीकार करने को तैयार न हो तो कम से कम इस उपबन्ध में इतना परिवर्तन तो अवश्य कर दे जिससे यह सरल हो जाये । मैं समझता हूं कि सरकार का यह विचार भी नहीं है कि रक्षा के हथियारों पर प्रतिबन्ध लगा दे इसलिये इस परिभाषा में उन हथियारों को लाना आवश्यक हो जाता है । इसी प्रकार मैं समझता हूं कि हथियारों के पुर्जों को हथियार नहीं माना जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घरेलू तथा खेती के काम में आने वाले हथियारों के सम्बन्ध में उपबन्ध में 'केवल' शब्द रखा गया है उस पर मुझे आपत्ति है। क्योंकि ऐसे भी हथियार होते हैं जिनको खेती के काम में लाया जाये तथा जिनको रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाये। उदाहरण के लिए कुल्हाड़ा लीजिए। मैं समझता हूं कि यह सिद्ध करना बड़ा कठिन काम है कि विशेष हथियार केवल खेती के काम ही आता है। इसलिए 'केवल' शब्द को कृपा करके हटा लेना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री कृपा करके मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री पु० र० पटेल :** श्रीमान्, मेरा संशोधन भी मेरे मित्र के संशोधन के समान है जिसके द्वारा मैंने भी यही सुझाव प्रस्तुत किया है कि घरेलू तथा खेती के औजारों में से 'केवल' शब्द हटा दिया जायें।

टोपीदार बन्दूकों के बारे में मैं समझता हूं मेरे मित्र माननीय मंत्री मुझ से सहमत नहीं होंगे। बड़े ही खेद का विषय है कि इस लोकतंत्र युग में वह जनता का विश्वास करने को तैयार नहीं है। स्वतंत्रता से पहले देसी राज्यों में टोपीदार बन्दूक रखने में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती थी। परन्तु उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसानों की रक्षा के लिए कृपा करके टोपीदार बन्दूकों को लाइसेंस द्वारा रखे जाने का उपबन्ध न बनायें।

†**श्री उ० ल० पाटिल :** श्रीमान मेरा संशोधन 'धारवाले तथा अन्य खतरनाक हथियार' शब्दों को हटाने के बारे में है। परन्तु यदि पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा श्री पु० र० पटेल का 'केवल' शब्द को हटाने का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं अपने इस संशोधन के लिए दबाव नहीं डालूंगा।

†**श्री सिंहासन सिंह :** मैं अपने संशोधन के द्वारा सारे खण्ड को हटा देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया कि खेती के औजारों की केवल इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाने की, ऐसी परिभाषा बड़ी कठिन है। मेरे विचार से इस प्रकार की विधि पारित करके हम पुलिस को ऐसा हथियार दे रहे हैं जिसके द्वारा वह जनता का अधिक उत्पीड़न करेगी। मेरा सुझाव है कि यदि सरकार इस खण्ड को रखना ही चाहती है तो पुराना खण्ड ही रखे, अन्यथा लाठी, डण्डा, आदि को भी हथियार मान लिया जायेगा।

†**श्री उ० च० पटनायक :** मेरा संशोधन उपखण्ड (ग) तथा (ङ) के सम्मन्ध में है। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया उप-खण्ड (ग) बहुत ही अनुपयुक्त है। पुराने शस्त्र अधिनियम में बारूद वाले हथियारों के साथ-साथ कुछ हथियारों को परिभाषित किया था परन्तु इस अधिनियम में हम विशेष हथियारों कि परिभाषा नहीं कर रहे हैं। मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि कृपा करके इस उपखण्ड में आने वाले हथियारों की सूची हमें दे दें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सरकार जब भी कभी खण्ड ४ के अधीन अधिसूचना जारी करेगी तब जिन हथियारों को चाहेगी उनको उस अधिसूचना में रख देगी। यदि अधिसूचना जारी करने के समय किसी व्यक्ति के पास चाकू, कुल्हाड़ी आदि जैसी कोई चीज हो तो वह बेचारा कठिनाई में पड़ जायेगा। वह शीघ्रता से लाइसेंस नहीं ले पायेगा। इसलिए

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० च० पटनायक]

मेरा अनुरोध है कि हमें सरकार कृपा करके उन सभी हथियारों की सूची दे दे जिनको वह इस उपखण्ड (ग) में रखना चाहती है ।

उपखण्ड (ङ) के बारे में मेरा निवदन है कि एयर गन, एयर राइफल आदि को बारूद वाली बन्दूकें नहीं समझी जानी चाहिए । क्योंकि इनके लिए कहीं भी लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं होता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मेरे विचार से उप-खण्ड (ग), (ङ) तथा (ज) में परिवर्तन किए जाने चाहिए ।

मैं समझता हूं कि इस खंड के तीन उद्देश्य हैं । पहला तो यह कि लोग आपस में एक दूसरे को न मारें । दूसरा यह कि लोग हथियार का उपयोग दंगों आदि में न करें । तीसरे गृह युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग न हो । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस खंड के द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है । मेरे विचार से यह उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं । क्योंकि मुझे मेरे एक वकील मित्र ने बताया है कि हत्या आदि के लिये प्राय: घरेलू तथा खेती के औजारों का प्रयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त चोरी छिपे यह हथियार अवैध रूप में बहुत मिल जाते हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है । इसके अतिरिक्त दंगों में भी इनका खुलकर प्रयोग होता है और सरकार उसका पता लगाने में असमर्थ रही है । इसी कारण मैं कहता हूं कि सरकार अपने तीनों उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रही है ।

मेरे विचार से पंक्ति १५ से २१ को हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि इनके द्वारा हम जनता से तो हथियारों को छीन रहे हैं परन्तु पुलिस और दंड पालिका के हाथ में ऐसा हथियार दे रहे हैं जिससे वह जनता का उत्पीड़न करे । मैं तो समझता हूं कि परिभाषा के खंड में केवल यह शब्द रखे जाने चाहिये कि ऐसे शस्त्र जिनसे हमला किया जा सके । अन्यथा विधि न्यायालयों में बड़ी गड़बड़ी रहेगी कि किन हथियारों को खतरनाक हथियार माना जाये । मेरे विचार से इस खंड की भाषा को बदलना चाहिये ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज २ की सबक्लाज़ (सी) का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और श्री सिंहासन सिंह जी ने तथा दूसरे मित्रों ने जो इसको हटाने के लिये संशोधन दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

इस आर्म्स एक्ट की पूरी स्कीम से ही कुछ ऐसा पता चलता है कि सरकारी पार्टी की भूतकाल की जो घोषणायें थी, उनसे वह दूर हटती जा रही है, उनसे बिल्कुल उलटी वह जा पड़ी है । मैं समझता हूं कि राज्यों की पुलिस पर उसकी विशेष आस्था हो गई है, इस वास्ते जो भी राय पुलिस अफ़सरों द्वारा दी जाती है, उसी को आधार मान कर कानून बनाये जाते हैं और यह बात विशेष रूप से इस कानून पर लागू होती है । यह बात इसी से स्पष्ट हो जाती है कि पहले के कानून में जो परिभाषा आर्म्स की थी उससे भिन्न परिभाषा इसमें कर दी गई है और जो जो बातें पहली परिभाषा में नहीं थीं उनको इसमें शामिल कर लिया गया है । जैसा कि दूसरे मित्रों ने कहा है कि डैडली वैपन्स की यदि आप इसम फिर से परिभाषा नहीं करते हैं तो उसमें लाठी भी आ जायेगी और वह भी गैर-कानूनी हो जायेगी । हमारा मुल्क बैलगाड़ी का मुल्क है, उसी तरह से लोग लाठी लेकर बाहर जाते हैं और अब इसके बाद वे लाठी लेकर भी नहीं जा सकेंगे । इसका क्या नतीजा होगा, इस पर विचार होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगे चल कर क्लाज २० जो इस बिल की है उसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति लाइसेंस अथवा बिना लाईसेंस वाला कोई हथियार अथवा गोली बारूद किसी अवैध कार्य के लिये ले जाता हुआ पाया जाता है तो उसको कोई भी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी अथवा कोई भी सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार कर सकता है। बिना वारेंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिये कि कोई लाठी लेकर जा रहा है और किसी पुलिस अफसर से और पुलिस अफसर न सही किसी लेखपाल से उत्तर प्रदेश में, या दूसरी स्टेट्स में किसी रेवेन्यू अफसर से जो कि गांव में रहता है, उसकी रंजिश है और वह उसको किसी तरह से नहीं फंसा सकता है तो इसके अधीन वह उसको बिना वारेंट पकड़ लेगा, पकड़ कर परेशान कर सकेगा, जोकि बहुत गलत बात होगी।

मैं समझता हूं कि हमेशा ही हमारा कानून इस तरह का बनना चाहिये जिससे कि जो हमारा उद्देश्य है वह तो स्पष्ट हो जाये, वह तो पूरा हो जाये। इसमें आप पुलिस अफसर को ही नहीं बल्कि दूसरे जो अफसर भी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिन में कि आप नये नये पब्लिक सर्वेंट्स जोड़ते जा रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा ताकत दे रहे हैं ताकि उसको जोकि लाठी भी ले जा रहा है, पकड़ा जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह का कानून बनाने की कोशिश न करें जिससे कि आजाद होने से पहले हिदुस्तान के कुछ भागों में जो सहूलियत मिली हुई थीं, वे भी खत्म हो जाय। हिन्दुस्तान की बहुत सी देशी रियासतों में जब तक वे हिन्दुस्तान में विलोन नहीं हुई थीं हिन्दी और उर्दू में अदालतों में काम चलता था लेकिन अब उनको जबर्दस्ती अंग्रेजी में काम करना पड़ता है और इसी तरह से चन्द रियासतों में कोई इस तरह के कानून थे कि वहां पर आम तौर से लोग हथियार लेकर जा सकते थे, उन पर भी यह बात लागू कर दी जाये कि वहां के लोग अब लाठी भी लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक नहीं है। अगर कोई लाठी लेकर के वहां चलेगा उसको पुलिस अफसर या दूसरा कोई रेवेन्यू अफसर या कोई दूसरा पब्लिक सर्वेंट गिरफ्तार कर सकता है। मेहरबानी करके ऐसा कानून आप न बनायें जिससे जनता को यह मालूम पड़े कि आजाद होने के बाद भी उसको पीछे की ओर धकेला जा रहा है।

इस कानून के द्वारा आप उन राज्यों में जहां पहले कोई लाइसेंस की व्यवस्था नहीं थी, इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं और लाठी इत्यादि ले जाने पर भी रोक लगा रहे हैं। आप की यह घोषणा तो दूर रही की आजाद होने पर किसी तरह के भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहेगी आप तो और भी कई तरह की रेस्ट्रिकशंस लगाने जा रहे हैं। अच्छा होता आप उस घोषणा पर अमल करते और कहते कि आम तौर पर जो चाहेगा उसको फायर आर्म या हथियार रखने का अधिकार होगा।। लेकिन यदि आप वह नहीं कर सकते हैं तो ऐसी बात तो न कीजिये जिसमें कि पचासों दिक्कतें पेश आयें। इस क्लाज के संबंध में मैं कहता हूं कि अगर आप इसको हटा नहीं सकते हैं तो कम से कम इसमें संशोधन तो करें। डैडली वैपंस शब्द में कोई भी चीज आ सकती है और उस चीज की बिना पर किसी भी आदमी की प्रतिष्ठा को चाहे जब खत्म किया जा सकता है।

आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में कई राज्य हैं जो कि डकैतों से घिरे हुये हैं। वहां लाइसेंस नहीं मिलते हैं और लोग लाठी से ही अपना काम चलाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि ऐसे राज्य हैं कि जहां पर दिन दहाड़े डकैतियां पड़ जाती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है और वहां पर भी अगर यह कानून लागू होता है तो यह खतरनाक होगा। आजकल जिस तरह से पुलिस वाले लोगों को फंसाना चाहते हैं उसका एक तरीका है। दफा १९ जो वर्तमान कानून की है उसके मातहत चालान करने के

[श्री ब्रजराज सिंह]

लिये पुलिस वालों को पिस्तौल ले जा करके अपनी तरफ से रखनी पड़ती है और तब उसको फंसा लिया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों में तथा राजस्थान के और मध्य प्रदेश के उन हिस्सों में जहां पर दफा १९ के केसिस चल रहे हैं, अगर आप जांच पड़ताल करें तो पता चलेगा कि ९९ प्रतिशत केसिस में पुलिस की तरफ से पिस्तौल ले जाकर के, जो कि गांव की बनी हुई थी, रखी गई और दफा १९ में चालान किया गया और लोगों को सजा हुई.....

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : मालखाने में ऐसे पिस्तौल रखे रहते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : यह बात ठीक है। लेकिन अब तो कोई लाठी ले जा रहा हो तो उसे भी पकड़ा जा सकेगा और बाकी कार्रवाई कर ली जायेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब पर पुनर्विचार हो और कम से कम ऐसा तो हो जिससे लोगों को यह दिखाई न दे कि आज की पार्लियामेंट पीछे की ओर हट रही है जबकि दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस स्टेज पर भी इस पर पुनर्विचार करेंगे और ऐसा नहीं समझ लेंगे कि हिन्दुस्तान की सारी की सारी अक्ल पुलिस के पास ही चली गई है और दूसरों के पास अक्ल नहीं रह गई है। ऐसा भी सोचें कि थोड़ी बहुत अक्ल हम लोगों में भी है और हमसे ज्यादा अक्ल शायद उस पार्टी में है जिसका बहुमत है। आई० जी० की रिपोर्ट हमेशा सही नहीं होती है, उसकी रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। इस बात को अगर आप मान लें और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें तब कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं।

†**डा० भा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं सभा का ध्यान 'शस्त्र' शब्द की परिभाषा की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा कि मेरे मित्र बता चुके हैं खंड २(ग) में दी गई परिभाषा बड़ी ही विशद है। मैं समझता हूं कि जिन व्यक्तियों ने इस खंड को बनाया है वह स्वयं यह नहीं जानते कि 'शस्त्र' शब्द की क्या परिभाषा होती है। परिभाषा इस प्रकार है कि 'शस्त्र वह वस्तु जिसको मारने अथवा रक्षा करने के लिये प्रयोग में लाया जाये।" इस प्रकार तो पत्थर जो फेंक कर मारा जाये वह भी हथियार हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस विधेयक के निर्माताओं का जो विचार रहा वह इसमें प्रयुक्त भाषा से पूरा नहीं होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि खंड ३ में दी गई परिभाषाओं पर पुनः गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि यदि शस्त्र की परिभाषा यह होनी चाहिये कि शस्त्र उन हथियारों को कहा जाता है जो पुलिस अथवा सेना द्वारा रक्षा करने अथवा हमला करने के काम में लाये जाते हों। मैं समझता हूं कि इससे जनता स्पष्टतः समझ सकेगी कि शस्त्र किस को कहते हैं।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने कई मित्रों ने इस क्लाज २ के डेफिनिशन के बारे में अपने विचार रक्खे हैं। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि इस बिल में जो यह क्लाज २ बनाया गया है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। विशेषकर सबक्लाज सी के बारे में इतना कुछ यहां कहा जा चुका है मगर फिर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जैसा इसको बनाया गया है और उससे जो माने निकाले जा सकते हैं वह सब ऐसे हैं जो कि बिल के सारे मतलब को खत्म कर देते हैं। मैंने अपना संशोधन सदन के सामने रक्खा है नं० ११५। उस में मैंने यही सिफारिश की है, और मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें, सभा

---

†मूल अंग्रेजी में

के अन्दर भी इस पर विचार रक्खे गये है, कि यह सब क्लाज सी सारे का सारा इस तरह बनाया गया है, इसकी शब्दावली ऐसी है, कि अगर इन शब्दों को रख कर यह बिल पास किया गया तो इस बिल को लाने का जो हमारा मकसद था वह सब का सब खत्म हो जायेगा। केवल यह कह देना कि हम बहुत सारे उद्दंड लोगों को सजा देना चाहते हैं यह ठीक नहीं है। आज आपके सामने यह खयाल हो सकता है कि देश में बहुत सारे ऐन्टी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि इन हथियारों को अपने हाथ में रख कर गैरवाजिब फायदा उठा सकते हैं, मगर ऐसे लोगों को रोकने के लिये कोई भी कानून बहुत ज्यादा मदद नहीं करता। ऐसे लोग तो अपने लिये कोई न कोई साधन निकाल ही लेते हैं। जब आप यह कहते हैं कि आप का मतलब कोई शार्प एज्ड वेपन भी हो सकता है, तो आपने उसकी सीमा इतनी बढ़ा दी कि कोई पत्थर मार दे, सेल्फ डिफेंस में कुर्सी उठा कर मार दे, कोई सुराही रक्खी हो उसे उठा कर मार दे, सब इसकी हद में आ जाता है। इसलिये मैं यह विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें। काफी लोगों के विचार उन्होंने सुन लिये है और करीब करीब पूरा सदन इस बात पर यूनैनिमस है कि जो व्याख्या आप ने रक्खी है, जो शब्दावली आपने सब क्लाज सी में रक्खी है उस शब्दावली के साथ अगर आप बिल पास करेंगे तो उसका परिणाम वह होगा जो न आप चाहते हैं, न यह सदन चाहता है और हम उम्मीद करते है कि जनता भी नहीं चाहती है। हम वर्षों से कहते चले आये ह कि हम आर्म्स बिल को अमेंड करेंगे। अब भारत देश आजाद हो गया है और लोगों को बिना लाइसेंस हथियार मिलेंगे। लेकिन लाइसस का रद्द करना तो दूर रहा, जो पुरानी व्याख्या थी हमने उससे भी ज्यादा सीमाबद्ध इस व्याख्या को कर दिया। हमने इसमें ऐसी शब्दावली डाल दी कि हुकूमत के कारिन्दे जिस किसी को जब चाहे फंसा सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हुकूमत के कारिन्दे लोगों का फंसाने के लिये ही बने हैं, मैं तो उनसे यही आशा करता हूं कि वे शुद्ध बुद्धि से काम करेंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि किसी भी हुकूमत के कारिन्दों में सब के सब अच्छे नहीं होते। ऐसे भी हो सकते हैं जो आम इन्नोसेंट लोगों को तकलीफ देने का खयाल भी रख सकते हैं। इस अवसर पर अगर इसमें अन्य सुधार नहीं हो सकता और मंत्री महोदय सब बातों को मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हैं तो कम से कम उनको एक काम जरूर कर देना चाहिये। इसके अन्दर एक ऐसा शेड्यूल जरूर लगा दें जिसमें वे चीजें दी हुई हों जिनको सामने रख कर पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को अनायास फांस न सकें। वे लोग जनता के आदमियों को न फंसाने पायें। अगर इसकी शब्दावली को इस प्रकार दुरुस्त किया जा सकता है तो यह जरूर किया जाना चाहिये।

इस के बाद इस में "**अदर फॉर्म्स आफ एनर्जी**" के बारे में भी लिखा हुआ है। यह एक बहुत **वाइडसेन्स** हो जाता है। अभी मेरे मित्र पटनायक साहब ने एअर राइफल्स के बारे में कहा। एक तरफ हम चाहते हैं कि हर एक नौजवान को राइफल ट्रेनिंग दें। हमारी सीमाओं के ऊपर आज जो हालत चल रही है उस सब के कारण हमारी यह प्रवृत्ति बन रही है कि हम हर एक नौजवान को डिफेन्स के लिये तैयार करें। जहां डिफेन्स के लिये तैयारी करने की प्रवृत्ति बनती है उसके साथ साथ हर एक आदमी अपनी रक्षा की भावना के मातहत हथियार रखना चाहता है। उसको रख कर वह सिर्फ उस मौके पर उसको इस्तेमाल करना चाहता है जो कि कभी भी उसके सामने आ सकता है। थानी अपने बचाव के लिये वह कोशिश करना चाहता है। उस पर भी हम प्रतिबन्ध लगाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस प्रवृत्ति को लेकर हम बिल को सामने लाये हैं वह आगे नहीं बढ़ पायेगी और उसमें हजार किस्म की रुकावटें आयेंगी।

इस विषय में काफी कहा जा चुका है, इसलिये ज्यादा न कह कर मैं मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इन बातों पर ठीक से विचार करें। अगर इस सबक्लाज सी को ही नहीं बल्कि सारे के सारे क्लाज २ को अगर रिवाइज किया जा सके और उसकी शब्दावली को

[श्री राधा रमण]

ऐसा बनाया जा सके जिससे कि आर्म्स का सही मतलब निकल सके, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जिस हथियार के जरिये एक इंसान को तकलीफ पहुंचायी जा सकती है और जिसका गलत इस्तेमाल किसी के खिलाफ किया जा सकता है, वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाय, और पुलिस के अधिकारियों को यह कहने का मौका न मिले कि कानून के अन्दर गुंजाइश थी और हमने कानून का सही इस्तेमाल कर उस के मातहत कार्रवाई की है। अगर यह शब्दावली जिस तरह से अब है उसी तरह रही तो हमारे बहुत से शहरी लोगों को जो तकलीफ अब देखने में आती है और पहले भी आती थी, वह आगे भी बनी रहेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय उस शब्दावली को मंजूर न करें और जिस प्रकार से इस शब्दावली की सृष्टि की गई है उसको ठीक कर दिया जाय। अगर हम इस बिल के मकसद को हासिल करना चाहते हैं, जो नतीजे हम सोच रहे हैं उनको हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा करना बहुत जरूरी है।

श्री मोहन स्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा और दोस्तों ने कहा, आर्म्स की और ज्यादा वाजह तारीफ होनी चाहिये। इसे मान लीजिये कि गांव की लाइफ के लिये यह बहुत जरूरी चीज है। बगैर लाठी के गांव की जिन्दगी में कोई गुजारा नहीं कर सकता। हर वक्त इसकी जरूरत आती है। इसके साथ साथ और भी बहुत से छोटे छोटे हथियार हैं जिनके बिना काम चलना मुश्किल है। मान लीजिये कि अगर कोई सांप निकल आये या कोई और चीज निकल आये और उसका मुकाबला करने के लिये अगर कोई लाठी या बल्लम लगा ले तो आपका क्या नुकसान है? वह उससे अपना थोड़ा सा बचाव कर सकेगा। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस क्लाज की ज्यादा वजाहत होनी चाहिये। जैसा राधा रमण जी ने कहा इस क्लाज के साथ एक शेड्यूल या फेहरिस्त जरूर हो कि फलां फलां किस्म के हथियार जो हैं वह इसकी तारीफ के बाहर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक छोटा सा बिल जो हमारे सामने है वह बेमानी चीज हो जायेगा और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा इसको बहुत लिब्रलाइज कर दिया जायेगा, वह मकसद पूरा नहीं हो पायेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह बहुत हमदर्दी से इस पर गौर करें और बहुत सीरियसली गौर करें और ऐसी तारीफ इस बिल में रखें जिससे कि बिल का मकसद ही खत्म न हो जाय।

†**श्री दातार** : मैंने अपने माननीय मित्रों की बातों को बड़े ध्यान से सुना है। अपने बुजुर्ग मित्र श्री अणे और माननीय मित्र श्री राधा रमण की जोरदार अपीलों का मुझ पर प्रभाव है। उनके मनों में इस खंड के सम्बन्ध में कुछ विशेष धारणायें हैं। वे उपखंड (ग) बिलकुल नहीं चाहते। कुछ माननीय मित्रों का यह भी सुझाव है कि शब्द 'पूर्णतः' तथा इससे मिलते जुलते शब्दों को इस खंड में से पूर्णतः निकाल दिया जाय।

मैं यह बताना चाहता हूं कि 'शस्त्र' की परिभाषा का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। यह तो मैं स्पष्ट कर ही चुका हूं कि शस्त्र अधिनियम का सम्बन्ध केवल आग्नेय अस्त्रों से है। केवल आपत्कालीन कोई अन्य अस्त्र शस्त्रों को इसके अन्तर्गत लाने की आवश्यकता हो जाय तो यह अलग बात है। अतः यह बात बहुत अच्छी प्रकार से समझ ली जानी चाहिये कि खंड ४ केवल पैदा हो जाने वाला गम्भीर स्थितियों के मुकाबले के लिये ही है। इस बात को समझ लेने से सभी माननीय सदस्यों की आपत्ति दूर हो जाती है। सभी शस्त्रों के लिये लाइसेंस अनिवार्य नहीं परन्तु किसी गम्भीर वातावरण के कारण स्थिति में अदल बदल होना दूसरी बात है।

खंड (४) का संशोधन करके, उसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि इस खंड के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये अधिसूचना में यह बताना होगा कि किस शस्त्र के प्रयोग के कारण कार्यवाही

†मूल अंग्रेजी में

हो रही है। इससे श्री पटनायक की यह बात पूरी हो जाती है कि शस्त्रों की निश्चित श्रेणियां निर्धारित कर दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि खंड २७ का नियंत्रण खंड ४ द्वारा होगा ? क्या खंड (४) आपात काल के लिये है ? अथवा खंड २७ का स्वतंत्र अस्तित्व है ।

†**श्री दातार :** खंड २७ बिलकुल स्वतंत्र है । खंड (४) तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है । स्पष्ट करने के लिये मैं उसे पढ़ता हूं, "जिस किसी के पास भी कोई शस्त्र अथवा गोला बारूद होगा और उसकी इच्छा उसे अवैध उद्देश्यों के लिये प्रयोग करने की होगी ।" वैसे सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को शस्त्र रखने की अनुमति होगी । परन्तु यदि उसकी इच्छा उसे अवैध उद्देश्यों के लिये प्रयोग करने की होगी तो उसे अपराध माना जायेगा । और इसमें तो कोई विवाद ही नहीं हो सकता । और साधारणतः यह परिभाषा उस समय काम में लाई जाती है जब कि खंड (४) को लागू करना होता है । और उसमें हमारा लक्ष्य यह है कि लोग शस्त्रों का अवैध रूप में प्रयोग न करें। अतः परिभाषा में शस्त्रों की सभी श्रेणियों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं । माननीय सदस्यों को सारी बात को ठीक ढंग से समझ लेना चाहिये । हर एक चीज को तो हम शस्त्र घोषित करके खंड (४) के अन्तर्गत नहीं ला सकते । मैं परिभाषा को पुनः पढ़ता हूं,

> " 'शस्त्र' के अर्थ में वे सभी प्रकार की चीजें आ जायेंगी जिन्हें हम अपराध करते समय एक अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकें ।"

इससे स्पष्ट है कि प्रयोग के मुकाबले में चीज का महत्व अधिक है । उसे इस प्रकार बनाया गया है कि उसे एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाय । और वह अपराध करने अथवा उससे बचाव करने के काम में आये । उदाहरण के लिये कुल्हाड़ी अथवा दराती को लीजिये । यह कृषि के काम में आते हैं और इसको अपराध अथवा बचाव के लिये प्रयोग नहीं किया जाता । परन्तु कई हालत में इनका प्रयोग इस प्रकार हो जाना सम्भव है । इस पर भी हम इन्हें 'शस्त्र' नहीं करार देते । जैसे कि तलवार है । उसका प्रयोग अपराध और बचाव के लिये हो सकता है । इसलिये तो लिखा है 'कि उसे इस प्रकार बनाया जाय अथवा प्रयोग किया जाये ।'

लाठी ही है, वैसे तो वह ठीक है, परन्तु उसको इस प्रकार बनाया जा सकता है कि उसका प्रयोग अपराध अथवा बचाव के लिये एक शस्त्र के रूप में कर लिया जाय । जैसे कि महाराष्ट्र में गुप्ती नाम की लाठी का प्रयोग किया जाता है । थोड़े से परिवर्तन से एक वस्तु साधारण से हानिकारक बनाई जा सकती है । इसलिये तो कहा है कि उसे 'ऐसा बनाया जाये अथवा ऐसा प्रयोग' किया जाय । अतः केवल साधारण प्रयोग की बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या खतरनाक शस्त्रों पर भी यह बात लागू होती है ?

†**श्री दातार :** वह तो होगी ही, क्योंकि साधारण शस्त्रों के सम्बन्ध में तो हमारा कोई विवाद हो ही नहीं सकता । हमारा मतलब केवल उन शस्त्रों अथवा गोबलाबारूद से है, जिन्हें बड़ा तेज अथवा खतरनाक रूप में बनाया जाता है । लाठी के बारे में हमें कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । लाठी को इसके अन्तर्गत नहीं रखा गया । जो शस्त्र 'केवल' घरेलू अथवा कृषि कार्यों के लिये प्रयोग होता है उसे इस परिभाषा के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं । यह बात तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

है लाठी के लिये । आप चाकू अथवा तलवार की बात ले लीजिये । चाकू तो सामान्यतः घरेलू कामों के लिये बनाया जाता है परन्तु तलवार के लिये हम ऐसा नहीं कह सकते । इसी लिये तो कहा है कि जो "केवल" घरेलू कामों के प्रयोग में आता हो उसे इसके अन्तर्गत नहीं रखा जाता । "केवल" शब्द का प्रयोग बड़ा ही आवश्यक है । इसके बिना तो मामला गड़बड़ हो जाता है ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान शब्द 'बनाया गया' की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । कोई चीज किस उद्देश्य के लिये बनायी गई इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है । इसका प्रयोग ही नहीं होता इसका अनुचित लाभ भी उठाया जाता है । इस बात की ओर थोड़ा ध्यान देने से माननीय सदस्यों की सभी शंकायें दूर हो जायेंगी । अतः मेरा निवेदन है कि शब्द "केवल" का प्रयोग जान बूझ कर किया गया है । लाठी का प्रयोग "केवल" घरेलू अथवा कृषि कार्यों के लिये ही होता है ।

इस दिशा में किसी भी प्रकार के संशोधन की मैं आवश्यकता नहीं समझता । मैं इस बात को मानता हूं कि लाठी का लोग दुरोपयोग कर लेते हैं परन्तु वास्तव में वह घरेलू अथवा कृषि कार्यों के प्रयोग की वस्तु ही है । यदि लाठी द्वारा किसी आदमी को जान से मार डाला जाये तो स्वभावतः यही कहा जायेगा कि यह उसका अनुचित प्रयोग है जब कि वह इस काम के लिये नहीं होती । अतः बार बार इस समय वही बातें कहने की आवश्यकता नहीं । कोई हथियार किस प्रकार और किस मतलब के लिये बना है, इसके लिये तो थोड़ा बहुत विचार करना ही होगा । इसमें भी एक यह बात है कि कुछ मित्रों ने शब्द 'बचाव' को निकाल देने की बात की है । मेरा कहना है कि शस्त्रों का प्रयोग अपराध के लिये तो होता ही है, बचाव के लिये भी तो होता है । चोर डाकू भी शस्त्रों से अपनी रक्षा करते हैं । इस लिये 'शस्त्र' को यदि हम अपराध करने और बचाव करने दोनों के लिये न मानें तो शस्त्र की भाषा अपूर्ण रहती है । इस स्थिति में मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि उपखंड (ग) को हटा सकूं अथवा उन परिवर्तनों के सुझाव स्वीकार कर सकूं जिन्हें कि माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है ।

मेरे मित्र श्री पटनायक की बात तो इस तरह पूरी हो जाती है कि हमने यह निर्णय किया है कि हम उन शस्त्रों को विशेष तौर पर गिनवा देंगे जिनका कि विशेष क्षेत्र और विशेष अवस्था में अनुचित प्रयोग किया जा सकता है । और ये शस्त्र वही होंगे जो कि उप खंड (ग) के अन्तर्गत आते हैं । घरेलू और कृषि प्रयोग शस्त्र इसमें नहीं लिये जायेंगे । अधिसूचना जारी करते समय उनका विशेष उल्लेख होगा और उन्हें श्रेणीबद्ध भी कर दिया जायेगा

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हवाई बन्दूक के सम्बन्ध में क्या होगा ?

†**श्री दातार :** सभी प्रकार की हवाई बन्दूकें खतरे से खाली नहीं होती और सभी प्रकार की हवाई राइफलें खतरनाक नहीं होती । कई राइफलें बड़ा लम्बा मार मारती है और उनका निशाना ठीक बैठता है । इस कारण इनका नियन्त्रण तो करना ही होता है । फिर भी हमने यह कह दिया है कि उन्हें प्रायः हम लाइसैन्स दे देंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शायद माननीय मंत्री को पता होगा कि दिल्ली के अतिरिक्त सभी राज्यों में हवाई राइफल को छूट दी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** हमें विधि में एक रूपता लानी चाहिये। यह ठीक है कि भारतीय शस्त्र विनियमों में कुछ प्रकार की हवाई बन्दूकों को छूट दी गई है। परन्तु अब तो हम और सुधार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन नियमों में आवश्यक उपबन्धों की व्यवस्था कर दी जायेगी। मैं यह बात बिलकुल मानने के लिये तैयार नहीं कि सारी की सारी हवाई बन्दूकें खतरे से खाली होती हैं और उन्हें छूट दे देनी चाहिये। उनको नियन्त्रित करने की आवश्यकता होगी और उनके लिये लाइसेंस लेने ही होंगे। ऊर्जा के कई नये प्रकार देखने में आ रहे हैं। कई एक तो बड़े ही खतरनाक हैं, अतः इस सामान्य व्यापक परिभाषा को स्वीकार करना ही ठीक है। खेद है कि मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"कि 'केवल घरेलू और कृषि सम्बन्धी प्रयोग के लिये' शब्दों के बाद 'जैसे कि साधारण छड़ी अथवा लाठी' शब्द जोड़ दिये जायें।"

इस में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप उसे प्रस्तुत करें।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ २, पंक्ति १९ में,——

'domestic or agricultural use' ('घरेलू अथवा कृषि सम्बन्धी कामों') के पश्चात् ये जोड़ा जाये :—

'Such as a lathi or an ordinary walking stick' ('जैसे लाठी या साधारण छड़ी')

†**श्री उ० च० पटनायक :** श्रीमान्, माननीय मंत्री के संशोधन से पहले मेरा संशोधन संख्या १४ मतदान के लिये रखा जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मेरा एक सुझाव है। खण्ड २० और २७ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि "खण्ड २ के उप खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन" शब्दों को इसमें सम्मलित कर दिया जाये। इस प्रकार उपखण्ड (ग) समाप्त हो जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १९ में :—

'domestic or agricultural uses' ('घरेलू या कृषि सम्बन्धी कामों') के पश्चात् ये जोड़ा जायें :—

'Such as a lathi or an ordinary walking stick' ('जैसे लाठी या साधारण छड़ी'),

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सब संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ (अग्नेयास्त्रों तथा बारूद के अर्जन तथा धारण करने के लिए लाइसेंस)

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं अपना संशोधन संख्या ६५ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे इस संशोधन का प्रयोजन यह है कि संसद्-सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा स्थानीय प्राधिकारों के सभापति को इस प्रकार के शस्त्र व बारूद आदि रखने की छूट दी जाये । ध्यान रहे कि ब्रिटिश सरकार ने भी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों को यह छूट दी थी । पर २८–४–५० को हमारी सरकार ने यह छूट वापस ले ली । मैं समझता हूं कि यह छूट देना ठीक ही होगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** मैं अपना संशोधन संख्या १२६ प्रस्तुत करता हूं ।

इस विधेयक में, जिस रूप में वह है, किसी को भी अपवाद नहीं माना गया है । ब्रिटिश सरकार भी कुछ लोगों को इस कानून का अपवाद मानती थी, अतः मेरा निवेदन है कि कुछ लोगों को तो अपवाद बनाया जाये । ऐसे लोगों के लिये सिर्फ यह नियम हो कि वह जिलाधीश को सूचित कर दें कि उनके पास ये शस्त्र या बारूद हैं, उनको बाकायदा फार्म भर कर आवेदन पत्र देने की शर्त से मुक्त रखा जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की असमानतायें रखी जायें ।

श्री पटेल द्वारा कही गई बात का भी मैं समर्थन नहीं करता । हमें तो असमानताओं––सब प्रकार की––को कम से कम करने का भरसक प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

†**श्री दातार :** यह संशोधन क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये इसका जवाब श्री दी०चं० शर्मा ने दे दिया है । ब्रिटिश काल में कुछ लोगों को इस प्रकार की छूट मिली हुई थी पर स्वतंत्रता प्राप्त होने पर सरकार ने उन छूटों को समाप्त कर दिया । यह उचित नहीं होगा कि हम उन छूटों को फिर से प्राप्त करें ।

भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा विधान मंडलों के भूतपूर्व सदस्यों को ऐसी छूट देना उचित नहीं होगा ।

श्री सिंहासन सिंह का संशोधन व्यर्थ है क्योंकि जिन लोगों को इस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त होगी, उन पर इसके उपबन्ध स्वयं ही लागू नहीं होंगे । अतः उनका संशोधन आवश्यक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६५ और १२६ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४—(कुछ मामलों में निश्चित प्रकार के शस्त्रों के अर्जन तथा धारण करने के लिए लाइसेंस

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपने संशोधन संख्या ८३ और ८४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री उ० च० पटनायक :** मैं अपने संशोधन संख्या १८ और १९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये संशोधन सभा के सामने हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, इस बिल के अन्दर यह क्लाज बड़ा इम्पारटेंट है । जब आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच की तो उन्होंने इस क्लाज के लिये बड़ा क्रैडिट लिया और दुरुस्त क्रेडिट लिया । उन्होंने कहा कि प्रेक्टिकली यह तो फायर आर्म्स बिल है, सिर्फ इसका नाम आर्म्स बिल है क्योंकि दर असल इसके प्रावीज़न्स फायर आर्म्स के मुताल्लिक हैं सिवाय एक एक्सेप्शन के जिसको बहुत सारे मेम्बरान पसन्द नहीं करते थे । लेकिन इस के लिए मिनिस्टर साहब ने जो दलील हमारे सामने पेश की है वह बहुत माकूल है । ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त यह चीज़ पब्लिक सेफ्टी और पबलिक पीस के लिए खतरा बन जाए । चुनाचे इस दलील को हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया और यह तसलीम कर लिया कि आनरेबल मिनिस्टर की यह बात दुरुस्त है । लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को मानते हुए भी यह रेस्ट्रिक्शन रखना दुरुस्त नहीं है जो कि आपने इस दफा के जरिए रखे हैं । आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने कई मर्तबा अपनी तकरीर में फरमाया है कि जब बड़ी भारी ग्रेव इमरजेंसी होगी या एक्सेप्शनल सरकम्सटांसेज होंगे तभी इस दफा के प्रावीजन्स को इस्तेमाल किया जाएगा । लेकिन इसके अल्फाज तो मुलाहिजा फरमाइए । इस में ग्रेव इमरजेंसी और एक्सेप्शनल सरकम्सटांसेज का जिक्र नहीं आया है । मुझे यह बहस करने की जरूरत नहीं है कि कितना एब्यूज इन अल्फाज — पबलिक इंटरेस्ट—का होता है उतना और अल्फाज का नहीं होता है । अगर कोई चीज़ बतलानी हो तो पबलिक इंटरेस्ट कह दिया जाता है और अगर न बतलाना हो तो पबलिक इंटरेस्ट कह दिया जाता है । इस में ग्रेव इमरजेंसी और एक्सेप्शनल सरकम्सटांज़ नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं कि जब आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस बात को मानते हैं कि इमरजेंसी में या एक्सेप्शनल सरकम्सटांस में इन प्रावीज़न्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो वह इन अल्फाज को किसी न किसी तरह इस में दाखिल कर देंगे ।

अगर इस दफा के मुताबिक किसी एरिया में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो वह उस एरिया में फार आल टाइम जारी रहेगा । इस में कोई ऐसा प्रावीजन नहीं है कि जब वह इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो वह नोटिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा यानी जब नारमल कंडीशन्स आ जाएंगी तो यह नोटिफेकेशन खत्म हो जाएगा जैसा कि आज भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब मानते हैं । उनकी यह राय है कि और हाउस की भी यह राय है कि ग्रेव इमरजेंसी या एक्सेप्शनल सरकम्सटांसिज के

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सिवा इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह का रिरेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। जो मिनिस्टर साहब की मंशा है वह साफ होना चाहिए कि इस तरह का नोटिफिकेशन टेम्पोरेरी पीरियड के लिए जारी ही किया जा सकता है और जब तक इमरजेंसी लास्ट करती है उसी वक्त तक वह रायज रहेगा। उस से एक दिन भी ज्यादा इसको जारी रखना जायज नहीं होगा। इस चीज को साफ न करने से जो गवर्नमेंट का मंशा है वह भी साफ नहीं होता और हाउस का मंशा भी पूरा नहीं होता। इसलिए मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस में दो बात बढ़ानी चाहिए। यानी एक तो यह कि इस तरह का नोटिफिकेशन इमरजेंसी के टेम्पोरेरी पीरियड के लिए ही हो और इमरजेंसी खत्म होने के साथ यह नोटिफिकेशन भी खत्म हो जाए। जब तक आप यह दो बातें नहीं रखेंगे तब तक मुझे डर है कि इसका असर यह होगा कि अगर एक दफा सारे हिन्दुस्तान के लिये या किसी प्राविंस के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो वह हमेशा के लिये हो जाएगा क और पब्लिक का आर्म्स रखने का राइट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस लिए यह बात साफ होनी चाहिए।

अभी हमने दफा ३ पास किया है जो कि बहुत इम्पारटेंट है। उस में दिया हुआ है :—

"कोई भी व्यक्ति कोई शस्त्र या बारूद या अर्जित न करेगा, अपने पास रखेगा और न अपने साथ लेकर निकलेगा, जब तक कि . . .

इसका मतलब क्या है कि। आप मुलाहिजा फरमाएं कि यह दफा ३ हिन्दुस्तान के हर आदमी को अख्तियार देता है कि वह सिवा फायर आर्यम के और आर्म्स रख सकता है जो कि दफा ३ में नहीं आए हैं। लेकिन दफा ४ में यह चीज साफ नहीं की गयी है। इसका असर यह होगा कि जो आर्म्स दफा ३ में दफात २० और २७ में दिए हुए हैं वह भी दफा में आ जाते हैं। इसलिए इस में यह साफ हो जाना चाहिए कि इन दफात में दिए गए आर्म्स को यह सेक्शन एप्लाई नहीं करेगा।

श्री हेमराज (कांगड़ा) दफा ५ में जो यह दिया गया है कि :

"शस्त्र या बारूद बनायेगा, बेचेगा . . ."

यह चीज भी साफ हो जानी चाहिए कि आर्म्स किसको कहा जाएगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं दफा ४ के में बोल रहा हूं। आप दफा ५ के बारे में यह कह सकते हैं कि तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब का मंशा यह नहीं है कि हर तरह के आर्म्स पर पाबन्दी लगायी जाए। मैं यह मानने को तैयार हूं कि वह हिन्दुस्तानियों के हकूक के बढ़ाना चाहते हैं। और जबरदस्त लिबरलाइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस दफा का असर यह होगा कि जो हकूक आप एक हाथ से देंगे वे दूसरे हाथ से ले लेंगे जो कि आपका मंशा नहीं है। इस सिलसिले में मुझे एक मिसाल याद आती है। ऊंट के गले में बिल्ली की, यानी ऊंट तो दो पैसे का है लेकिन उस के गले में जो मरी हुई बिल्ली है वह २०० रुपये की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दफा २७ में कहा गया है कि अगर आर्म्स अनलाफुल परपज के लिए रखे जाएं तो जुर्म है। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं यहां बैठा हूं और मेरे घर पर आर्म्स हैं। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वह लाफुल परपज के लिए हैं या अनलाफुल परपज के लिए हैं या मैं अगर उनको अपने साथ ले जा रहा हूं तो वह लाफुल परपज के लिए हैं या नहीं यह कैसे समझा जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि आप पुलिस के अफसरों को लोगों को लिबरटी के खिलाफ एक बड़ा अख्तियार दे देंगे जिस से हमारी सारी लिबरटीज सलब हो जायेंगी।

इस तरह हमारी सारी की सारी लिबरटीज़ सलब हो जाती हैं। एक तरफ़ सरकार हम को अख्तियार देती है कि तुम हथियार रखो, सिवाये फ़ायर-आर्म्ज़ के और दूसरी तरफ़ वह कहती है कि जिन की तुम को रखने की इजाज़त है, अगर तुम उनको ले जाओगे, तो पुलिस वाला यह कह कर कि यह अनलाफुल परपज़ के लिए है, वहीं गिरफ़तार कर लेगा और मुकदमा चला दिया जायगा। और सिर्फ़ पुलिसमैन ही नहीं, कोई भी पब्लिक सर्वेन्ट यह कह सकता है। रेलवे में भी ऐसा ही हो सकता है। जो आनरेबल मिनिस्टर साहब ने दिया है, उस का गवर्नमट ने जो क्रेडिट लिया है, वह दुरुस्त लिया है, लेकिन वह इस को माकूल कर लें, जस्ट कर लें, ताकि कोई यह न कह सके कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई चार सौ बीस किया है—इस हाथ से दिया है और उस हाथ से ले लिया है, बल्कि ज्यादा ले लिया है और हमारे हुकूक खत्म कर दिए हैं। अगर मिनिस्टर साहब चाहें तो दफा ४ में ऐड कर दें।

श्री डी० चं० शर्मा : अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि गवर्नमेंट ने चार सौ बीस किया है। इसका क्या मतलब है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस को डिफ़ाइन तो कर देता, लेकिन मेरे लायक दोस्त मुझ से ज्यादा जानते हैं कि चार सौ बीस क्या है। मैं ने यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने चार सौ बीस किया है। मैं कहता हूं कि लोग ऐसा कह सकेंगे कि गवर्नमेंट ने चार सौ बीस किया है। आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो यह कहा है कि उन्होंने हमारे राइट्स बढ़ाए हैं, मैं उस पर यकीन करता हूं। फ़िलवाके सारे हिन्दुस्तान के राइट्स बढ़ाए गए हैं। मैं उस का डाउट नहीं करता हूं। लेकिन एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना ठीक नहीं है। मेरी गुज़ारिश है कि इस बारे में सोच कर दफा ४ में इस चीज़ को बढ़ाया जाये कि आर्म्स से वही मुराद है कि जिन के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो, यह उन के मुताल्लिक ही है, दूसरों के मुताल्लिक नहीं।

†**श्री उ० चं० पटनायक** : कहा गया कि स्थानीय अधिकारी किसी क्षेत्र को यदि दंगे वाला या असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दें, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति सभी प्रकार के शस्त्रों के लिए लाइसेंस अवश्य लेंगे। ध्यान रहे कि हमारे देश के हर घर में साग सब्जी काटने वाले चाकू मौजूद है। दंगे वाली स्थिति में यदि स्थानीय पदाधिकारी शस्त्रों की सूची में चाकू को भी सम्मिलित कर लेंगे तो हर एक व्यक्ति को चाकू के लिए लाइसेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचिए कैसी विचित्र बात यह होगी। जहां तक शस्त्र लेकर बाहर निकलने का सवाल है, ठीक है इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है पर घर पर चाकू आदि का रखा जाना आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मेरे निवेदन पर विचार करें और उचित संशोधन करें।

†**श्री दातार :** पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि 'अस्थायी काल' शब्द रखे जायें। उन्होंने इस 'अस्थायी काल' की कोई व्याख्या नहीं की। ध्यान रहे कि खण्ड ४ का उपयोग असाधारण काल या असाधारण स्थिति में ही किया जायेगा। असाधारण स्थिति समाप्त होते ही इस खण्ड का प्रवर्तन समाप्त हो जायेगा। पर माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहां खण्ड ४ का प्रयोग काफी लम्बी अवधि तक करना आवश्यक होगा। वहां 'अस्थायी काल' से काम कैसे चलेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि खण्ड ४ हमेशा के लिए नहीं है। असाधारण काल में ही इसका प्रयोग किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

श्री पटनायक ने कहा कि शस्त्र रखने पर नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। पर मेरा ख्याल है कि शस्त्र रखना या इकट्ठा करना शस्त्रों के वास्तविक प्रयोग से भी अधिक खतरनाक है। कई बार एक स्थान पर शस्त्र इकट्ठे किये जाते हैं और बाद में उन्हें लोगों में बांट दिया जाता है और उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। अतः शस्त्रों का रखना तथा इकट्ठा करना दोनों बहुत ही खतरनाक काम हैं। ऐसी स्थिति में कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८३, ८४ और १८ तथा १९ मतदान के लिए रख गये और अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री प्रेमराज: उपाध्यक्ष महोदय, अभी आर्म्ज़ की डेफ़ीनिशन पर इतनी बहस हुई है। उस में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं --डिजाइन्ड और ऐडैप्टिड। बनाने वाला तो कोई मिस्त्री होगा। मैं इस बारे में क्लैरिफ़िकेशन चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर एक मिस्त्री एक चाकू बनाता है, या और कोई चीज़ बनाता है, तो क्या उस के लिए लाइसेन्स की ज़रूरत होगी। अगर वह कोई टकुआ बनाता है या ऐसी लाठी बनाता है, जिस के साथ लोहा लगा हुआ है, तो जहां सैक्शन ४ के नीचे इमरजेंसी प्राविज़न्ज़ नहीं हैं, क्या उस के लिए लाइसेन्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं?

श्री राधा रमण: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान क्लाज़ ५ में रिपेयर और टैस्ट के बारे में जो एडीशन किया है, उस की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लाइसेन्स-होल्डर होंगे, जो कोई हथियार अपने साथ रखते होंगे। मान लीजिए कि राइफ़ल है या और कोई हथियार। अगर वह खुद रिपेयर करे, या टैस्ट पर रखे, तो क्या उस के लिए किसी अलग लाइसेन्स की ज़रूरत होगी। मैं समझता हूं कि उस सूरत में इस क्लाज के वर्डिंग्ज़ क्लीयर नहीं हैं। हमें इस बात से एश्योर्ड होना है कि जो बहुत से राइफ़ल क्लब्ज हैं, राइफ़ल होल्डर्ज हैं, अगर वे अपनी राइफ़ल को सुधारें या उसे टैस्ट पर रखें, तो उस के लिए सैपेरेट लाइसेन्स की ज़रूरत इस कानून के मुताबिक पड़ेगी या नहीं। अगर वह पड़ेगी, तो वह हार्डशिप है और उस को हटा देना चाहिए। मेरा इतना सा संशोधन है और वह पोजीशन को साफ कर देता है। वह इस प्रकार है कि लाइन ३३ के बाद यह परन्तुक रख दिया जाये—

"परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास आग्नेयास्त्र का मान्य लाइसेन्स होगा, तो उसे उस की मरम्मत या उसकी जांच के लिए अलग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी।"

मेरी राय में इस क्लाज के मातहत, अगर यह ऐसा ही पास किया गया तो एक लाइसेन्स-होल्डर अपने फायर-आर्म को रिपेयर करे या टैस्ट पर रखे, तो उस को इजाज़त नहीं होगी।

उस को डैंपेरेट लाइसेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं समझता हूं, गैर-मुनासिब और गैरवाजिब है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि या तो इसको क्लीयर किया जाये, या मेरी अमेंडमेंट को मंजूर किया जाये।

†**श्री दातार :** यहां मरम्मत करने का अर्थ बड़ी मरम्मत से है। कोई एक नट या कील आदि लगाना तो मामूली मरम्मत का काम होगा पर कुछ ऐसी भी मरम्मत होंगी, जिनमें कुछ खतरा होगा और खुद ऐसी मरम्मत करना ठीक तथा उचित नहीं होगा। इसलिए 'मरम्मत' शब्द को जानबूझ कर मतलब से रखा गया है। अतः बड़ी मरम्मत के लिए या स्वयं टेस्ट (जांच) करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ९—(बच्चों तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा शस्त्रों आदि के अर्जन या धारण तथा उनके हाथ शस्त्रों का बेचा जाना या उन्हें हस्तान्तरित किये जाने का निषेध)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपना संशोधन संख्या ८५ प्रस्तुत करता हूँ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन सभा के सामने है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस क्लाज़ के मुताबिक, जो शख्स १६ वरस से कम उम्र का हो, या जिस को छः महीने से ज्यादा सजा किसी ऐसे आफ़ेन्स के लिए हो गई हो, जो कि मारेल टर्पीच्यूड या वायलेंस को इन्वाल्व करता हो, और जिस से दफ़ा १०७, १०८, १०९ और ११० के मातहत बांड एक्सीक्यूट कराया गया हो, उन के बारे में करार दिया गया है कि वे लायसेंस देने के काबिल नहीं हैं और साथ ही जो अनसाउंड माइंड का हो, ऐसे लोगों को यह चीज़ बेची नहीं जा सकती और न दी जा सकती है। इस सिलसिले में मुझे इतना अर्ज़ करना है कि जहां तक सोलह वरस के बच्चे का सवाल है, बेहतर होता कि इस उम्र को कुछ कम कर दिया जाता, क्योंकि बच्चे शुरू में, अवायल उम्र में अच्छे मार्क्समैन बन जाते हैं, इसलिए वे प्रैक्टिस कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। यह मा-बाप का फर्ज़ है कि उन के पास जो भी हथियार हों, उन का वे अच्छा यूज़ कर सकें। चुनाचे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने इस बारे में उन को थोड़ी सी रियायत भी दी है, जो कि दफ़ा २ में आती है। पीनल कोड के मुताबिक १४ वरस की उम्र तक के बच्चों को सज़ा नहीं होनी चाहिए—सात वरस तक तो कतई नहीं और सात से चौदह वरस तक कैपेसिटी और समझ पर मुनहस्सिर है। लेकिन, नाबालिग को सज़ा देने का क्या फायदा होगा? हम हमेशा कहते हैं और मेरे लायक दोस्त आनरेबल मिनिस्टर साहब खास तौर पर लड़कों से मुहब्बत होने की वजह से, सिम्पेथी होने की वजह से, उन के लिए पूरी रियायतें देते रहे हैं। चुनाचे इसलिए उन को

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ही नहीं, बल्कि बड़ों बड़ों को भी कैद से बचाया गया है। तो फिर क्या छोटे छोटे बच्चों को किसी जुर्म में कैद किया जायेगा? क्या किया जायगा? इस सूरत में १६ बरस के बच्चे पर यह कैद लगाना वाजिब नहीं है।

इसी तरह स सब-क्लाज (१)(ए) (२) और (१)(ए)(३) में ऐसे अशखास आते हैं जो फ़िलवाक़ गुंडों और बदमाशों की तारीफ़ में नहीं आते हैं, जिन पर १०७ के मुकदमे बनते हैं। हम रोज़ देखते हैं कि बेहतर से बेहतर आदमियों पर १०७ का मुकदमा बन जाता है। दो पार्टियां होती हैं और एक पार्टी दरख्वास्त देती है और दूसरी भी दरख्वास्त देती है। अगर पुलिस ने एक को प्रोटेक्शन देना है, तो वह एज ए मैटर आफ़ कोर्स दोनों पार्टियों का चालान करती है और बीस बीस, तीस तीस आदमियों का चालान कर देती है, हालांकि वे सब लड़ने वाले नहीं होते। ऐसे अशखास उसमें आते हैं, जिन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे हथियारों का मिसयूज़ करेंगे। बल्कि १०७ में दो पार्टियां होंगी. एक पार्टी को डर होता है कि मुझ पर हमला होगा और फ़िलवाक़ दोनों को डर होता है कि मुझ पर हमला होगा। बचाव के लिए सरकार जो हथियार देती है, उनको इस प्रोटेक्शन से महरूम कर दिया जाता है, इस वजह से कि मेरा कोई दुश्मन है, जो मेरे बरखिलाफ़ कार्य-वाही करने वाला है। इसलिए एक्ज़ीक्यूशन का बांड इस बात की गारण्टी है कि वे कोई जुर्म नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में दफ़ा १०६ और दफ़ा १०७ है। दफा १०६ दफ़ा (१)(ए)(२) के मुताल्लिक है। जब कोई ऐसा जुर्म होता है, तो कोर्ट कहती है कि दफ़ा १०६ के मातहत तीन साल के लिए जमानत ले ली जाय। दफ़ा (१)(ए)(२) में जो आते हैं, वे भी आम तौर पर ऐसे अशखास नहीं होंगे। ये क्या लफ़्ज़ हैं? इन की किसी ने तारीफ़ नहीं की है। मारेल टर्पीच्यूड की किसी ने तारीफ नहीं की है और न ही वायलेंस की की है। अगर कोई ज़मीन पर जोर से लाठी मार दे, तो वह वायलेंस बन जाती है। मारेल टर्पीच्यूड एक ऐसा वेग लफ़्ज़ है, जिस के मायने ठीक समझे नहीं जाते हैं। इन तीनों कटे-गरीज को बिल्कुल डिस्क्वालीफ़ाइज़ कर देना, उन को उन रियायतों से कतई महरूम कर देना, जो कि सारे हिन्दुस्तान को दी गई हैं, मेरी राय में जायज नहीं है। और फिर जिन लोगों को पकड़ने की आप की मंशा है, उन पर यह असर नहीं रखता। जो बदमाशी करते हैं, जो डाकू हैं, जो राहजनी करते हैं, वहां तक तो हम पहुंचते नहीं हैं। दफ़ा १०७ तो भलेमानसों के लिए है, लुगाड़ों को कौन पकड़ता है, डकैतों को कौन पकड़ता है? मैं अर्ज़ करूंगा कि इन तीन चार क्लासिज़ के लिए यह नहीं करना चाहिए। इसी तरह से दफ़ा ६ के पहले जो लाइन्ज़ हैं, वे भी इसी तरह की हैं। एक शख्स को मजबूर करना कि तुम किसी को बेचोगे नहीं, उस को अननसेसरी बांधना है। अगर उस को इल्म होगा, तो वह बेचेगा नहीं, क्योंकि पोज़ेशन बाई इटसल्फ जुर्म होगा। आगे दफ़ा ५ में वह जुर्म है। अगर कोई ऐसा लेगा, तो उसी पर जुर्म आ जाता है। तो बेचने वाले का क्या कसूर है। जब तक कि हम पूरे तौर पर, कन्क्लूसिव तौर पर यह न कह सकें कि उस को पता है, उस का क्या कुसूर है। मैं अर्ज करूंगा कि यह ऐक्ट ऐसे लोगों को एनमेश करता है, जिन लोगों को कि नहीं करना चाहिए। इस लिए इस को निकाल देना चाहिए।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे दो शब्द कहने हैं। इस विधेयक द्वारा हम शस्त्र रखने की आयु-सीमा को १८ से घटा कर १६ वर्ष कर रहे हैं कानून द्वारा भी १८ वर्ष के बाद भी बच्चे को वयस्क माना जाता है। अन्य अनेक कानूनों में भी

†मूल अंग्रेजी में

वयस्कता के लिये आयु-सीमा २०, २१ या १८ आदि है। १६ कहीं भी नहीं है। अतः मेरा ख्याल है कि १६ वर्ष के बच्चे का शस्त्र देना ठीक नहीं होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह विधेयक बड़ा रोधात्मक है। एक बार जब आयु-सीमा घटा कर १६ कर दी गयी है, तो इसे और भी कम करके १४ क्यों नहीं कर दिया जाता। आयु-सीमा १४ कर देने से उन लोगों के लिये शस्त्रों की शिक्षा लेना सरल हो जायेगा, जो सेना में भरती होना चाहेंगे या सैनिक व्यवसाय चुनना चाहेंगे।

यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को ६ महीने की कम से कम सजा हो चुकी हो उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। यह सजा नैतिक या हिंसा सम्बन्धी कारणों के आधार पर दी गयी होनी चाहिये। पर इसका इलाज यही है कि ऐसे लोगों को शस्त्रों का लाइसेंस दिया जाये ताकि वे ऐसे अपराधों से बच सकें। अन्त में मरम्मत आदि या बदलने आदि पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये है, वह भी ठीक नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि आयु सीमा घटा कर १४ कर दी जाये।

†**श्री दातार :** पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन पर मुझे कुछ आश्चर्य है। आप देखेंगे कि अमरीका और ब्रिटेन के कानूनों में भी ऐसे प्रतिबन्ध हैं। मैं श्री भट्टाचार्य की बात से सहमत हूं कि आयु-सीमा १८ होनी चाहिये। सभा की इच्छा थी कि इस सीमा को १६ रखा जाये। इसलिये इसे १६ रखा गया।

नैतिक अपराध तथा हिंसा कार्य के लिये ६ मास की सजा वाली शर्त भी आवश्यक है। ये दोनों प्रकार के अपराध गम्भीर अपराध माने जाते हैं।

ध्यान रहे कि अर्जन, विक्रय, हस्तान्तरण, बदल या मरम्मत आदि पर प्रतिबन्ध होगा। इसी उद्देश्य के लिये यह निषेधात्मक खण्ड यहां रखा गया है। इसके बिना शस्त्र का उचित उपयोग नहीं हो पायेगा।

उपखण्ड (२) में आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान शस्त्रों के प्रयोग के लिये विभिन्न शर्तें होंगी। इसमें भी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के लिये विभिन्न आयु-सीमा निर्धारित होगी। अतः यह एक महत्व-पूर्ण खण्ड है और इसे पूर्णतः हटाया नहीं जा सकता।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या एन० सी० सी० के वे बच्चे भी शस्त्रों का प्रयोग कर सकेंगे, जिनकी आयु उतनी नहीं होगी, जितनी निर्धारित की गयी है ?

†**श्री दातार :** खण्ड ४५ देखिये। ऐसे मामलों में छूट दे दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८५ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १० से १२ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १३—लाइसेंस अथवा अनुज्ञप्ति की मंजूरी

†**श्री उ० ल० पाटिल :** मैं अपने संशोधन संख्या २ और ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपना संशोधन संख्या ८६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री उ० चं० पटनायक :** मैं अपना संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं अपने संशोधन संख्या ६६, ६७ और ६८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १०६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हेमराज :** मैं अपने संशोधन संख्यां ३५ और ३६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मेरा एक संशोधन तो यह है कि जांच कराने के दो महीने बाद अनुज्ञप्ति मंजूर या नामंजूर कर दी जानी चाहिये । दूसरा संशोधन यह है कि केवल डाकुओं, ठगों और असामाजिक ढंग के लोगों को अनुज्ञप्तियां देने से मना करना चाहियें । मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं कि कांग्रेस दल में शामिल होने के कारण ही कुछ लोगों को अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि फसल की रक्षा के अतिरिक्त, मवेशियों तथा खेती के औजारों की रक्षा के लिये भी टोपीदार बन्दूकों की अनुज्ञप्तियां दी जानी चाहियें ।

†**श्री वारियर :** मेरे संशोधन संख्या २७ में कहा गया है कि .२२ बोर राइफिलों की अनुज्ञप्तियां राइफिल क्लबों और राइफिल एसोसिएशन्स को दी जानी चाहियें । इससे 'राइफल क्लबें' बनाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस क्लाज़ १३ में मेरी जो एमेंडमेंट नम्बर ८६ है, उसके ज़रिये मैं इतना ही चाहता हूं कि वर्ड्स विदआउट अननिसेसरी डिले (बिना अनावश्यक विलम्ब के) जोड़ दिये जायें ।

आनरेबल मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में फरमाया था कि पीरियड मुकर्रर करने की इस वास्ते जरूरत नहीं है कि बहुत से केसिस एक महीने के अदर ही तय हो जाया करेंगे । अगर ऐसा हो सके तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा । मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि जो लाइसेंसस की एप्लीकेशन्स होंगी उनका निपटारा एक महीने में ही कर दिया जाया करेगा । लेकिन मेरे ख्याल में कई ऐसी सूरतें होंगी जिनके अन्दर जरूर ज्यादा वक्त लगेगा । उन सूरतों के लिये मैं चाहता हूं कि इन वर्ड्स को रख दिया जाए । लाइसेंस एक महीने में दिया जाए या दो महीने में लेकिन गैर जरूरी डिले नहीं होनी चाहिए और मेरी एमेंडमेंट को मान लेने से यह परपज़ एचीव (प्रयोजन पूरा) हो सकेगा और कुछ नहीं । इतना ही मुझे इस एमेंडमेंट के बारे में कहना है ।

†**श्री उ० ल० पाटिल :** मैंने दो संशोधन रखे हैं । पहले का उद्देश्य यह है कि अनुज्ञप्तियों के प्रार्थनापत्रों का निबटारा ३० दिन के अन्दर हो जाना चाहिये । अभी तो ऐसे प्रार्थना पत्र महीनों तक

---

†मूल अंग्रेजी में

विचाराधीन पड़े रहते हैं। मेरा दूसरा संशोधन है कि किसानों को टोपीदार बन्दूकों के लिये अनुज्ञप्तियां दी जानी चाहियें।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज़ के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक लाइसेंस देने का प्रश्न है, उसके बारे में कानून ऐसा बनना चाहिये कि जो इच्छा सरकार की है, वह पूरी हो सके। सरकार की ऐसी इच्छा मालूम पड़ती है कि कुछ प्रकार के फायर आर्म्स, कुछ प्रकार के हथियार बिना किसी रुकावट के लोगों को रखने की इजाजत हो और उनके लाइसेंस बिना किसी खास रुकावट के दे दिये जायें। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके बारे में भी यह होगा कि पुलिस की रिपोर्ट मांगी जाएगी और इस रिपोर्ट को लाने में कितनी ही दिक्कतें पेश आएंगी। उदाहरण के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि क्लाज़ १३ की सब-क्लाज़ में यह लिखा हुआ है कि प्रार्थना पत्र मिलने पर अनुज्ञप्ति अधिकारी जांच करेगा।

होना यह चाहिये था कि कुछ प्रकार के हथियारों के बारे में कोई इन्क्वायरी अथवा तहकीकात न हो और इस उद्देश्य को श्री मूलचन्द दुबे का एक संशोधन है और वह पूरा कर देता है। इस बात की इन्क्वायरी हो सकती है कि क्या वह प्रीवीयिस कनविक्ट (सजायाफ्ता) तो नहीं है, ११७ में बाउण्ड डाउन तो नहीं है या उन लोगों की कैटेगरी (श्रेणी) में तो नहीं आता है जिनके बारे में कहा गया है कि इन इन को लाइसेंस नहीं मिलेगा और इन सब चीज़ों के बारे में उससे एफिडेविट (शपथ पत्र) लिया जा सकता है और लाइसेंसिंग आथोरिटी उसको उसके बाद लाइसेंस दे सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो पुलिस अफसर के पास जाने की दिक्कत से बचा जा सकेगा।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब तक का तजुर्बा तो यह रहा है कि थाने में पुलिस के पास जब केस चला जाता है, जब उसके पास दरख्वास्त चली जाती है तो जो दरख्वास्त देने वाला होता है वह इधर से उधर भागता है और कुछ ले देकर ही वहां से रिपोर्ट निकल पाती है। कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं यह बात कह सकता हूं कि वहां पर पुलिस में केस के जाने के बाद सौ में से एक केस ही ऐसा है होता है जिसमें बिना रिश्वत के काम चल जाता है बाकी सभी केसों में रिश्वत ली जाती है और बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता है। बिन रिश्वत लिए पुलिस—रिपोर्ट ही नहीं बनती है। मैं चाहता हूं कि अगर गृह मंत्री महोदय मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो वह इसकी जांच करवा कर देख लें।

आप कानून बना रहे हैं लेकिन इस पर अमल की जिम्मेदारी दूसरों पर होगी। आप यह कह सकते हैं कि राज्यों की पुलिस क्या करती है यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यह राज्यों का विषय है लेकिन इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। आप कानून ही इस तरह से बनायें जिससे कि इस तरह की बातों की सम्भावनायें कम हो जाएं।

उन मामलों में यहां पर लाइसेंसिंग आथोरिटी को कुछ देखना नहीं है, केवल यही देखना है कि प्रीवियस कनविक्ट तो नहीं है, ११७ में बाउण्ड डाउन तो नहीं है या और किसी तरह से लाइसेंस पाने का हकदार तो नहीं है और ये सब चीजें देखने के बाद और उससे एफिडेविट ले लेने के बाद, मैं समझता हूं कि किसी तरह की तहकीकात की जरूरत नहीं होनी चाहिये। अगर वह गलत एफिडेविट देता है तो उसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई हो सकती है।

[श्री ब्रजराज सिंह]

इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सोचे कि इस कानून के जो मिसयूज़ होने का खतरा हो सकता है, वह न रहे और लोगों को आसानी से लाइसेंस मिल जाएं, उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े ।

†**श्री मूल चन्द दुबे** : मेरा संशोधन संख्या १०६ है । अनुज्ञप्तियों के प्रार्थना-पत्र पहले सब-डिवीजनल अधिकारी और फिर तहसीलदार और कानूनगो के पास भेजे जाते हैं । और दूसरी ओर, वे पुलिस सुप्रिन्टेंडेण्ट और सर्किल इन्स्पैक्टर, वगैरह के पास भेजे जाते हैं । इस सब में छः से आठ महीने तक लग जाते हैं । इस जांच का काम बहुत कुछ अधिकारियों की सनक पर भी निर्भर करता है । मेरा सुझाव तो यह है कि जब भी कोई प्रार्थी यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर देता है कि खण्ड ९ में उल्लिखित अयोग्यतायें उस पर लागू नहीं होतीं, तब फिर उसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती । उसे अनुज्ञप्ति दे दी जानी चाहिये । यदि बाद में पता चले कि उसका शपथ-पत्र ग़लत है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है । जब सम्पत्ति की कोई शर्त ही नहीं है, तब फिर शपथ-पत्र देने के बाद अनुज्ञप्ति नामंजूर करने का कोई आधार ही नहीं रह जाता । आशा है माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

श्री हेम राज : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज़ १३ में मेरी दो छोटी सी एमेंडमेंटस हैं । इस क्लाज़ की सब-क्लाज़ ३ का जो ए है उसकी लाइन १० में मैं यह चाहता हूं कि मज़ल लोडिंग गन (टोपीदार बन्दूक) के बाद बोर गन भी जोड़ दी जाये । अगर यह कर दिया जाये तो जो प्राविसो (परन्तुक) दी हुई है उसकी जरूरत नहीं रहेगी और उसको डिलीट (हटाना) करना होगा ।

इस अमेंडमेंट को देने का मेरा मकसद यह है कि हम एक तरफ तो यह चाहते हैं कि जो खेती की पैदावार है वह बढ़े और जो ज़मींदार है उसकी ज्यादा से ज्यादा सहायता की जाये ताकि वह ज्यादा गल्ला पैदा कर सके । एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि वह ज्यादा गल्ला पैदा करे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे लेकिन दूसरी तरफ हम उस पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हैं । हम उसको मज़ल लोडिंग गन देने के लिए तो तैयार हैं लेकिन दूसरी जो बोर गन उसका लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं हैं । अगर उसको बोर गन लेनी हो तो उसके लिए हमने प्राविसो जोड़ दी है और कह दिया है कोई खास खास वजूहात यदि होंगी तभी बोर गन का लाइसेंस दिया जायेगा ।

मज़ल लोडिंग गन की हालत क्या है? जो पहाड़ी इलाका होता है वहां यह हालत है कि बारिश सब से ज्यादा होती है, सब से ज्यादा जंगल वहां होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दरिन्दे और परिन्दे ज्यादा होते हैं और ये जो फसल होती है उसको तबाह कर देते हैं । इस वास्ते वहां पर मज़ल लोडिंग गन काम नहीं दे सकती है । मज़ल लोडिंग गन का तो यह हिसाब है कि बन्दूक में छर्रा भरने में कोई एक घंटा लग जायेगा और इस दौरान में उसकी सारी फसल तबाह हो जायेगी । इस वास्ते अगर आप चाहते हैं कि वह ज्यादा अनाज पैदा करे तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए और उस पर विश्वास करके आपको उसे बोर लोडिंग गन का लाइसेंस देना चाहिए ।

इस वास्ते मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जो सब-क्लाज़ ३ है उसके पार्ट ए में बोर गन और जोड़ दिया जाये और इससे जो मामला है वह हल हो जायेगा और जो प्राविसो है

†मूल अंग्रेजी में

उसकी आवश्यकता नहीं रह जायेगी । इससे उसके अन्दर यह भावना भी पैदा होगी कि उसमें और शहरी में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और सब के साथ बराबरी का सलूक किया जा रहा है।

इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि बजाय प्राविसो के रखने के, तीन की सब-क्लाज़ (ए) (१) में ही स्मूथ बोर गन जोड़ दिया जाये और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे ।

†**श्री उ० च० पटनायक :** मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता । लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि २२ बोर राइफिल की विभिन्न श्रेणियों में विभेद किया जाना चाहिये । इसीलिये मैं ने अपना संशोधन रखा है ।

†**श्री दातार :** संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों ने तीन बातें कही हैं । एक तो यह कि अनुज्ञप्तियों के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के निबटारे के लिये एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । दूसरी बात श्री पटेल ने कही है कि जिनके प्रार्थना-पत्र नामंजूर किये जाय, उनके नाम उल्लिखित किये जाने चाहियें । तीसरी बात श्री मूलचन्द दुबे ने यह कही है कि अनुज्ञप्ति अधिकारियों को शपथ-पत्र के आधार पर चलना चाहिये । इन सुझावों को स्वीकार करना बड़ा कठिन है । हम चाहते तो यही हैं कि अनुज्ञप्तियों के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों का निबटारा दो महीने के अन्दर ही हो जाये । आवश्यक जांच और जानकारी इसी काल में संग्रह कर ली जानी चाहिये और प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में निर्णय हो जाना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने सुझाव रखा है कि प्रार्थना-पत्र नामंजूर कर सकने की तो गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिये । यह ठीक नहीं होगा । कई ऐसे प्रार्थना-पत्र भी आते हैं जिनमें बिना किसी ठोस या संगत कारण के ही अनुज्ञप्तियां मांगी जाती हैं, या अनुज्ञप्तियों की मांग उनका ग़लत उपयोग करने की दृष्टि से की जाती है । इसलिये अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा उसकी जांच कराना तो बहुत जरूरी है, और इसके लिये कोई समय-सीमा भी निर्धारित नहीं की जानी चाहिये ।

श्री पटेल ने कुछ ऐसे फिकरों का प्रयोग किया है, जिन्हें वैधानिक भाषा में स्वीकार नहीं किया जाता । डाकू, ठग, चोर, असामाजिक या राष्ट्र विरोधी, इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अभी तक वैधानिक भाषा में स्वीकार नहीं किया गया है और उनका कोई वैधानिक अर्थ ही नहीं होता, इसलिये उनको स्वीकार करना मुश्किल है । यदि उनका प्रयोग किया जायेगा तो अनुज्ञप्ति अधिकारियों के आदेशों से अन्याय होने की संभावना पैदा हो जायेगी । इसलिये, हमें इसका निर्णय अनुज्ञप्ति अधिकारियों पर ही छोड़ देना चाहिये । खण्ड १४ में वे सभी परिस्थितियां उल्लिखित कर दी गई हैं जिनको देख कर अनुज्ञप्ति नामंजूर की जा सकती है । इसलिये ऐसे लोगों के वर्गों का स्पष्ट उल्लेख करना उचित नहीं होगा जिनको अनुज्ञप्तियों नहीं दी जायेंगी ।

एक माननीय मित्र का सुझाव है कि अनुज्ञप्ति की मंजूरी देने के लिये शपथ-पत्र का आधार, ही पर्याप्त है । शपथ-पत्र अपने ही बारे में तो दिया जाता है । अवांछनीय कार्यों के लिये शस्त्रों की अनुज्ञप्तियां चाहने वाले लोग भी—डाकू, वगैरह भी—ऐसे शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और ग़लत शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का दण्ड भोगने के लिये तैयार हो सकते हैं । इसलिये शपथ-पत्र कोई समुचित गारंटी नहीं है । इसीलिये स्वतंत्र रूप से जांच कराने की कोई व्यवस्था तो रहनी ही चाहिये । जांच का इसीलिये बड़ा महत्व है । इसीलिये प्रार्थी द्वारा उल्लिखित कारणों की जांच अपीलीय अधिकारी द्वारा कराने की व्यवस्था रखी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिला मैजिस्ट्रेट का अधीनस्थ अधिकारी तक अनुज्ञप्तियों की मंजूरी दे सकता है । और, दूसरी चीज़ यह कि हम ने खण्ड १३ (३) (क) में विशेष तौर से एक परन्तुक की व्यवस्था की है, जिसमें दिया गया है कि यदि टोपीदार बन्दूकों की पर्याप्त संख्या सुलभ न हो तो बचाव के लिये दूसरे प्रकार की बोर गनों की अनुज्ञप्तियां भी दी जा सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड १३ के सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ से ४६ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १४ से ४६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री उ० चं० पटनायक :** हमें अपने संशोधन प्रस्तुत करने दिये जायं, क्योंकि हम खंडवार संशोधन रखते आ रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब इस अवस्था पर वह नहीं किया जा सकता ।

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†विविध वैयक्तिक विधियां (विस्तार) विधेयक

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कुछ वैयक्तिक विधियों को भारत के उन भागों में जहां अभी वे लागू नहीं हैं, विस्तारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह एक बड़ा सीधा सा विधेयक है । जिन व्यवस्थाओं को विस्तारित किया जा रहा है, वे अनुसूची १ में दी गई हैं । वे इस प्रकार हैं : अन्य धर्मग्राही विवाह-विच्छेद अधिनियम, आनन्द विवाह अधिनियम, हिन्दू सम्पत्ति व्ययन अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, हिन्दू ज्ञान-लाभ अधिनियम, मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शेरियत) लागू करना बिधेयक और मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम ।

१९५१ में जब भाग 'ख' राज्य (विधियां) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ भारतीय विधियां भाग 'ख' राज्यों में विस्तारित की गई थीं, तब व्यक्तिगत विधियों को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि हम हिन्दू विधि की संहिता के पूरी तौर से तैयार होने तक रुकना चाहते थे । उस समय हम ने यह भी पता नहीं किया था कि भाग 'ख' के विभिन्न राज्यों में वैयक्तिक विधियों की ठीक-ठीक कौन सी व्यवस्था थी । अब उनका पता लगाने के बाद ही, हम ने यह एक व्यापक विधान प्रस्तुत किया है । इन विधियों को विस्तारित करने पर, हमें राज्यों में पहले से प्रवृत्त कुछ अन्य विधियों को हटाना पड़ेगा । उदाहरण के लिये, हिन्दू हस्तांतरण तथा वसीयत (मद्रास नगर) अधिनियम, १९२१ और मद्रास हिन्दू हस्तांतरण तथा वसीयत अधिनियम, १९१४ की विषय-वस्तु वही थी जो हिन्दू सम्पत्ति व्ययन अधिनियम, १९१६ की थी । अब इस समय जो कुछ अन्य अधिनियम विस्तारित किये जा रहे हैं, वे भाग 'ख' राज्यों के विभिन्न भागों पर पहले से लागू हैं, जैसे कि हिन्दू ज्ञान-लाभ अधिनियम, १९३०, जिसे आन्ध्र प्रदेश (विधियों का विस्तार) अधिनियम द्वारा आन्ध्र प्रदेश तक विस्तारित किया गया था । अब हम वैयक्तिक विधियों में एकरूपता लाना चाहते हैं । इस अधिनियम के पारित करने से, विधि का सूत्र भी एक ही हो जायेगा—केन्द्रीय विधान ।

हमसे कहा गया है कि हिन्दू हस्तांतरण तथा वसीयत (मद्रास नगर) अधिनियम, १९२१ और मद्रास हस्तांतरण तथा वसीयत अधिनियम, १९१४ की व्यवस्थायें हिन्दू सम्पत्ति व्ययन अधिनियम, १९१६ जैसी होते हुए भी, उसमें "हिन्दू" शब्द की परिभाषा नहीं की गई है, जो कि मद्रास अधिनियम में मौजूद है । मद्रास अधिनियम में इसकी अलग से व्याख्या की गई है । हमारा विचार है कि हिन्दू विधि की संहिता बन जाने के बाद, अब उस व्याख्या की आवश्यकता नहीं रह गई है । अब हमने हिन्दू विधियों में इस "हिन्दू" शब्द की काफी व्यापक परिभाषा दे दी है । इस लिये उसे शामिल करना आवश्यक नहीं ।

मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शेरियत) लागू करना अधिनियम, १९३७ के विस्तारण के सम्बन्ध में हमसे कहा गया है कि हमें उसका संशोधन करके, उसके क्षेत्र मे कृषीय सम्पत्ति सम्बंधी प्रश्नों को भी सम्मिलित करना चाहिये । सभा को मालूम है कि १९३७ में भारत सरकार अधिनियम प्रवृत्त होते समय, केन्द्रीय विधान मंडल कृषीय सम्पत्ति के बारे में कोई भी विधि पारित नहीं कर सकता था । इसीलिये जब यहां मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शेरियत) लागू करना विधेयक पारित किया गया था, तब उसका क्षेत्राधिकार गैर-कृषीय सम्पत्ति तक ही सीमित रखा गया था । इसीलिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

मद्रास में मद्रास विधान मण्डल ने कृषीय सम्पत्ति के बारे में उसी तरह की विधि पारित की थी । यही कारण है कि मद्रास में शेरियत विधि कृषीय और गैर-कृषीय दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होती है । हमसे कहा गया है कि हमारी इस विधि में भी इन दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिये । हम इस सुझाव पर काफी विचार करने के बाद, इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि वैसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न राज्यों की कृषीय सम्पत्ति सम्बंधी विधियों में काफी अन्तर है । और अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में एक रूपता लाने की आवश्यकता भी है या नहीं । इसीलिये हमने कृषीय सम्पत्ति को राज्य विधान मंडलों के लिये ही छोड़ दिया है । यदि अभी किसी राज्य में मुस्लिमों पर लागू होने वाली कोई ऐसी विधि मौजूद है जो मुस्लिमों की कृषीय सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर लागू होती है, तो वहां वही प्रवृत्ति बनी रहेगी । मद्रास की विधि में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जिस विधि को लागू कर रहे हैं वह गैर-कृषीय सम्पत्ति से ही सम्बंधित है । हम उस राज्य की कृषीय सम्पत्ति सम्बंधी विधि में कोई भी हेर फेर नहीं करना चाहते । इस विधेयक का यही क्षेत्र है और मैं इसे स्वीकृति के लिये सभा के सामने रखता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ब्र० सिं० दौलता** (झज्जर) : मैं विधि मंत्री से कश्मीर की वैधानिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि प्रत्येक विधि से जम्मू तथा कश्मीर को अलग क्यों रखा जाता है । यह प्रथा बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है । समूचे भारत की विधियों में एकरूपता होनी चाहिये ।

यह एक सामाजिक विधान है, इसलिये इसे कश्मीरी जनता पर भी लागू किया जाना चाहिये । यदि संविधान के अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत यह संसद् कश्मीर के लिये विधि निर्माण नहीं कर सकती, तो फिर इस संसद् में कश्मीर के दो सदस्यों क्यों रहते हैं ?

इसका दूसरा तरीका यह है कि कश्मीर सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह भी इसी विधि को अपना ले । यदि कश्मीर और शेष भारत की विधियों में कोई अन्तर्विरोध रह जायेगा, तो वह पूरे देश के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकता है । इसलिये विधि मंत्रालय को किसी उचित समय पर संविधान के अनुच्छेद ३७० को संशोधित करने का प्रश्न उठाना चाहिये ।

मैं विधि मंत्रालय से दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या इन अधिनियमों से पहले की प्रचलित रूढ़िजन्य विधियों का पूरी तौर से मूल्यांकन किया जा चुका है ? अब इन नयी व्यक्तिगत विधियों ने ब्रिटिश काल की पुरानी रुढ़िजन्य विधियों को हटा दिया है । इसलिये उनका पूर्ण मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है ।

तीसरी चीज यह है कि यह मानकर चला गया है कि ब्रिटिश भारत में प्रचलित पुरानी विधियां ज्यादा अच्छी थीं देशी राज्यों में प्रचलित सभी विधियों के मुकाबले । लेकिन उस काल में त्रावनकोर-कोचीन जैसे कई प्रगतिशील राज्य भी थे और उनमें प्रचलित कई विधियां, ब्रिटिश भारत की विधियों के मुकाबले, कहीं अच्छी थीं । क्या उनके मूल्यांकन का प्रयास किया गया है ?

मैं इन चीजों का स्पष्टीकरण भी चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मैं केवल एक ही चीज़ की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अन्य धर्म-ग्राही विवाह-विच्छेद अधिनियम में परिवर्तन करके जिस नयी व्यवस्था को रखा जा रहा है, उसके क्षेत्राधिकार से जम्मू तथा काश्मीर ही नहीं, मनीपुर को भी क्यों अलग किया जा रहा है ? इसकी क्या आवश्यकता थी ?

अच्छा तो यही रहेगा कि भारत सरकार जम्मू तथा कश्मीर को भी अपनी विधियों के क्षेत्राधिकार से बाहर न रखे ।

†**श्री हजारनवीस :** माननीय सदस्य का यह आक्षेप सही नहीं है कि इस विधेयक को जम्मू तथा कश्मीर तक विस्तारित न करने के लिये हम संविधान के अनुच्छेद का बहाना बनाते हैं। बात बहाना बनाने की नहीं है। संविधान का पालन करने की हमने शपथ ग्रहण की है, और उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। सभा यह आशा तो नहीं कर सकती कि सरकार कोई ऐसा भी विधेयक रखेगी जो संविधान की शक्ति से परे हो। सभा जानती है कि यह विषय हमारी वैधानिक क्षमता से परे है। यदि हम अपनी विधि से इन शब्दों को निकाल भी दें, तो भी न्यायालय तो उसे जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त शेष भारत पर ही लागू मानेंगे। इसीलिये जब तक संविधान को नहीं बदला जाता, तब तक हम कश्मीर पर भी लागू होने वाले किसी विधेयक को पारित नहीं कर सकते। इसके लिये संविधान के शब्दों में ही नहीं, बल्कि उसकी राजनैतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यह उत्तर कई बार पहले भी दिया जा चुका है। पता नहीं फिर भी इसे बार-बार क्यों दोहराया जाता है ।

मैं बता चुका हूं कि इसके लिये संविधान में मात्र शाब्दिक परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसे हम सभी चाहते हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : ने अन्य धर्म-ग्राही विवाह-विच्छेद अधिनियम के मनीपुर पर लागू न होने का कारण पूछा है। चूंकि मनीपुर के संघ क्षेत्र पर उस अधिनियम को लागू नहीं किया गया था, इसीलिये अब इस विधेयक को भी उस पर लागू करने की जरूरत नहीं है। इसीलिये प्रथम अनुसूचि की मद १ में मनीपुर का उल्लेख आया है।

मैंने जितनी भी बातें कहीं थीं वे मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शेरियत) लागू करना अधिनियम, १९३७ के बारे में ही थीं। माननीय सदस्य स्वयं एक बड़े अच्छे वकील हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि हालांकि मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शेरियत) लागू करना अधिनियम में कहा गया है कि मुस्लिमों पर उनकी व्यक्तिगत विधियां ही लागू होंगी, लेकिन वैयक्तिक विधियां क्या हैं इसका पता न्यायालयों को ही लगाना पड़ेगा। यदि कश्मीर के मुस्लिमों पर लागू होने वाली वैयक्तिक विधि और पंजाब के मुस्लिमों पर लागू होने वाली वैयक्तिक विधि में कोई अन्तर न हो तो .....

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैंने ऐसे भी मामले कलकत्ता उच्च न्यायालय में देखे हैं जिनमें कि दोनों पक्षों की ओर से, मुस्लिम होते हुए भी, यह दावा पेश किया गया था कि वे सामान्यतया हिन्दू विधि से ही शासित होते हैं ।

†**श्री हजारनवीस :** मैं आपको सामान्य स्थिति ही बता रहा था। यह बिल्कुल सही है कि रुढ़ियां संविधि को भी शासित करती हैं। विधि में यह सर्वमान्य है कि रूढ़ि किसी एक स्थान, किसी एक परिवार, या किसी एक समुदाय पर लागू हो सकती है। उस दशा में, दोनों पक्षों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि उन पर सामान्य विधि लागू नहीं होती, और यह भी कि संविहित विधि के अतिरिक्त कोई दूसरी ही रुढ़ियां उनकी सम्पत्ति इत्यादि के मामलों पर लागू होती हैं, जिनका वे पालन करते हैं। जब तक उन रुढ़ियों को हटाकर उनके स्थान पर संविहित विधि नहीं लाई जाती, तब तक स्थिति यही रहती है। कोई भी संविहित विधि प्रचलित रूढ़ि को मान्यता देती है या नहीं यह तो उसी विधि को देखने से पता चलेगा।

संहिता-बद्ध विधि और वैयक्तिक विधि में कोई भी अन्तर्विरोध नहीं है। संहिता-बद्ध विधि और गैर-संहिता-बद्ध विधि में विभेद है। गैर-संहिता बद्ध विधि को इंग्लैंड में सामान्य विधि कहते हैं। इसका पता न्यायालय लगाते हैं कि कोई समुदाय राज्य के आदेश के बिना ही किसी विधि को स्वीकार करता है या नहीं। वही विधि गैर-संहिता-बद्ध होती है। संहिता-बद्ध विधि उसे कहते हैं, जिसमें एक किसी विषय के सम्बंध में सभी विधियां एक संविधि में सम्मिलित कर दी जाती हैं। उसी को संहिता माना जाता है। इसलिये यह प्रश्न भी ठीक नहीं है कि अमुक विधि वैयक्तिक विधि है या संहिता-बद्ध विधि। इन दोनों की श्रेणियां ही बिल्कुल अलग-अलग हैं।

वैयक्तिक विधि के बारे में मेरी अपनी समझ यह है वह सामान्यतया उत्तराधिकार, विवाह, तलाक़ इत्यादि के सम्बन्ध में होती है। वैयक्तिक विधि पूरी तौर से एक संहिता में भी हो सकती है। उदाहरण के लिये हिन्दू वैयक्तिक विधियों का एक बड़ा भाग अब संहिताबद्ध हो चुका है। लेकिन उसका कुछ भाग अभी गैर-संहिताबद्ध भी है।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि रूढ़ि से तो सभी विधियां शासित होती हैं। यदि कोई पक्ष न्यायालय में यह सिद्ध कर दे कि वह किसी एक रूढ़ि से ही शासित होता है, तो न्यायालय उसी को मान्यता देगी, यदि संविधि में स्पष्ट रूप से यह न कह दिया गया हो कि रूढ़ि को हटा कर संविधि को प्रतिष्ठित कर दिया गया है। इसलिये हम संविधि के अपने ही शब्दों को देखना पड़ेगा।

सरकार ने समूचे देश की विधियों को एकीकृत करने के लिये ही यह प्रयास किया है और सभा ने हमारे इस प्रयास का मूल्य समझकर उसको जो बढ़ावा दिया, मैं उसके लिये आभारी हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि कुछ वैयक्तिक विधियों को भारत के उन भागों में, जहां अभी वे लागू नहीं हैं, विस्तारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय:** चूंकि कोई संशोधन नहीं आये हैं इस लिए हम समस्त खण्डों को एक साथ लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ४, अनुसूची १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ४, अनुसूची १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

†**श्री हजरनवीस :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ मे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह बहुत छोटा सा विधेयक है और मैं समझती हूं कि उसके खण्डों की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम १९५६ में पारित किया गया था जिसका उद्देश्य प्रतिभूतियों के व्यापार को वरणाधिकारों के निषेध तथा अन्य सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था द्वारा विनियमित करना था। वह अधिनियम २० फरवरी, १९५७ को लागू हुआ था और तब से अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत देश के सात स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता दी जा चुकी है। अधिनियम के तीन वर्षों के कार्यकरण में उसके उपबन्धों की कुछ खामियों का पता चला है। उनमें से एक जिसके सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है १९५६ के समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के मताधिकारों से सम्बन्धित है।

इनमें से कुछ स्टाक एक्सचेंजों में कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अंश हैं और जो स्टाक एक्सचेंजों के कार्य संचालन में प्रत्यक्षतः बद्धहित न होने पर भी अपने मताधिकारों अथवा मत-संख्या द्वारा बोर्ड तथा स्टाक एक्सचेंजों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। अब इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ताकि कोई भी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज इस प्रकार के नियम बना सके कि एक सदस्य एक ही मत दे सके चाहे उस के उस स्टाक एक्सचेंज में कितने भी अंश क्यों न हों। इस प्रकार सदस्यों के मताधिकार सीमित हो जायेंगे।

हम सदस्यों के प्रतिता-शक्ति अधिकार को भी सीमित करना चाहते हैं। कुछ सदस्यों के हाथ में शक्ति के केन्द्रित होने से स्टाक एक्सचेंजों का संचालन उनके हित विशेष में किया जा सकेगा और यह इन स्टाक एक्सचेंजों के व्यापार में हित रखने वाले सदस्यों और जनसाधारण के लिए अहित-कर होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

यहां जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है उनका उद्देश्य इन दोषों को दूर करना है। हमने ये संशोधन विनियोजकों के हितों की रक्षा करने के लिये रखे हैं जैसोकि मूल अधिनियम में कल्पना की गई थी।

इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह स्मरण करा देना चाहती हूं कि इसी प्रकार के संशोधन १९५७ में वायदे के सौदे विनियमन अधिनियम, १९५२ में किये गये थे। अब हमारा ध्यान प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के कुछ उपबन्धों की ओर भी आकर्षित किया गया है जिनका निर्वचन इस प्रकार किया जा सकता है जिससे इस देश में स्थित विदेशी वित्तीय निगमों के विनियोजनों में बाधा पड़े।

पूंजी निर्यातक देशों में रुपया एकत्रित करने का एक सामान्य तरीका परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा अंश अधिपत्र युक्त बॉण्डों का निगर्मन है। वित्तीय निगमों के लिए किसी समवाय को साधारण ऋण देना और एक पृथक् संविदा द्वारा तय किये गये मूल्य पर समवाय के अंश खरीदने का वरणाधिकार प्राप्त करना (स्वयं समवाय से नहीं वरन प्रमुख अंशधारी अथवा अंशधारियों से) मामूली बात है। अब यह आवश्यक समझा गया है कि इस अधिनियम की धारा २०, जो समस्त प्रकार के वरणाधिकारों को अवैध बना देती है, इन संविदाओं पर भी लागू हो जब तक कि उन्हें निर्दिष्ट रूप से उससे मुक्त न किया गया हो। इसी प्रकार यदि अधिनियम की धारा १३ का, जो कि अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के बीच, अथवा उनके द्वारा अथवा साथ हुए प्रतिभूति संविदाओं से भिन्न प्रतिभूति संविदाओं को अवैध बनाती है, कठोरता से निर्वचन किया जाय तो विनियोजक और उस समवाय के बीच, जिसमें विनियोजन किया जाना है, विनियोजन संविदा अथवा उसका अनुपूरक संविदा होना निषिद्ध हो सकता है। जो वित्तीय निगम देश में विनियोजन के लिए पूंजी प्राप्त करने में सहायक होते हैं उनके सम्बन्ध में हम इस प्रकार के प्रतिबन्धों को लागू नहीं करना चाहते थे। इसीलिये प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा २८ में एक विशेष कानून के अन्तर्गत निर्मित निगमों को उस अधिनियम के उपबन्धों से छूट दी गई है। चूंकि यह छूट विदेशों में स्थापित वित्तीय निगमों तक नहीं पहुंचती है, इसलिए इस प्रकार की छूट दिलाने के लिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है। सभा के समक्ष जो विधेयक है उसमें सरकार को यही शक्ति दी जा रही है।

विधेयक के पुरःस्थापन के समय से सरकार ने इस मामले में और विचार किया है। वर्तमान रूप में विधेयक के खण्ड ३ का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगमों अथवा अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं को विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए चुन रहे हैं। परन्तु वास्तव में तथ्य यह नहीं है। इसलिए इस उपबन्ध का प्रारूप बदलने का निश्चय किया गया है जिससे प्रविधिक कठिनाइयां दूर हो जायें। इसलिए खण्ड ३ में इस प्रकार संशोधन करने का विचार है कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ के उपबन्ध किसी परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा अंश अधिपत्र अथवा कोई वरणाधिकार अथवा उससे संबंधित अधिकार पर लागू न हो जहां तक कि वह उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में ऐसी प्रतिभूति जारी की गई है, उस समवाय अथवा निगमित निकाय या उसके किसी अंशधारी अथवा एजेण्ट से अपनी इच्छानुसार प्रतिभूति के निगर्मन के समय तय किये गये मूल्य पर बॉण्ड के परिवर्तन द्वारा अथवा अन्य प्रकार से समवाय के अंश प्राप्त करने का हकदार बनाता है।

इस विधेयक में सरकार यह शक्ति भी ले रही है कि वह शासकीय गजट म अधिसूचना द्वारा किसी भी वर्ग के संविदाओं को इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट दे सके यदि उसे यह संतोष हो

जाय कि व्यापार अथवा वाणिज्य अथवा देश के आर्थिक विकास के हित में वैसा करना आवश्यक है। आवश्यक औपचारिक संशोधन उचित समय पर पुरःस्थापित किये जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सभा के विचारार्थ उपस्थित करती हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : माननीया उपमंत्री ने कहा कि इस संशोधन विधेयक में वे उपबन्ध रखे गये हैं जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर आवश्यक समझे गए। मेरा निवेदन है कि एक अधिक व्यापक तथा विस्तृत विधेयक रखा जाना चाहिये। ताकि सट्टा बाजार में होने वाली अनैतिक कार्यवाहियां दूर हो सके। मूंदड़ा काण्ड इस बात का प्रमाण है कि हमारे सट्टा बाजारों में अनेक दोष हैं। सट्टा बाजार के माध्यम से ही मूंदड़ा ने हमारे देश में विषम आर्थिक स्थिति उत्पन्न की।

सट्टा बाजारों की अनेक बार जांच की गई है। १९२३ में एटली आयोग, १९४९ में मौरीसन आयोग और १९५१ में गोखाला समिति ने सट्टा बाजारों के कार्यकरण की जांच की थी। सट्टा बाजार के सुधार के लिये एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है जिससे समस्त खामियां दूर हो सकें।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि धारा १३ और २० की उन सौदों पर लागू होने की सम्भावना है जो सट्टे के न हों। यह कहा गया है कि पूंजी व्यय के हित में धारा २० के प्रवर्तन को शिथिल करना आवश्यक है। क्या इन तीन वर्षों में ऐसा कोई मामला हुआ है जिसके कारण ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हुई है अथवा केवल कल्पना के आधार पर वैसा किया जा रहा है। मैं इन उपबन्धों से तो सहमत हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि एक अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिससे सट्टा बाजार की अनैतिक कार्यवाहियां दूर हों। सट्टा बाजारों में जनता का रुपया ही विनियोजित किया जाता है इसलिये उन पर हमारा अधिक नियन्त्रण होना चाहिए।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ता माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत नहीं हूं। धारा १३ और २० में कहा गया है कि कुछ प्रकार के संविदा तथा प्रतिभूतियों तथा प्रतिभूतियों के क्रय का विकल्प इनके अधीन आयेगा, जबकि विधेयक इन बुराइयों को दूर करना चाहता है।

यदि हम चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा हमारे देश की संस्थाओं में आये, तो हमें इन सभी बातों का नियमन करना पड़ेगा। सरकार जो संशोधन रख रही है, वह ठीक है और मैं उसको उपयोगी समझता हूं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यह आपत्ति है कि इसके द्वारा समवाय अधिनियम के क्षेत्र से सट्टा बाजार को निकाला जा रहा है। ध्यान रहे कि समवाय अधिनियम के उपबन्धों पर एक संयुक्त समिति विचार कर रही है, अतः यह ठीक नहीं कि उसके उपबन्धों के सम्बन्ध में हम इस तरह निर्णय करते रहें। जब तक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने नहीं आ जाता हमें उसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं करना चाहिये। ऐसा करना समिति के सम्मान की उपेक्षा करना है।

यदि सरकार कुछ समय तक संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर लेती, तो ज्यादा अच्छा होता। आशा है कि भविष्य में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी अन्यथा लोग ऐसी समितियों में काम करने के लिये अनिच्छुक हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सभा ने विधेयक का जो समर्थन किया, उसके लिये मैं कृतज्ञ हूं। दो माननीय सदस्यों ने विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ कुछ सन्देह भी प्रकट किये हैं। श्री प्रभातकार ने सट्टा बाजार के संचालन के बारे में कुछ सन्देह प्रकट किया। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हमने काफी सावधानी बरत ली है। हमने सीमान्त प्रणाली चालू कर दी है। अधिकांश सट्टा बाजारों ने दैनिक सीमान्त प्रणाली चालू है और बम्बई सट्टा बाजार में मुख्य अंशों के दैनिक विवरण कर्नठ दलालों से प्राप्त किये जाते हैं। इसके बाद में सट्टा बाजार पर कड़ी निगाह रखी जाती है। हमारे निदेशक वहां हैं और एक सट्टा बाजार डिवीजन भी है, जिसमें हमारे कुछ पदाधिकारी भी हैं। वे सट्टा बाजार की गतिविधियों पर तथा उनसे प्राप्त विवरणों पर निगाह रखते है। वे बैठकों में भाग लेते हैं तथा कार्य सूची की जांच पड़ताल करते हैं और इस बात की सावधानी रखते हैं कि दैनिक गतिविधियों में कोई गड़बड़ी न होने पावे।

अभी हाल में सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग के अधीन एक सट्टा बाजार निदेशालय खोला है। इसका मुख्यालय बम्बई में होगा पर उसके एकक दिल्ली व कलकत्ते में भी होंगे। बम्बई में निदेशक नियुक्त हो चुका है और कलकत्ते में शीघ्र ही नियुक्त किया जायेगा। इस प्रकार हम सट्टा बाजार की गतिविधियों पर नियन्त्रण रख रहे हैं।

क्लीयरिंग हाउसों द्वारा अंशों के प्रदाय सम्बन्धी विवरण को स्वीकार करते समय हम मूल्यों की भी छानबीन करते हैं और सीमान्त निक्षेपों का भी विवरण लगातार लेते रहते हैं इस प्रकार हम सट्टा बाजार की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करते हैं। पर मैं सभा को यह आश्वासन नहीं दे सकता कि अब कोई मामला पैदा नहीं होगा और सभी समस्यायें हल हो गई हैं। हमने यथाशक्ति कोशिश की है कि हम बराबर सभी सावधानी बरतें।

यह संशोधन हमने इसलिये रखा है कि हमारा ख्याल था कि मतदान अधिकार के सम्बन्ध में कुछ त्रुटि थी। हमने देखा कि अंशों के बल पर कोई भी व्यक्ति सट्टा बाजार में कुछ अनुचित प्रभाव डाल सकता था। जब यह त्रुटि हमें मालूम हुई, तो हमने सभा के सामने यह संशोधन रखा है।

दूसरी बात अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा जारी किये गये बन्ध पत्रों के सम्बन्ध में है। यद्यपि अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है पर कुछ बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सामने यह बात थी और उन्होंने हम से इस बारे में बातचीत भी की। शुद्ध विनियोजन प्रसंविदाओं पर धारा १३ या धारा २० लागू होगी। अतः विधेयक का खण्ड ३ ऋण पत्र बन्ध पत्रों को विमुक्त करता है। अन्य (तृतीय पक्षों) पक्षों के साथ विनियोजन प्रसंविदाओं विशेष अधिसूचना द्वारा मुक्त कर दी जायेंगी। कुछ विनियोजन संस्थाओं, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, को भय था कि यह बात विदेशी विनियोजन तथा कुछ भावों पर बुरा असर डालेगी। उनका कहना था कि परिवर्तनीय बन्धपत्रों, अंश बन्धपत्रों, विनियोजन प्रसंविदाओं आदि के सम्बन्ध में यह अधिनियम स्पष्ट नहीं है। अतः वे चाहते थे कि इन मामलों तथा संविदाओं को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम से मुक्त करने का स्पष्ट उपबन्ध किया जाये। हम भी समझते हैं कि यदि हम इस अधिनियम को स्पष्ट नहीं करते कि कब-कब यह अधिनियम लागू होगा, तो मामला ठीक नहीं रहेगा। अतः इन मामलों को मुक्त करने के लिये स्पष्ट उपबन्ध करने के लिये हमने यह संशोधन रखा है।

श्री भरूचा ने कहा कि इस विशेष प्रकार के वायदा संविदाओं को यह छूट क्यों दी जा रही है, जबकि एक समिति सम्पूर्ण समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही है। ध्यान रहे कि सट्टा बाजार का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है और समवाय अधिनियम के अधीन आने वाली संस्थायें बिल्कुल

†मूल अंग्रेजी में

भिन्न हैं। सट्टा बाजार का स्वरूप समय तथा स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। फिर कुछ नियमों तथा विनियमों की बातें भी समय समय पर उठ सकती हैं। किसी सट्टे बाजार में किस समय कैसी आपात स्थिति पैदा हो जायेगी, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। सभी सट्टा बाजारों को समवाय विधि के अधीन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मेरा तो यह कहना है कि जब संयुक्त समिति उस पर विचार कर रही है तो सरकार के लिए यह उचित नहीं है कि वह कहे कि हम समवाय अधिनियम को सट्टा बाजारों पर लागू नहीं होने देंगे।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** हम प्रवर समिति का कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं। इस बात का प्रवर समिति से कोई संबंध नहीं है क्यों कि सट्टा बाजार की कार्य पद्धति समवायों आदि की कार्य प्रणाली से भिन्न है, सरकार का यही मत है, वैसे श्री भरूचा इससे सहमत हों या न सहमत हों। सरकार का विचार है कि सट्टा बाजारों का कार्य उन समवायों से बिल्कुल भिन्न है, जो इस अधिनियम के अधीन आती हैं। इसलिए सरकार ने यह अधिकार ले लिया है कि वह समवाय अधिनियम के कार्य क्षेत्र में से सट्टा बाजार को पृथक् कर दे।

इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक पर विचार किया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ (नई धारा ७क का रखा जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ —(धारा २८ का संशोधन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २,—

खण्ड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

'3. Substitution of new section for section 28:—For section 28 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"28. Act not to apply in certain cases.—(1) The provisions of this Act shall not apply to—

(a) the Government, the Reserve Bank of India, any local authority or any corporation set up by a special law or any person who has effected any transaction with or through the agency of any such authority as is referred to in this clause;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[उपाध्यक्ष महोदय[

(b) any convertible bond or share warrant or any option or right in relation thereto, in so far as it entitles the person in whose favour any of the foregoing has been issued to obtain at his option from the company or other body corporate issuing the same or from any of its shareholders or duly appointed agents, shares of the company or other body corporate, whether by conversion of the bond or warrant or otherwise, on the basis of the price agreed upon when the same was issued.

(2) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), if the Central Government is satisfied that in the interests of trade and commerce or the economic development of the country it is necessary or expedient so to do, it may, by notification in the Official Gazette, specify any class of contracts as contracts to which this Act or any provision contained therein shall not apply, and also the conditions, limitations or restrictions, if any, subject to which it shall not so apply." '

'३. **धारा २८ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना**—मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"**२८. कुछ मामलों में अधिनियम लागू नहीं होगा**—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :—

(क) सरकार, भारत का रक्षित बैंक, किसी विशेष विधि द्वारा स्थापित कोई स्थानीय प्राधिकार अथवा निगम या इस खण्ड में उल्लिखित किसी ऐसे प्राधिकार के अभिकरण के साथ या उसके माध्यम से कोई लेन देन करने वाला कोई व्यक्ति ;

(ख) किसी परिवर्तनीय बन्ध पत्र या अंश वारंट या तत्संबंधी कोई विकल्प या अधिकार, जहां तक कि वह, उस व्यक्ति को जिसके नाम पर वह जारी किया गया हो, अधिकार दे कि वह समवाय या अन्य सहकारी संस्था से जो उसे जारी करे, या उसके किसी अंशधारी या विधिवत नियुक्त अभिकर्त्ता से, समवाय या अन्य सहकारी संस्था के अंश जारी किये जाने के समय पर तय किये गये मूल्य के आधार पर खरीद सके, चाहे बन्धपत्र या वारंट को बदल कर या अन्यथा ।

(२) उप धारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि केन्द्रीय सरकार को समाधान हो जाये कि व्यापार अथवा वाणिज्य अथवा देश के आर्थिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह सरकारी गजट में अधिक अधिसूचना निकाल कर यह स्पष्ट कर सकेगी कि किस वर्ग की संविदाओं पर यह अधिनियम या इसका कोई उपबन्ध लागू नहीं होगा और किन शर्तों, सीमाओं तथा निबन्धनों के अधीन, यदि कोई हों तो, यह लागू नहीं होगा "।]

(श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(खंड १— विधेयक का नाम)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ४,—

"1958" (१९५८) के स्थान पर "1959" (१९५९) रखा जाये ।

(श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

"Ninth year" (नवें वर्ष) के स्थान पर "Tenth year" (दसवें वर्ष) रखा जाये ।

(श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १८ नवम्बर, १९५९/२७ कार्तिक, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		११७--१४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
३५	बाढ़ और सूखे से फसल को क्षति	११७—१२०
३६	खाद्यान्न का रक्षित भण्डार	१२१- १२५
३७	सिंचाई संसाधन	१२५—१२७
३८	चीनी की कमी	१२८—१३१
३९	इन्टेग्रल कोच फैक्टरी पेराम्बूर	१३१-१३२
४०	अन्दमान के वन विभाग के लिये लकड़ी के लटठों की खरीद	१३३
४१	रेलवे बोर्ड के सदस्य	१३४-१३५
४२	उकई परियोजना	१३५—१३७
४३	गोदाम अधिकारियों का चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन	१३७-१३८
४४	रामगंगा परियोजना	१३९-१४०
४५	सेवा सहकारी समितियां	१४०—१४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
४६	हिमाचल प्रदेश में भूमि उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण	१४३
४७	भटिण्डा के पास चलती रेल गाड़ी में लूट	१४३
४८	ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद	१४४
४९	रेलों के लिए वलूत के स्लीपर	१४४
५०	माधोपुर से आगे रेलवे लाइन का बढ़ाना	१४५
५१	हिन्द महासागर का सर्वेक्षण	१४५
५२	हैदराबाद में नस्ल सुधार केन्द्र	१४६
५३	वीसापुर के पास रेलगाड़ी का लाइन से उतरना	१४६-१४७
५४	उड़ीसा सरकार को हीराकुड बांध का नियंत्रण सौंपना	१४७
५५	हिंगोली—खण्डवा रेल-सम्पर्क	१४८
५६	दिल्ली के "मास्टर प्लान" का समय से पूर्व प्रगट हो जाना	१४८-१४९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५७	एयर इंडिया इंटरनेशनल की नयी लन्दन यात्रा योजना	१४९
५८	'ओबेरान' का डूबना	१४९–५०
५९	राष्ट्रीय राजपथ	१५०
६०	जल वर्णना सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर्स)	१५०–१५१
६१	आसाम-अगरतला मार्ग	१५१
६२	डाक तथा तार शिकायत-विभाग	१५१
६३	मध्य प्रदेश के लिये हीराकुड की बिजली	१५१–१५२
६४	नयी दिल्ली में विश्व कृषि मेला	१५२–१५३
६५	अनाजों का क्रमस्थापन	१५३
६६	अनाज का राजकीय व्यापार	१५३–१५४
६७	मड़ुआडीह में इंजन के पुर्जों का कारखाना	१५४
६८	गाजियाबाद के निकट महिला यात्री पर आक्रमण	१५४–१५५
६९	भाखड़ा में बिजली के जनित्र	१५५–१५६
७०	सन-पाट	१५६
७१	कृषि पत्रकारिता	१५६–१५७
७२	'अन्दमान्स' जहाज के निर्माण में त्रुटि	१५७
७३	रेलों में दूसरा दर्जा खत्म करना	१५७–१५८
७४	दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा	१५८
७५	डाक तथा तार भवन	१५८
७६	दिल्ली-कुलू विमान सेवा	१५९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५४	कांडला पत्तन में अबाध व्यापार क्षेत्र	१५९
५५	भिवानी स्टेशन पर प्लेटफार्म को बढ़ाकर उस पर छत डालना	१५९
५६	अजमेरी गेट की गन्दी बस्तियां हटाने की योजना	१६०
५७	पाकिस्तान पर नहरी पानी सम्बन्धी बकाया राशि	१६०
५८	खून में शक्कर	१६०
५९	बम्बई में भाण्डागार निगम	१६०–१६१

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६०	बम्बई में बीज फार्म	१६१
६१	पूर्णा-हिंगोली सेक्शन पर विक्रेता	१६१
६२	मध्य रेलवे की आय	१६१
६३	बिहार में बीज फार्म	१६१–१६२
६४	बिहार में रेलवे आउट एजेंसियां	१६२
६५	कृषि सम्बन्धी प्रकाशन	१६३
६६	मुरादाबाद जिले के रेहड़ा नामक स्थान में तार-घर	१६३
६७	पठानकोट–जम्मू सड़क	१६३
६८	पंजाब में सहकारी समितियां	१६४
६९	रेलवे में औरत कुली	१६४
७०	चावल और धान की वसूली के भाव	१६४
७१	कटक रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल	१६५
७२	चावल और धान की वसूली	१६५
७३	सतलज—व्यास सम्पर्क परियोजना	१६६
७४	पंचायतों के सरपंचों का प्रशिक्षण	१६६
७५	राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	१६७
७६	भारतीय नदियों की सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी क्षमता	१६८
७७	खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में फोर्ड फाउन्डेशन की टीम	१६८
७८	इंजनों, डिब्बों और वैगनों का निर्माण	१६९
७९	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये अस्पताल	१६९
८०	बंगलौर में विद्युत गवेषणा संस्था	१६९
८१	दिल्ली में बसें खड़ी करने के स्थान	१६९–१७०
८२	जापान से जहाजों की खरीद	१७०
८३	जनता भोजन	१७०
८४	कुलपहाड़ स्टेशन पर माल गोदाम	१७१
८५	रेलवे डाक सेवा पुनर्गठन समिति	१७१–१७२
८६	सफदरजंग–कुतुब मीनार सड़क पर रोशनी	१७२
८७	कानपुर में जनरल पोस्ट आफिस की इमारत	१७२–१७३
८८	केन नदी पर रेलवे पुल	१७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८९	हिमाचल प्रदेश में वन सवक्षण	१७३
९०	हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (लिमिटेड)	१७४
९१	हिमाचल प्रदेश में चरागाह	१७४
९२	हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियां	१७५
९३	हिमाचल प्रदेश में औषध-निर्माणशालाएं	१७५
९४	हिमाचल प्रदेश में मकान बनाने के लिये ऋण	१७६
९५	कमलाई (हिमाचल प्रदेश) में कुक्कुट-पालन केन्द्र	१७६
९६	कालका-शिमला लाइन के स्टेशनों पर बिजली लगाना	१७६–१७७
९७	हिमाचल प्रदेश में वैद्य	१७७
९८	इम्फाल में तपेदिक क्लिनिक	१७७
९९	रेलवे स्टोर	१७७–१७८
१००	केरल में नये डाकखाने	१७८
१०१	सहकारिता विकास	१७८
१०२	टैक्सी के मीटर की परीक्षा करने की मशीन	१७८–१७९
१०३	सामुदायिक विकास कार्य	१७९
१०४	मैसूर राज्य के लिये डाक सर्किल	१७९
१०५	खाद्य उत्पादन	१८०
१०६	पालनपुर–गांधीधाम सेक्शन पर यातायात का रुक जाना	१८०–१८१
१०७	सोलन का कृषि गवेषणा केन्द्र	१८१
१०८	पूर्व रेलवे के स्टेशनों के लिये फूलों के गमले	१८१–१८२
१०९	बम्बई राज्य में पूर्ण परियोजना	१८२
११०	काकरापाड़ा परियोजना	१८३
१११	रायगढ़ के निकट रेल का पुल	१८३
११२	बिलासपुर के निकट माल डिब्बों का पटरी से उतरना	१८३–८४
११३	रेलवे स्टेशनों पर शेड	१८४
११४	मद्रास को चीनी का संभरण	१८४
११५	गोदावरी के पानी का बंटवारा	१८५
११६	नवद्वीपधाम स्टेशन के नाम में परिवर्तन	१८५
११७	दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों और स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का प्रशिक्षण	१८५–८६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११८	महानदी घाटी विकास योजना	१८६
११९	कलकत्ते में टेलीग्राफ सर्विस	१८६
१२०	बाराबंकी स्टेशन पर दुर्घटनायें	१८७
१२१	गोरखपुर रेलवे कर्मचारी	१८७
१२२	हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें	१८८
१२३	दिल्ली की बस्तियां	१८८
१२४	रेलवे लाइनों के जोड़ों की वेल्डिंग के लिये ठेके	१८८
१२५	कोढ़	१७८–१८९
१२६	डिब्बा बन्द मछली और सूअर का मांस	१८९
१२७	रेलवे के हाई स्कूल	१८९–१९०
१२८	कश्मीर में पर्यटक	१९०
१२९	बिक्री के लिये दी गयी चीनी	१९१
सभा पटल पर रख गये पत्र		१९५–९७

(१) बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम और देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति।

(२) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६८ की एक प्रति :

(३) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार निगम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९१ की एक प्रति।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २६ सितम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८५ और जी० एस० आर० १०८६ की एक-एक प्रति ।

(५) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत कुल्लू वैली ट्रांस्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड की १९५६–५७ की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमश:)

(६) रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, १९५७ की धारा २१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० सितम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५१ में प्रकाशित रेलवे संरक्षण बल नियम, १९५९ की एक प्रति।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . १९७

श्री वाजपेयी ने कलकत्ता बन्दरगाह में आपात कालीन स्थिति की घोषणा की और श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सरकारी विधेयक के लिए समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव . १९८

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि शस्त्र विधेयक, १९५९ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए नियत समय को ५ घण्टे से बढ़ाकर ७ घण्टे कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित १९८-२३९

(१) शस्त्र विधेयक १९५९ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में पारित हुआ।

(२) विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) ने प्रस्ताव किया कि विविध वैयक्तिक विधियां (विस्तार) विधेयक १९५९ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक स्वीकृत हुआ।

(३) वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने प्रस्ताव किया कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ।

बुधवार, १८ नवम्बर, १९५९/२७ कार्तिक, १८८१ (शक) के लिए कार्यावलि

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना :

(१) आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक,

(२) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, और

(३) हज समिति विधेयक।